अंक 122

राविरा

राजस्व प्रवृत्तियों एवं गतिविधियों की त्रैमासिकी

राजस्व रिकॉर्ड संधारण हेतु आधुनिकीकृत रिकॉर्ड रूम

राजस्व मंडल राजस्थान
अजमेर

राजस्व मंडल में गणतंत्र दिवस समारोह

72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजस्व मण्डल परिसर में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम मे वरिष्ठ सदस्य श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, श्री भंवर लाल मेहरड़ा, अतिरिक्त निबंधक श्री भंवर सिंह सांदू सहित अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।

गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजस्व मण्डल के सहायक कर्मचारी सोहन लाल को उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए 1100 रूपये का पुरस्कार प्रदान करतीं सदस्य श्रीमती विनीता श्रीवास्तव। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष पूर्व सदस्य प्रमिल माथुर के पिता श्री एलपी माथुर की स्मृति में प्रदान किया जाता है।

संरक्षक
डॉ. आर वेंकटेश्वरन
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
परामर्शदाता
श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, सदस्य
श्री महेन्द्र कुमार पारख, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य
श्री हरिशंकर गोयल, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य
श्री रामनिवास जाट, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य
श्री सतीश चन्द्र गोदारा, सदस्य
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य
श्री रवि डांगी, सदस्य
श्री भँवरलाल मेहरड़ा, सदस्य
डॉ. श्रवण कुमार बुनकर, सदस्य
वरिष्ठ संपादक
श्रीमती नम्रता वृष्णि
निबंधक
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
सम्पादक
(प्रभारी अधिकारी,रावि‍रा)
पवन कुमार शर्मा
जन सम्पर्क अधिकारी
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
सहयोग
गफूर अली
वरिष्ठ सहायक
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
मुद्रक
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय

राजस्व मण्डल राजस्थान की त्रैमासिकी

अंक - 122 रजि. क्रमांक 18119/70

अनुक्रमणिका

1. अध्यक्ष की कलम से
2. संपादकीय

लेख-सामग्री एवं विविध जानकारी

3. राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन कार्यक्रम में अग्रणी जिला सीकर
4. नागौर : सरकार ने खुलवाये रास्ते, ग्रामीणों की राह हुई आसान
5. राजस्व पत्रावलियों का कोडिंग विधि से संधारण कर अनुपयोगी रिकार्ड की नीलामी प्रक्रिया
6. 40 वर्षों बाद काश्तकारों को मिला खातेदारी हक
7. ग्रामीण स्तरीय लोकतांत्रिक व्यवस्था : ग्राम सभा
8. कम्प्यूटराइजेशन से आई राजस्थान मे क्रांति : कृषक भूमिधारक वर्ग को मिली ऐतिहासिक सौगातें
9. ''चारागाह अतिक्रमण मुक्त ग्राम'' अभियान बना वरदान
10. जागीर एकट- जागीर उन्मूलन एवं भूमि सुधार

स्थायी स्तम्भ

11. राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण निर्णय
12. राजस्व अधिकारियों के वाद निस्तारण : मण्डल की त्रैमासिक समीक्षा
13. राजस्व नियम, अधिसूचना, परिपत्र एवं संशोधनादि
14. राजस्व समाचार

सूचना : रावि‍रा में प्रकाशित लेख, रचनाएं लेखकों के व्यक्तिगत विचार हैं, उनसे राजस्व मण्डल का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

अध्यक्ष की कलम से .....

संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन के जन–कल्याणकारी कार्यक्रमों की सफलतम क्रियान्विति ने राजस्थान की आम जनता को जनाकांक्षाओं के अनुरूप सम्बल प्रदान किया है। राजस्व संबंधी न्यायिक प्रकरणों का तीव्र निस्तारण भी इसमें एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। राजस्व कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए ई–गवर्नेंस को बढ़ावा दिया गया है। राज्य की समस्त तहसीलों को ऑनलाइन करने व राजस्व कार्यों को सहजता से आमजन तक पहुंचाने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयास मील का पत्थर साबित हुए हैं।

राज्य में डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत 339 में से 278 तहसीलें ऑनलाइन की जा चुकी है। राज्य के 09 जिले जयपुर, सीकर, चुरू, झुन्झुनूँ, जैसलमेर, झालावाड़, अजमेर, कोटा व बांसवाड़ा पूर्णरूपेण ऑनलाइन होकर कार्य कर रहे हैं। ऑनलाइन कार्यक्रम राजस्थान में निश्चय ही स्वर्णिम अध्याय होगा।

यह प्रसन्नता का विषय है कि विगत तीन वर्षों से राजस्व मण्डल ने रिकॉर्ड 23 हजार 392 वादों का निस्तारण किया। इसके लिए मैं सभी के सामूहिक प्रयासों की सराहना करता हूँ। जिलों में भी बकाया प्रकरणों के त्वरित निस्तारण को गति देने की आवश्यकता है।

मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूँ कि जिलों में राजस्व दायित्वों के बेहतरीन निर्वहन के साथ ही ऑनलाइन से जुड़े विविध कार्यों को त्वरित और पूरी निष्ठा के साथ अंजाम देंगे।

डॉ.आर. वेंकटेश्वरन
अध्यक्ष

सम्पादकीय .....

राज्य में राजस्व क्षेत्र की विविध उपलब्धियों, गतिविधियों एवं संदर्भ आधारित महत्वपूर्ण सामग्री को समाहित करते हुए राविरा का 122वां अंक आपको भिजवाया जा रहा है।

राजस्थान में पहली बार राजस्व दिवस के आयोजन के साथ ही सरकार की ओर से कृषक एवं भूमिधारक वर्ग को राजस्व कार्यों को सहज तौर पर उपलब्ध कराने को लेकर कई सौगातें दी गई, वे अभूतपूर्व हैं।

राजस्व क्षेत्र में वादों के तीव्र निस्तारण, आमजन को राजस्व सेवाओं की सहज उपलब्धता, राजस्व न्यायालय कार्यों को सुगम बनाने की दिशा में कई अभिनव कदम उठाए गए हैं। इसके तहत कई सेवाएं मूर्त रूप ले भी चुकी है, और कई प्रगतिरत हैं। उम्मीद है कि आपके कुशल मार्गदर्शन व व्यक्तिगत रुचि से यह सेवाएं अधिक गुणवत्ता के साथ आमजन को सुलभ होंगी।

कोविड–19 की विभीषिका का सामना करते हुए लोकराहत के दायित्वों का आप सभी ने कुशलतापूर्वक निर्वहन किया, यह सराहनीय है। आशा है कि आप अब बेहतर गति से राजस्व न्यायालयों का संचालन कर अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण करेंगे। इनमें महत्वपूर्ण प्रकृति के प्रकरणों को प्राथमिकता प्रदान करने की भी आवश्यकता है।

मेरी शुभकामनाएं,

नम्रता वृष्णि
निबन्धक

राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन कार्यक्रम में अग्रणी जिला सीकर

अविचल चतुर्वेदी
जिला कलक्टर, सीकर

अधिकार अभिलेखों एवं राजस्व दस्तावेजों की कृषक वर्ग तक आसान एवं सुगमता से पहुंच का उद्देश्य पूर्ण करने हेतु डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत जिले की समस्त तहसीलों को अधिसूचित एवं ऑनलाइन करवाने में जिला सीकर अग्रणी जिलों में शामिल रहा है।

DILRMP के अन्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड (जमाबन्दी, भू नक्शा इत्यादि) के Digitised तथा Online होने के कारण राजस्व कार्मिकों की कार्यशैली एवं आमजन के लिए राजस्व रिकॉर्ड की आसानी से उपलब्धता में अत्यन्त सुधार हुआ है :

राजस्व कार्मिकों के संदर्भ में :

प्रतिवर्ष जिले के 25 प्रतिशत ग्रामों की चौसाला जमाबन्दी का निर्धारित अवधि (15 जून से 30 सितम्बर) तक तैयार किया जाना जिसे संबंधित पटवारी द्वारा तहसील कार्यालय की एलआरसी शाखा में उपस्थित रहकर तैयार करवाई जाती थी।

○ जिले में ऑनलाइन के पश्चात स्थायी जमाबन्दी तैयार की गई है जिसे प्रतिवर्ष जमाबन्दी तैयारी में लगने वाले समय की बचत एवं राजस्व कार्मिक की कार्यशैली में सुधार हुआ है। जमाबन्दी बनाते समय खातेदार से संबंधित विवरण में लिपिकीय त्रुटि से अशुद्धियां होना।

○ जिले में ऑनलाइन जमाबन्दी के समय जमाबन्दी चैकलिस्ट द्वारा समस्त रिकॉर्ड की जांच करवाने के पश्चात प्राप्त अशुद्धियों का नियमानुसार निस्तारण कर अंतिम रिकॉर्ड तैयार होने से शुद्धि की प्रतिशतता अधिक हुई है।

खातेदारों के विवरण दर्ज करने का कोई निर्धारित प्ररूप नहीं होने से भिन्न भिन्न खातों अथवा ग्रामों में खातेदार से संबंधित जानकारी में भिन्नता पाई जाती थी।

○ ऑनलाइन जमाबन्दी में खातेदार का विवरण निर्धारित प्ररूप में होने के कारण समस्त रिकॉर्ड में एकरूपता आई है।

ग्राम में कतिपय सामूहिक खाते जिनमें अधिक संख्या में खातेदार होने तथा समय समय पर कुछ खातेदारों की विरासत में खातेदारों का विवरण स्पष्ट नहीं दर्शाये जाने की वजह से खाते का विवरण जटिल हो जाता था।

○ ऑनलाइन जमाबन्दी में उक्त प्रकार के खातों में समस्त खातेदारों का विवरण स्पष्ट लिखा गया है। प्रत्येक खातेदार का विवरण पष्थक पष्थक तैयार किये जाने के कारण राजस्व कार्मिकों को भी रिकॉर्ड की सही जानकारी रहती है।

किसी अवधि में जमाबन्दी तैयार करते समय यदि किसी खातेदार के हिस्सा नहीं दर्शाया गया है तो आगामी वर्षों की जमाबन्दी भी खातेदार के हिस्से स्पष्ट रूप से न दर्शाकर तैयार कर दी जाती थी।

○ ऑनलाइन जमाबन्दी में प्रत्येक काश्तकार का हिस्सा स्पष्ट दर्शाया गया है जिसके कारण इस प्रकार की त्रुटि की संभावना नहीं रही है।

आमजन के संदर्भ में :

कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए काश्तकार को तहसील अथवा पटवारी से संपर्क करना आवश्यक था या तहसील से दूरी होने के कारण समय एवं धन का अपव्यय होता था।

○ ऑनलाइन के पश्चात काश्तकार को दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्राप्त करने के विकल्पों में वद्धि हुई है यथा अपना खाता केन्द्र, ईमित्र अथवा स्वयं के द्वारा ऑनलाइन कम्प्यूटर/मोबाइल के माध्यम से वह ई–साइन प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है जिससे समय एवं धन की बचत भी हुई है।

काश्तकार को अपने कृषि रिकॉर्ड की जानकारी पटवारी के संपर्क में न होने की स्थिति में नहीं हो पाती थी।

जमाबन्दी में हिस्से, विरासत अथवा विवरण में त्रुटि आदि की जानकारी समय पर नहीं मिल पाने के कारण अनावश्यक समस्याओं का सामना काश्तकार को करना पड़ता था।

○ ऑनलाइन जमाबन्दी में काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में जानकारी बिना किसी अनावश्यक भागदौड़ के प्राप्त कर सकता है।

जमाबन्दी में काश्तकार के शीर्षक, हिस्से आदि की त्रुटि को नियमानुसार सक्षम न्यायालय के माध्यम से दुरूस्त करवाना होता है।

○ ऑनलाइन जमाबन्दी तैयारी के समय प्रायः उत्पन्न होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखा जाने के कारण न्यायालयों के वाद एवं प्रकरणों में भी कमी आई है।

काश्तकार को सबसे अधिक कठिनाई नामान्तरकरण दर्ज होने में लगने वाले समय के कारण होती थी।

ऑनलाइन प्रक्रिया होने के पश्चात नामान्तरकरण पक्रियाधीन/निर्णीत होने की जानकारी खातेदार स्वयं ऑनलाइन देख सकता है।

क्र.सं.	नाम तहसील	अधिसूचना की दिनांक
1	श्रीमाधोपुर	07.11.2017
2	रामगढ शेखावाटी	19.12.2017
3	फतेहपुर	26.03.2018
4	खण्डेला	26.03.2018
5	सीकर	14.08.2018
6	नीम का थाना	02.11.2018
7	लक्ष्मणगढ	05.02.2019
8	धोद	14.03.2019
9	दांतारामगढ	11.04.2019

डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी
जिला कलक्टर, नागौर

नागौर : सरकार ने खुलवाये रास्ते, ग्रामीणों की राह हुई आसान

नागौर जिला भौगोलिक रूप से काफी बड़ा जिला है जिसका क्षेत्रफल 17718 वर्ग किलोमीटर है। मुख्यतः नागौर जिला कृषि प्रधान जिला है जहॉ जनसंख्या का एक बड़ा भाग (80.74 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर जनसुनवाई एवं जिला भ्रमण के दौरान बड़ी संख्या में परिवाद प्राप्त हुए थे तथा रास्तों को लेकर न्यायालय में भी वाद दायर किये जाते रहते हैं। रास्तों पर किये गये अतिक्रमण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आपस में वैमनस्य, गुटबाजी एवं लड़ाई–झगड़े होते रहते हैं। जिससे ग्रामीणजन का आपस में सांमजस्य नहीं रहता है। इससे ग्राम का सर्वांगीण विकास भी नही हो पाता है।

जिला प्रशासन ने यह महसूस किया कि ऐसे प्रकरणों में निरन्तर बढोतरी होने से आमजन को न्यायालय के चक्कर लगाने एवं जन–धन की हानि होने के साथ–साथ क्षेत्र की कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है। अतः जिला प्रशासन नागौर द्वारा रास्ते सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु दिनांक 23.7.2020 को विडियो कॉन्फ्रेन्स के जरिए राजस्व/पुलिस के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर प्रथम केम्प दिनांक 31.7.2020 (शुक्रवार) को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। अभियान के प्रथम दिवस यानि दिनांक 31.7.2020 को जिले में 44 रास्ते खुलवाए गए।

रास्ता खोलो अभियान के सफल क्रियान्वयन/पर्यवेक्षण हेतु सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को अपने–अपने क्षेत्र का प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर प्रत्येक शुक्रवार को कम से कम तीन रास्तों पर से अतिक्रमण हटाने/रास्ता खुलवाने के निर्देश दिये गए ।

अभियान से पूर्व उपखण्ड जायल में 32, डेगाना में 21, रिंयाबड़ी में 25, नावां में 27, मेड़ता में 79 कुचामन में 19, परबतसर में 34 , डीडवाना में 34 , मकराना में 31, खींवसर में 18, लाडनू में 68 , व नागौर में 86 कुल 474 रास्तों पर किये गए अतिक्रमण के प्रकरण चिन्हित किए गए तथा जिला कलक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान प्राप्त 405 प्रकरणों को दर्ज कर सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किए गए है।

रास्ता खोलो अभियान के दौरान दिनांक 25.9.2020 तक राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–131 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 की धारा 251 व 251–ए के तहत जिला नागौर में अभी दर्ज हो चुके प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.स.	नाम उपखण्ड	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–131	राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251	राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए
1	नागौर	168	287	126
2	खींवसर	50	50	74
3	जायल	56	27	81
4	लाडनू	28	18	31
5	डीडवाना	21	28	59
6	कुचामन	190	42	11
7	नावां	107	23	29
8	परबतसर	123	74	31
9	मकराना	97	11	16
10	डेगाना	23	12	28
11	रियांबड़ी	30	121	21
12	मेड़ता	41	19	78
	कुल	934	712	585

नवाचार • लंबे समय से बंद थे रास्ते, कलेक्टर के रास्ता खोलो अभियान के तहत आपसी समझाइश के बाद रास्ते खुलवाए

बंद रास्तें खुलवाकर बेटियों के नाम से लगाई पट्टिका

जिला कलेक्टर के नवाचार के तहत आपसी समझाइश के बाद उपखंड प्रशासन ने खुलवाया रास्ता

खुल गए खेतों के मार्ग, 38 मामले निपटाए

कड़लू में 3.6 किमी रास्ते का विवाद निपटाया

पहले दिन 38 प्रकरणों का निस्तारण, जाब्ते के बीच ग्रामीणों के सहयोग से खुलवाए रास्ते

नागौर. रास्ता खोलो अभियान के तहत मौजूद ग्रामीण व अधिकारी।

अभियान • महियासर में कई सालों से बंद पड़े खेतों के रास्ते को खुलवाया गया

60 साल पुराना रास्ता खोला, अभियान जारी

डीडवाना. रास्ता खोलने की कार्यवाही करते एसडीएम व तहसीलदार.

तीन गावों में सालों से बंद पड़े खेतों के रास्त खुले

डेगाना। ग्राम उदियास में जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटवाते अधिकारी। -सत्यनारायण शर्मा

सरकारी कार्यालयों में अनुपयोगी रेकार्ड की छंटनी कर राजस्व पत्रावलियों को पुस्तकालय की तर्ज पर कोडिंग विधि से संधारित कर व अनुपयोगी रेकार्ड की नीलामी प्रक्रिया

सुशील कुमार (IAS)
उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद

सरकारी कार्यालयों में दस्तावेजों की अपनी एक अहम भूमिका होती है। किसी भी सरकारी कार्यालय में कोई भी कार्य दस्तावेज के माध्यम से ही किया जाता है। प्राय यह देखने में आता है कि समय के साथ सरकारी कार्यालयों में इन दस्तावेजों का ढेर लग जाता है। इससे न केवल कार्यालय में जगह की कमी पड़ती है, बल्कि पुराने जरूरत के दस्तावेज/पत्रावली ढूंढने में अनावश्यक समय की बरबादी होती है। सालों दर सालों पड़े हुए रिकॉर्ड की हालत दीमक, चूहो इत्यादि की वजह से ओर भी खराब हो जाती है। साथ ही जरूरत से पड़ने पर समय पर पत्रावली, मिसल नहीं मिलती है जिससे न केवल कार्यालय कार्य में बाधा आती है बल्कि आमजन को भी नकल इत्यादि के लिए भटकना पड़ता है। अतः रिकॉर्ड का सही रूप से संधारण करना अतिआवश्यक है और अनावश्यक रिकॉर्ड को समय–समय पर निस्तारण किया जाना भी उतना ही आवश्यक है। सही तरीके से रिकॉर्ड संधारण किये जाने पर रिकॉर्ड की गुणवत्ता और स्थिति ठीक बनी रहती है। साथ ही रिकॉर्ड को रखने हेतु कम जगह की जरूरत पडती है। समय समय पर रिकॉर्ड के निस्तारण से सरकार को आय भी होती है एवं सरकारी कार्यालयों की स्थिति भी ठीक बनी रहती है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राजसमन्द उपखण्ड कार्यालय में पुराने रिकॉर्ड के संधारण एवं निस्तारण की कार्यवाही शुरू की गई।

राजसमन्द उपखण्ड कार्यालय का पुराना रिकॉर्ड सन् 1966 से आज दिनांक तक तीन कमरों में भरा हुआ था, जिसमें अतिआवश्यक दस्तावेज जैसे कि राजस्व न्यायालय पत्रावलियॉं, समपरिवर्तन, फौजदारी, निर्वाचन एवं विविध प्रकार की पत्रावलियॉं शामिल थी। अनेक बार राजस्व न्यायालय के दावों हेतु पुरानी पत्रावलियॉं रिकॉर्ड रूम से उपलब्ध नहीं हो पाती थी। साथ ही काश्तकार बन्धुओं को नकल हेतु महीनों इन्तजार करना पड़ता था क्योंकि इतने अधिक रिकॉर्ड का सही संधारण नही होनें से उचित पत्रावली/मिसल ढूंढना अपने आप में एक कठिन और भारी–भरकम कार्य होता था जिसमें न केवल समय बल्कि श्रमशक्ति का भी अनावश्यक व्यय होता था। चूंकि राजसमन्द जिला सन् 1991 में बना था उससे पहले राजसमन्द उपखण्ड के अन्तर्गत आमेट, रेलमगरा, कुम्भलगढ़ क्षेत्र भी आते थे। इन नये उपखण्डों का भी पुराना रिकॉर्ड जैसे कि समपरिवर्तन, आवंटन पत्रावली इत्यादि राजसमन्द उपखण्ड में ही रखा हुआ था। इस कारणवश इन क्षेत्रों के काश्तकारों को भी नकल इत्यादि हेतु काफी दूर चलकर राजसमन्द आना पड़ता था, और राजसमन्द उपखण्ड में रिकॉर्ड का सही संधारण/निस्तारण नहीं होने पर इनको अनेक बार रिकॉर्ड हेतु चक्कर लगाने पड़ते थे। राजसमन्द उपखण्ड कार्यालय में रिकॉर्ड के सही संधारण/निस्तारण की कार्यवाही निम्न नियमों/परिपत्रों/दिशा निर्देशों के तहत की गई :–

1. डिस्ट्रिक्ट मैन्युअल के तहत **CHAPTER II Weeding and Destruction of Records.**
   - **Period of retention of records Para No. 36**
   - **Destruction of records and its procedure Para No. 37-38**
   - **Maintenance of statement by each weeder Para No. 39**

- **Destruction of files and disposal of waste papers Para No. 40**

2. कार्यालय क्रियाविधि पुस्तिका के अनुक्रमणिका अन्तर्गत –
   - क्र.सं. 10 अभिलेख कक्ष (क) अभिलेखों का प्रेषण, प्रबन्ध एवं परिरक्षण अनुच्छेद संख्या 98 पृष्ठ संख्या 23, सामान्य प्रतिधारण अनुसूची अनुच्छेद संख्या 105(क) पृष्ठ संख्या 25,
   - (ख) अभिलेखों की मांग अनुच्छेद संख्या 111 पृष्ठ संख्या 28
   - (ग) अभिलेखों की छंटाई अनुच्छेद संख्या 116 पृष्ठ संख्या 29
3. भारत निर्वाचन आयोग का परिपत्र **No. 23/Inst/2015-ERS Dated: 9th July, 2015** एवं राज्य निर्वाचन आयोग के परिपत्र प.3(3)(3)रोल्स/निर्वा/2015/10255 जयपुर, दिनांक 15.11. 2019

निस्तारण प्रक्रिया :-

सर्वप्रथम दूसरे उपखण्ड क्षेत्रों के रिकॉर्ड को अलग–अलग कर संबंधित उपखण्डों मे भिजवाया गया ताकि इस रिकॉर्ड हेतु काश्तकार/सरकारी कार्मिक को अनावश्यक रूप से राजसमन्द के चक्कर नहीं लगाने पड़े। इस कार्य के दौरान लगभग दो महीने का समय लगा जिसमें राजसमन्द उपखण्ड कार्यालय के अलावा सम्बन्धित उपखण्ड के कार्मिकों का सहयोग लिया गया। इस दौरान कुम्भलगढ़ 11808, आमेट 4941, रेलमगरा 2827 पत्रावलियॉ भेजी गई।

इसके बाद में राजसमन्द उपखण्ड का सालों पुराने रिकॉर्ड के निस्तारण की कार्यवाही शुरू की गई। इसमें 8–10 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई जिनका प्रथम कार्य रिकॉर्ड को संधारण योग्य या निस्तारण योग्य में छटनी करना था। उपरोक्त नियमानुसार समस्त पत्रावलियों की छंटनी कर, जिन पत्रावलियों की मियाद खतम हो चुकी थी उनको निस्तारण योग्य रिकॉर्ड में रखा गया। जबकि महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जैसे कि आवंटन/रूपान्तरण/राजस्व न्यायालय इत्यादि दस्तावेजों को संधारण हेतु रखा गया।

निस्तारण योग्य रिकॉर्ड की विस्तृत सूची बनाई गई। संधारण योग्य रिकॉर्ड को अलग अलग शाखाओं के अनुसार रिकॉर्ड रूम में सुव्यवस्थित तरीके से रखवाने की कार्यवाही की गई। संधारण योग्य रिकॉर्ड भी अधिक होने के कारण यह अति आवश्यक था कि रिकॉर्ड को इस प्रकार रखा जाये कि जरूरत पड़ने पर किसी भी पत्रावली/ दस्तावेज को 5/10 मिनट के अंदर ढूंढा जा सके। इस हेतु टीम का गठन कर समस्त रिकॉर्ड की शाखा अनुसार सूचियॉ बनाई गई, जिसको बाद में कम्प्यूटराइज्ड किया गया। समस्त प्रकार के रिकॉर्ड की विस्तृत सूची बनाने के बाद रिकॉर्ड रूम का अलग अलग हिस्सा अलग अलग शाखा के लिए निर्धारित किया गया।

सम्पूर्ण कोडिंग के बाद रिकॉर्ड रूम में पत्रावलियॉ अलग अलग बस्तों में रख कर अलग अलग पंक्तियों में रखी गई, और इस प्रकार सभी पंक्तियों, बस्तों, रेक इत्यादि को निर्धारित कोर्ड अनुसार नम्बर दिये गये। इससे समस्त रिकॉर्ड की सोफ्ट कोपी में सूचना कम्प्यूटर में रखी गई और वास्तिविक रूप में रिकॉर्ड रूम में रखा गया। जरूरत पड़ने पर कोई भी दस्तावेज/पत्रावली नम्बर से, प्रार्थी के नाम से, पंचायत के नाम

से, दर्ज साल से, फैसल साल इत्यादि से कम्प्यूटर पर सॉफ्टकोपी में बहुत ही आसानी से ढूंढी जा सकती है। कम्प्यूटर में उपलब्ध जानकारी से यह पता लगाना अत्यन्त आसान हो जाता है कि पत्रावली किस रेक में, किस पंक्ति में, किस बस्ते में किस स्थान पर रखी हुई है। इससे रिकॉर्ड रूम से पत्रावली ढूंढकर लाने में आसानी होती है अनावश्यक समय/श्रमशक्ति का व्यय नहीं होता।

रिकॉर्ड को रिकॉर्ड रूम में व्यवस्थित तरीके से रखने एवं जरूरत पड़ने पर कम से कम समय में ढूंढा जा सके, इस हेतु विभिन्न पत्रावलियों की (पुस्तकालय की तर्ज पर) कोडिंग की गई, जो निम्नानुसार है–

क्र.सं.	पत्रावली संख्या	किस्म मुकदमा	अनवान	निर्णय दिनांक	वि.वि.	रेक नम्बर	बस्ता नम्बर	फाईल नं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	53/1955	वाद	वेजनाथ/रूपा	31.03.1954	—	1	2	2

उदाहरण के तौर पर इस कोडिंग के अनुसार पत्रावली संख्या 53/1955 अनवान वेजनाथ/रूपा, 1 नम्बर रेक में रखे बस्ता संख्या 2 में दूसरे नम्बर पर मिलेगी। इस प्रकार किसी काश्तकार को निर्णीत वाद/प्रार्थना पत्र/अपील/इजराय की प्रतिलिपि की आवश्यकता होने पर उसके द्वारा प्रतिलिपि फार्म पर लिखे गये मुकदमा नम्बर/अनवान/निर्णय दिनांक इत्यादि से उक्त पत्रावली कम्प्यूटर में ढूंढकर तुरन्त चाही गई पत्रावली आसानी से निकाली जाकर प्रार्थी को नकल उपलब्ध कराई जा सकती है।

निस्तारण योग्य समस्त रिकॉर्ड की निस्तारण हेतु आरटीपीपी एक्ट के प्रावधान अनुसार निलामी की कार्यवाही की गई। इस प्रकार रिकॉर्ड की निलामी से कार्यालय को लगभग 1.00 लाख रूपये की आय हुई।

रिकॉर्ड संधारण के फायदे :

1. सिर्फ उपयोगी रिकॉर्ड को ही रखा जाता है, जिससे आवश्यक दस्तावेज खोजने में आसानी रहती है।
2. मियाद पार निस्तारित रिकॉर्ड से सरकार को वित्तीय लाभ होता है।
3. कार्यालय जगह अनावश्यक रूप से भरी नहीं रहती है।
4. उपयोगी रिकॉर्ड की स्थिति ठीक रहती है और ऐसा रिकॉर्ड दीमक/चूहे इत्यादि के कारण रिकॉर्ड खराब नही होता है।

रिकॉर्ड संधारण में आने वाले कठिनाइयाँ :–

1. रिकॉर्ड संधारण हेतु बनाये गये नियम/प्रक्रिया अत्यन्त पुराने एवं अस्पष्ट होने के कारण रिकॉर्ड का उपयोगी/अनुपयोगी निर्धारित करना कठिन होता है।
2. कार्यालय में स्टॉफ की कमी के कारण नियमानुसार हर साल रिकॉर्ड का संधारण/ निस्तारण नही किया जाता है, जिससे रिकॉर्ड अनावश्यक रूप से इकट्ठा होता रहता है।

उपखण्ड कार्यालय में रिकॉर्ड के निस्तारण से पता लगा कि ज्यादातर निस्तारण योग्य रिकॉर्ड निर्वाचन विभाग से सम्बन्धित रहता है। उपखण्ड राजसमन्द से निस्तारित किये जाने वाले रिकॉर्ड में से लगभग 75 से 80 प्रतिशत रिकॉर्ड निर्वाचन सम्बन्धित पाया गया।

इस प्रकार की गतिविधि समय–समय पर सम्बन्धित कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में की जानी चाहिए जिससे न केवल कार्यालय जगह खाली होती है बल्कि सरकार को आय प्राप्त होती है और प्रार्थी को नकल प्राप्त करने में आसानी रहती है।

40 वर्षों बाद काश्तकारों को मिला खातेदारी हक

अभिषेक गोयल (RAS)
उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा

तहसील कपासन के मासिक मानचित्र का निरीक्षण किये जाने के दौरान पाया कि तहसील कपासन के राजस्व ग्राम करजाली एवं चाकुडा पंचायत के कमाण्ड क्षेत्र के काश्तकारों जिन्हें वर्ष 1970 से 1980 के मध्य कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन हुआ जिसे करीब 40 वर्षों से भी अधिक समय होने के उपरान्त भी उनको खातेदारी अधिकार नहीं मिले जिससे काश्तकारों को भूमि सुधार के लिये लोन, बेचान/अन्य प्रयोजन से हस्तान्तरण राज्य एवं केन्द्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था; इस पर काश्तकारों के हितार्थ मौके पर काश्तकारों को बुलवाया गया एवं उक्त प्रकरणों के बारे में जानकारी ली तो ज्ञात हुआ कि काश्तकारों के पास न तो गैर खातेदारी के मूल आवंटन आदेश थे और न ही उनके द्वारा जो गैर खातेदारी से खातेदारी हेतु प्रीमियम राशि जो राजकोश में जमा कराई गई थी उनकी प्रिमीयम रसीदे थी। काश्तकारों ने बताया कि खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिये कई बाद अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिये राजस्व अभियानों में निवेदन किया गया परन्तु आज तक हमें मालिकाना हक प्राप्त नहीं हुआ है।

इस पर संज्ञान लेते हुए तहसीलदार कपासन, भू अभिलेख निरीक्षक पटवारियान एवं तहसील राजस्व लेखाकार की टीम का गठन किया गया। गैर खातेदारी अधिकार प्रदान करने के लिये समीक्षा की गई। जिसमें यह निर्णय लिया गया कि आवंटन करीब 40–50 वर्ष पुराने हैं जिनकी आवंटन पत्रावलियॉ खुर्द बुर्द हो चुकी है तहसील कार्यालय में भी आवंटन आदेश/जमा प्रीमियम की प्रतियां भी रेकार्ड में नहीं थी। ऐसी पत्रावलियों का रेकार्ड से मिलान असंभव होने पर नामान्तरकरण की पत्रावलियॉ मंगवाकर जॉच की गई जिससे काश्तकारों को आवंटन होने की पुष्टि की गई। प्रीमियम राशि जमा की पुष्टि हेतु ढाल बाछ से मिलान नहीं किया जाता तो काश्तकारों को प्रीमियम राशि और उस पर लगने वाला ब्याज दोनों राशि अतिरिक्त जमा करानी पड़ती जो गरीब काश्तकारों के लिये काफी महंगी साबित होती इस पर काश्तकारों को राहत देने के लिये प्रिमियम राशि के जमा होने की पुष्टि के लिये पुराने ढाल बाछ से मिलान किया गया और पाया गया कि काश्तकारों के द्वारा प्रिमियम राशि जमा वसूल कर राजकोष में जमा कराई गई थी। आवंटन शर्तों की पालना के लिये खसरा गिरदावरी की नकलें तैयार करवाई गई। कब्जे की स्थिति के लिये वर्तमान मौका रिपोर्ट तैयार करवाई इस प्रकार कब्जे की पुष्टि की गई। जिनके आधार पर प्रत्येक काश्तकारों को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार के प्रकरण तैयार करवाये गये। पूर्ण जॉच एवं संतुष्टि के पश्चात 21 काश्तकारों को खातेदारी अधिकार के आदेश नामान्तकरण करवाकर नकल जमाबंदी ग्राम में जाकर किसानों को उपलब्ध कराई गई। इस प्रकार काश्तकार को 40–50 वर्षों बाद जमीन का मालिकाना हक मिलने पर खुशी से झूम उठे।

ग्रामीण स्तरीय लोकतांत्रिक व्यवस्था : ग्राम सभा

डॉ. गिरवर सिंह राठौड़
Sr. Fellow (ICSSR)

ग्राम सभा को पंचायतीराज की प्राथमिक इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। ग्राम सभा सही अर्थ में जनमूलक संस्था है, जिसमें जनता के प्रतिनिधि नहीं बल्कि स्वयं जनता सम्मिलित होती है। ग्रामसभा के आधार पर ही ग्राम पंचायत कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

संविधान के अनुच्छेद 243–ख के अंतर्गत ग्राम सभा को इस प्रकार **परिभाषित** किया जाता है – ''ग्राम सभा एक ऐसी संस्था है जो ग्राम स्तर पर पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांव से संबंधित निर्वाचक नामावली में उल्लेखित व्यक्तियों से बनती है।''

ग्राम सभा का स्थानीय शासन की सम्पूर्ण रूपरेखा में मुख्य स्थान है क्योंकि यही वह संस्था है जो गांव के प्रत्येक व्यक्ति को स्थानीय निर्णय लेने वाली प्रक्रियाओं में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। ग्रामसभा की उपयुक्त कार्यप्रणाली और पंचायतीराज संस्था के बीच प्रत्यक्ष संबंध है। पंचायतीराज प्रणाली के मध्यस्थ और शीर्ष स्तरों के जरिए जिला योजना के साथ तारतम्य लाने वाली ग्रामीण योजना की उत्पत्ति इसी संस्था से ही होती है।

ग्रामसभा का प्रमुख कार्य पंचायत द्वारा किये गये कार्यों का पुनर्निरीक्षण करना है। वह पंचायत के वार्षिक बजट तथा लेखा परीक्षण की रिपोर्ट पर विचार करती है। वह पंचायत द्वारा बनाये गये वार्षिक बजट पर विचार करती है तथा उसका अनुमोदन करती है। यह सभा क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं बनाने के लिए सुझाव देती है। ग्रामसभा क्षेत्र के विकास के लिए पंचायत द्वारा किये गए कार्यों का मूल्यांकन करती है और पंचायत की गतिविधियों तथा कार्यक्रमों को कुशलतापूर्वक लागू करने के लिए सहयोग देती है। **ग्रामसभा को पंचायत क्षेत्र के वयस्क नागरिकों की सभा भी कहा जा सकता है।**

1.	**ग्राम सभा संस्था का क्रमिक विकास और वृद्धि** **[Evolution and Growth of Gram Sabha]:**

भारत में पंचायतीराज की यह विशेषता है कि यहाँ पंचायतीराज को ग्रामीण जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है इससे पंचायतों पर लोक नियन्त्रण और लोगों में हिस्सेदारी की भावना को बल मिलता है प्राचीन भारत में ऐसी जन सभाएँ ग्रामीण प्रजातन्त्र की दूरी थी। लोगों की सामान्य सभा का विचार भारतीय गाँवों के लिए कोई नया विचार नहीं है सामान्य सभा का विचार प्राचीन भारत में था जिसकी क्षमता का कालान्तर में लोप हो गया। 19वीं व 20वीं सदी में स्थापित स्वायत्त संस्थाओं में सामान्य जनसभा को पुनर्जीवित करने पर ध्यान नहीं दिया गया यही नहीं बल्कि गत शताब्दी में यहाँ 3, 4 यहाँ तक की 5वें दशक में तैयार पंचायत अधिनियम में भी सामान्य जनसभा को कोई वैधानिक दर्जा देने का प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम सभा पंचायती राज के स्वरूप का एक लोकप्रिय आधार है। पंचायतें अपनी सत्ता ग्राम से ही प्राप्त करती हैं तथा उसी के प्रति उत्तरदायी होती हैं। ग्राम सभा में गांव के सभी वयस्क होते हैं। ग्रामसभा का विचार भारतीय गांवों के लिए कोई नया नहीं है। प्राचीन भारत की परम्पराओं के अनुसार यह व्यवस्था पर्याप्त लोकप्रिय रही है। गांवों की छोटी से छोटी समस्या पर विचार–विमर्श करने व उसका निदान करने के लिए

ग्रामवासियों की आज भी निरन्तर सभाएं होती रहती हैं।

ग्रामसभा की रचना सब राज्यों में पूर्णतः एक जैसी नहीं है। प्रत्येक राज्य ने अपने–अपने यहां पंचायत अधिनियम [Panchayat Acts] में संशोधन करते हुए ग्राम सभाओं की स्थापना का वैधानिक प्रावधान [Statutory Body] किया।

राजस्थान में सरकार ने राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953′ की धारा 23 में एक नई धारा –23। जोड़कर ग्रामसभा की स्थापना की गई। जिसके अनुसार पंचायत अधिनियम, 1953 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत निर्धारित सभी वयस्क निवासियों की बैठक बुलाएगी। राजस्थान में पंचायत एवं न्याय पंचायतों से सम्बन्धित नियम, 1961′′ के अनुसार यह आम बैठक वर्ष में कम से कम दो बार मई तथा अक्टूबर के महीनों में बुलाई जाएगी। इस प्रकार राजस्थान पंचायतीराज व्यवस्था में ग्राम सभा का प्रारम्भ 1961 में हुआ।

2.	73वें संविधान–संशोधन में ग्राम–सभा का प्रावधान **[Provision of Gram Sabha in 73rd Constitutional Amendment] :**

भारत में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया द्वारा लोकतन्त्र को प्रत्येक गाँव के प्रत्येक घर के दरवाजे तक पहुँचाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा संविधान में किये गये **73वें संशोधन** के द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है **अनुच्छेद 243 (क)** में कहा गया है, **"ग्राम–सभा ग्राम स्तर** पर ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकती है और ऐसे कार्य कर सकती है जिनका प्रावधान कानून द्वारा राज्य की विधायिका करे।" अर्थात् "ग्राम–सभा" से एक ऐसा निकाय अभिप्रेरित है जिसमें ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं जो ग्राम–स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में समाविष्ट किसी ग्राम से सम्बन्धित मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत है।

3.	**ग्राम सभा की व्यवस्था के उद्देश्य** **[The purpose of the system of Gram Sabha]:**

ग्राम–सभा को पुनर्जीवित करने में यह व्यापक रूप से अनुभव किया गया कि पंचायतीराज में ग्राम–सभा का महत्त्वपूर्ण स्थान है और इसके सार्थक योगदान को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए इसे एक बुनियादी संस्था के रूप में कार्य करने और ग्रामीण जीवन को सुदृढ़ बनाने तथा लोकतन्त्र की जड़ें मजबूत करने के लिए एक साधन के रूप में इसे विकसित किया जाना अपरिहार्य समझा गया विद्वानों ने यह भी अनुभव किया कि ग्राम–सभा को एक ऐसे मंच के रूप में विकसित किया जाना चाहिए जहाँ लोग एकत्र होकर अपनी दैनिक समस्याओं पर वाद–विवाद कर सकें क्योंकि इसके माध्यम से नागरिकों को प्रभावित करने वाले सभी मामलों पर जनमत का स्पष्टीकरण हो जाता है जिससे ग्राम–पंचायत को अपना कार्य करने के लिए मार्गदर्शन भी सुलभ होता है ग्राम–सभा, ग्राम–पंचायत को जनता की एक वास्तविक संस्था के रूप में विकसित करने का अत्यन्त अनुपम उपकरण है।

ग्राम–सभाओं से निम्नलिखित आशाएँ हैं–

(1) यह प्रजातन्त्र को सुदृढ़ बनायेगी और प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र का उपकरण बन सकेंगे।

(2) यह ऐसे मंच के रूप में कार्य करेगी जहाँ लोग आपस में मिल सकें और अपनी प्रतिदिन की समस्याओं पर परस्पर चर्चा और विचार–विमर्श कर सकें।

(3) ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम–पंचायत पर ग्राम के निवासियों का प्रत्यक्ष नियन्त्रण स्थापित हो सकेगा साथ ही ग्राम–पंचायत को मार्गदर्शन भी मिलेगा।

(4) इससे लोगों द्वारा निर्वाचित पंचायत और निर्वाचकों के मध्य संचार में सहायता मिलेगी।

(5) ग्राम–विकास के नियोजन और कार्यान्वयन में जनता की भागीदारिता सुनिश्चित की जा सकेगी तथा पंचायतीराज में अधिक जनसहयोग प्राप्त करने के लिए ग्राम–सभा एक सक्रिय संस्था के रूप में कार्य करेगी।

4.	**ग्राम–सभा क्षेत्रों का गठन** **[Formation of Gram Sabha Area]**

73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों ने अनुच्छेद 243 (क) की अनुपालना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने–अपने यहाँ पंचायतीराज अधिनियम बनाकर एक ग्राम–सभा की व्यवस्था की है।

सामान्यतः **प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए एक ग्राम–सभा के गठन का प्रावधान अधिनियमों में किया गया है** लेकिन **आन्ध्र प्रदेश** में प्रत्येक गाँव में एक ग्राम–सभा की व्यवस्था का प्रावधान है।

इसी प्रकार **हरियाणा** में ग्राम–सभा प्रत्येक ग्राम या उसके एक भाग या एक से अधिक गाँवों के लिए ग्राम–सभा की व्यवस्था का प्रावधान है लेकिन साथ ही शर्त यह भी है कि 500 या इससे अधिक की जनसंख्या पर एक ग्राम–सभा का प्रावधान किया गया है। **जबकि जम्मू व कश्मीर, नागालैण्ड, पश्चिमी बंगाल** आदि राज्यों में ग्राम–सभा की व्यवस्था वर्तमान तक नहीं है। शेष राज्यों में ग्राम–सभा की व्यवस्थाएँ सम्बन्धित अधिनियमों में की गई है।

23 अप्रैल 1994 को परिवर्तित राजस्थान पंचायत राज अधिनियम में अध्याय एक में मूल परिभाषाओं के स्पष्टीकरण के पश्चात् ही अध्याय 2 "क" में **"ग्राम सभा"** शीर्षक से उसकी संकल्पना और व्यवस्थाओं का विस्तृत विवरण किया गया है। **अधिनियम में कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए एक ग्राम सभा होगी।**

5.	**ग्राम सभा का संगठन** **[Organization of Gram Sabha]**

5.1 ग्राम सभा के सदस्य [Members of Gram Sabha]

जिसमें पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत समाविष्ट गाँव या गाँव के समूह से सम्बन्धित निर्वाचक नामावलियों में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सदस्य होंगे। **18 वर्ष** तक की आयु प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी जाति या लिंग का हो सभा का सदस्य हो सकता है।

5.2 ग्राम–सभा के पीठासीन अधिकारी [Presiding Officer]:-

ग्राम–सभा की बैठक ग्राम–पंचायत के अध्यक्ष अर्थात् द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में ग्राम–पंचायत के उपाध्यक्ष द्वारा किये जाने का प्रावधान है **जो क्रमशः सरपंच व उपसरपंच होते हैं** जबकि हिमाचल प्रदेश व त्रिपुरा में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को प्रधान व उपप्रधान कहा जाता है जो ग्राम सभा की अध्यक्षता करते हैं।

1994 के अधिनियम के परिवर्तन के पूर्व भी राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 23(।) में ग्राम–सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच और उसकी अनुपस्थिति में उपसरपंच द्वारा की जाती थी तथा इन दोनों की अनुपस्थिति में जनता द्वारा बैठक में उपस्थित पंचों में से किसी एक को ग्राम–सभा की अध्यक्षता करने के लिए मनोनीत किया जाता था।

अब 1994 के पंचायतीराज अधिनियम में भी यह प्रावधान दोहराया गया है कि बैठक की अध्यक्षता सरपंच के द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में उपसरपंच के द्वारा की जायेगी। सरपंच व उपसरपंच दोनों ही के अनुपस्थित होने की स्थिति में ग्राम–सभा की बैठक की अध्यक्षता बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से इस प्रयोजन के लिए निर्वाचित किये गए ग्रामसभा के किसी सदस्य द्वारा की जायेगी।

5.3 प्रशासन के अधिकारी/कार्मिकों की उपस्थिति [Presentation of Administrative Officer & Government Servent]

ग्राम सभा की बैठक को सुनिश्चित करने के लिए अब क्योंकि नये अधिनियम के माध्यम से यह व्यवस्था की गई है कि सम्बन्धित पंचायत समिति का **विकास अधिकारी** या उसके द्वारा नाम–निर्देशित कोई प्रसार अधिकारी ग्राम–सभा की बैठकों में उपस्थित रहेगा और वह ऐसी बैठकों के कार्यवृतों पर निगाह व सहायता करने के लिए उत्तरदायी होगा।

पंचायत समिति के ग्राम–सभा में उपस्थित होने वाले अधिकारी के अतिरिक्त राजस्व प्रशासन के **तहसीलदार व नायब तहसीलदार, भू–अभिलेख निरीक्षक, पटवारी** तथा साथ ही ग्राम–स्तर के अन्य विभागों के कर्मचारियों से भी ग्राम सभा में उपस्थित होने की अपेक्षा की गई है।

5.4 ग्राम–सभा का सचिव [Gram Sabha Secretary]:

राजस्थान के पंचायतीराज अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियम यह प्रावधान करते हैं कि ग्राम–सभा की बैठक की कार्यवाही का लिखित में अभिलेखन किया जायेगा ग्राम–सभा की प्रत्येक बैठक में ग्रामीणों को इस बात से अवगत कराया जायेगा कि ग्राम–पंचायत किन–किन कार्यक्रमों पर कार्य कर रही है इन बैठकों में ग्राम–पंचायत की कार्यप्रणाली, प्रगति इत्यादि की समीक्षा भी की जायेगी। ग्राम–सभा की बैठक में इस विषय में जो भी विचार व्यक्त किया जायेगा उन सबके लिखित विवरण रखा जायेगा **यह विवरण रखने का दायित्व ग्राम–पंचायत के सचिव को दिया गया है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है** और वही बैठक की कार्यवाही का अभिलेखन करता है जिस पर ग्राम–सभा के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हों।

5.5 सतर्कता समिति [Vigilance Committee]:

ग्राम–सभा को सतर्कता समितियाँ गठित करने का भी अधिकार दिया है। भारत में बिहार गोवा, त्रिपुरा तथा राजस्थान में ग्राम–सभा को सतर्कता समिति गठित करने का भी अधिकार दिया गया है। ग्राम–सभा पंचायत के कार्यो, योजनाओं व अन्य क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करने के लिए तथा अपनी बैठक में उनसे सम्बन्धित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक या उससे अधिक सतर्कता समितियाँ गठित कर सकेगी जिसमें ऐसे व्यक्ति होंगे जो पंचायत के सदस्य नहीं हैं। इस हेतु यह निर्धारित किया गया है कि सरपंच कार्यसूची की एक मद वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रिमास में आयोजित होने वाली ग्राम–सभा बैठक में सतर्कता समितियों के गठन के लिए रखेगा। सतर्कता समिति के प्रतिवेदन पर ग्राम–सभा में सरपंच या उपसरपंच द्वारा चर्चा करवाई जाती है इस प्रकार सतर्कता समिति का प्रतिवेदन ग्राम–सभा की कार्यवाही का एक भाग है।

राजस्थान में दिनांक 06.01.2000 से संशोधन कर पंचायत स्तर की सतर्कता समिति समाप्त कर दी गई है। धारा–56 में संशोधन कर पंचायत समिति एवं जिला परिषद स्तर की सर्तकता समितियाँ गठित कर दी गई हैं।

नवीन अधिनियम 1994 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वर्ष ग्राम–सभा की कम से कम 2

बैठकें होंगी पहली वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रिमास में और दूसरी अन्तिम त्रिमास में। किन्तु ग्रम–सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/10 से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित अपेक्षाएँ किये जाने पर या फिर पंचायत समिति, जिला–परिषद या राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित होने पर ग्राम–सभा की बैठक 15 दिवस के अन्तर्गत आहूत की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम सभाओं का आयोजन राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर एवं 1 मई को या उक्त निर्धारित दिवसों के 15 दिन के अन्दर–अन्दर किया जाये। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है ताकि पंचायत समितियाँ अपनी सुविधा के अनुसार ग्राम सभाओं का आयोजन करा सकें एवं सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी निष्ठापूर्वक भाग ले सके।

नूतन अधिनियम में यह प्रावधान दोहराया गया है कि ग्राम–सभा की बैठक पंचायत के सरपंच द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में उपसरपंच के द्वारा बुलाई जाएगी। ग्राम–सभा की बैठक आयोजित करने के विषय में यह प्रावधान नियमों में किया गया है कि ग्रामवासियों को इसकी सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व ही दी जानी चाहिए इसी सूचना में पुनः बैठक की तारीख, समय और कार्यसूची अंकित कर देनी चाहिए यह सूचना देने के लिए पंचायत क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक गाँव में प्रमुख–प्रमुख स्थान पर ऐसी सूचना लिखित में चिपकाई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त पंचायत क्षेत्र के प्रत्येक गाँव में ढ़ोल बजाकर ऐसी बैठक की घोषणा भी की जानी चाहिए इन दोनों विधियों के अतिरिक्त ग्राम–पंचायत के सभी निर्वाचित पदाधिकारियों, पंचायत सचिव और ग्राम में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों, ग्रामसेवकों इत्यादि का यह दायित्व होता है कि वे ग्राम–सभा की बैठक की सूचना का अपनी क्षमतानुसार प्रसारण करेंगे।

ग्राम–सभा की बैठक प्रायः उस ग्राम में आयोजित की जाती रही है जहाँ पर ग्राम–पंचायत कार्यालय का पंचायत भवन होता है। वर्तमान में भी यही व्यवस्था है।

5.6 ग्राम–सभा की गणपूर्ति [Quorum of Gram Sabha]:

सभी राज्यों में सामान्यतः ग्राम–सभा की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की संख्या का दशांश (सदस्यों का 10 वाँ भाग) होगी जबकि तमिलनाडु में गणपूर्ति के लिए 1/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य की गयी है। इसी प्रकार उत्तर–प्रदेश ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए 1/5 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के सदस्य और महिला सदस्यों की उपस्थिति उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगी।

सामान्यतया अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि गणपूर्ति के अभाव में बैठक के दुबारा आहुत किये जाने पर गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। डॉ. सुरेन्द्र कटारिया ने अपने लेख ''पंचायती राज का सशक्तीकरण : आशाएँ एवं आशंकाएँ'' में लिखा है कि राजस्थान सहित देश के सभी राज्यों के गाँव तेजी से नगरीय संस्कृति की ओर उन्मुख हो रहे हैं। अतः गाँवों में अब केरल की भाँति ग्रामीकीय (रूरबन) अर्थात् ग्रामीण तथा नगरीय सभ्यता एवं संस्कृति के दर्शन हो रहे हैं। शहरी आपाधापी, व्यस्तता, विलासिता तथा स्वार्थपरकता गाँवों में भी घर कर गई है। ऐसे में ग्राम सभा की बैठक में 10 प्रतिशत मतदाताओं की उपस्थिति अनिवार्य करना बेमानी है। हम यह क्यों मानकर चलते हैं कि गाँवों के लोग ठाले बैठे हैं तथा वे जब चाहे तो ग्राम सभा में आ सकते हैं। वस्तुतः गाँवों में खेती, मजदूरी, पढ़ाई, रोगी सेवा, त्योहार, विवाहोत्सव, गमी–खुशी, धंधा,

नौकरी तथा सामाजिक मान्यताओं के चलते प्रायः 200–300 लोगों का हमेशा ग्राम से घट जाना किंचित कठित है। अतः ग्राम सभा में यदि एक बार गणपूर्ति न हो पाए तो केरल राज्य की भाँति अगली बैठक में 50 व्यक्तियों की उपस्थिति पर्याप्त मानी जानी चाहिए। जब शहरों में विकास कार्य कराने के लिए कोई वार्ड सभा नहीं होती तथा समुदाय से अंशदान भी नहीं मांगा जाता है तो फिर यह सब प्रयोग एवं शर्तें गाँवों के लिए ही क्यों ? एक बार पंच–सरपंच चुन देने के पश्चात् हम ग्राम सभा से क्या चाहते हैं ?क्या ग्राम पंचायत स्वयं विधायिका की भाँति कार्य नहीं कर सकती वस्तुतः ग्राम सभा यदि विपक्ष की भूमिका में उतर जाय तो ग्राम पंचायत सफल कैसे हो सकती है?

5.7 ग्राम–सभा की बैठक हेतु कार्यसूची

ग्राम–सभा के अधिकारों व कर्तव्यों के विषय में पंचायतीराज पर प्रस्तुत सादिक अली प्रतिवेदन में कहा गया है कि ग्राम–सभा के अधिकार व कर्तव्यों की परिभाषा नपे–तले शब्दों में करना कठिन है। धीरे–धीरे काम के माध्यम से एक परम्परा विकसित होगी और ग्राम–सभा वह महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेगी। जिससे पंचायतीराज की ऊपर की संस्थाएँ शक्ति प्राप्त करेगी समिति का मानना था कि ग्रामीण जीवन को प्रभावित करने वाले समस्त मामलों पर ग्राम–सभा को विचार करना चाहिए। लोगों को यह अनुभव होना चाहिए कि ग्राम–सभा स्थानीय विकास में उनकी आवाज को बुलन्द करने और उनके कष्टों को दूर करने में सहायता देने के लिए है।

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 में ग्राम–सभा की बैठकों में विचारार्थ लिये जाने वाले विषयों का भी उल्लेख किया गया है जो सामान्यतया सभी राज्यों के पंचायतीराज अधिनियमों में भी वर्णित है।

ग्राम सभा बैठकों के लिए कार्यसूची – वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रिमास अर्थात् अप्रेल से जून में आयोजित की जाने वाली ग्राम सभा बैठक के लिए धारा 3 की उप–धारा (3) और वित्तीय वर्ष के अंतिम त्रिमास अर्थात् जनवरी से मार्च में आयोजित की जाने वाली ग्राम सभा बैठक के लिए धारा 3 की उप–धारा (4) में वर्णित मदों के अतिरिक्त निम्नांकित वर्णित विषयों भी ग्राम सभा बैठकों की कार्यसूची में सम्मिलित किये जायेंगेः–

(1) गत ग्राम सभा बैठक का अनुपालन,

(2) मृत कृषकों के नामांतरणों का अनुप्रमाणन,

(3) आवास स्थलों के आवंटन के लिए परिवारों की पहचान,

(4) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण और सहायता के लिए गरीबी रेखा के नीचे के परिवार,

(5) विकास संकर्मो की प्राप्तियां, व्यय और भौतिक प्रगति,

(6) आगामी वर्ष में प्रस्तावित योजना संकर्मों की प्राथमिकताओं का नियतन,

(7) ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, पेयजल और जल–निकास,

(8) स्वास्थ्य कार्यक्रम– टीकाकरण और परिवार कल्याण,

(9) स्वयं की आय बढ़ाने की रीतियां,

(10) आबादी भूमि और चारागाह का विकास,

(11) संपरीक्षा (ऑडिट) की आपत्तियां और उनका उत्तर,

(12) सतर्कता समिति की रिपोर्ट पर टिप्पणियां,

(13) सतर्कता समिति का पुनर्गठन (केवल प्रथम त्रिमास बैठक)

वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रिमास में की जाने वाली बैठक में पंचायत, ग्राम–सभा के समक्ष निम्नलिखित विषय विचार हेतु रखेगी।

(1) पूर्ववर्ती वर्षों के लेखों का वार्षिक विवरण,

(2) इस अधिनियम उपबन्धों के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिए अपेक्षित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के प्रशासन की रिपोर्ट

(3) वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास व अन्य कार्यक्रम, और

(4) पिछली संपरीक्षा, रिपोर्ट और उसके लिए दिये गये उत्तर

5.8 द्वितीय बैठक के विचारार्थ विषयः

वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रिमास में आयोजित बैठक में पंचायत ग्राम–सभा के समक्ष निम्न लिखित विषय विचारार्थ रखेगी।

(1) वर्ष के दौरान उपगत व्यय का विवरण

(2) वर्ष में लिये जाने वाले भौतिक और वित्तीय कार्यक्रम

(3) वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रिमास में की गई बैठक में प्रस्तावित क्रियाकलाप के विभिन्न क्षेत्रों में किये गये किन्हीं भी परिवर्तनों से सम्बन्धित प्रस्ताव, और

(4) इस अधिनियम के अधीन तैयार किया गया पंचायत का बजट

उपर्युक्त दोनों बैठकों तथा ग्राम–सभा की किसी भी अन्य बैठक में भी, ऐसा कोई अन्य विषय जिसे पंचायत, पंचायत समिति, जिला– परिषद, राज्य–सरकार या प्राधिकृत कोई भी अधिकारी रखे जाने की अपेक्षा करे रखा जायेगा।

5.9 ग्राम सभा बैठक की कार्यवाहियों का अभिलेखन – नियम–8 के अनुसारः–

(1) विकास अधिकारी या उसकी ओर से ग्राम सभा में उपस्थित होने वाले प्रसार अधिकारी का कर्तव्य यह सुनिश्चित करने का होगा कि सचिव बैठक की कार्यवाहियां उसी तारीख को सही–सही तौर पर अभिलिखित करता है।

(2) वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम की धारा 8 और की जाती है और तद्नुसार कार्यवाहियां अभिलिखित की जाती हैं। विकास अधिकारी या बैठक में उपस्थित होने वाला प्रसार अधिकारी प्रस्थान से पूर्व कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) ऐसी कार्यवाहियों की प्रतियां 15 दिन के भीतर–भीतर पंचायत समिति को अग्रेषित की जायेंगी और यदि ऐसी बैठक जिला परिषद् या राज्य सरकार की अपेक्षा से आयोजित की जाये तो एक प्रति ऐसे अधिकारी को भी भेजी जायेगी।

5.10 ग्राम सभा की बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना – नियम–9 के अनुसार –

(1) पंचायत के साथ–साथ पंचायत समिति का ग्राम सभा बैठकों में लिये गये विनिश्चयों के अनुपालन को सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा।

(2) अनुपालन रिपोर्ट आगामी ग्राम सभा बैठक के समक्ष रखी जायेगी।

(3) संबंधित पंचायत समिति का विकास अधिकारी महत्वपूर्ण विनिश्चयों को उल्लेखित करते हुए पंचायतवार नियंत्रण रजिस्टर भी रखेगा।

(4) पंचायत प्रसार अधिकारी और विकास अधिकारी पंचायतों के अपने निरीक्षण के दौरान, ऐसे अनुपालन की प्रगति का पुनर्विलोकन करेगा।

5.11 ग्राम सभा बैठकों को मॉनीटर करना – नियम–10 के अनुसारः–

(1) प्रतिवर्ष अप्रेल और जनवरी मास के दौरान विकास अधिकारी पंचायत समिति की बैठकों में ग्राम सभा बैठकों की प्रगति रखेगा। वह ऐसी रिपोर्ट आगे आवश्यक कार्यवाही करने के लिए मुख्य कार्यापालक अधिकारी को भी अग्रेषित करेगा।

(2) धारा 3 में यथा–उल्लिखित ग्राम सभा की विहित बैठक आयोजित करने में किसी भी सरपंच, यथास्थिति, उप सरपंच के विफल होने की दशा में पंचायत समिति मामले की रिपोर्ट अधिनियम की धारा 38 के अधीन कार्यवाही के लिए राज्य सरकार को करेगी।

6.	ग्राम–सभा के कार्य [Function of Gram Sabha]:

पंचायतीराज को सौंपे जाने वाले कार्यों की निर्देशक सूची संविधान में समाविष्ट है किन्तु वस्तुतः सौंपे गये कार्य विभिन्न राज्यों में भिन्न–भिन्न हैं फिर भी अधिकांश राज्यों ने अपने यहाँ ग्राम–सभाओं को समान से कार्य सौंपे हैं। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 3(7) तथा बाद में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम (संशोधित अधिनियम 2000) के अनुसार ग्राम–सभा के कार्य हैं–

(1) सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं और परियोजनाओं का वार्ड़ सभा द्वारा अनुमोदित योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं में से प्राथमिकता क्रम में पंचायत द्वारा क्रियान्वयन के लिए हाथ में लिये जाने के पूर्व अनुमोदन करना।

(2) ऐसे क्षेत्रों से सम्बन्धित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हिताधिकारियों की पहचान, परन्तु यदि ग्राम–सभा किसी युक्तियुक्त समय के भीतर हिताधिकारियों की पहचान में विफल रहे तो पंचायत हिताधिकारियों [Benaficiaries] की पहचान करेगी।

(3) गरीबी–अन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों के रूप में व्यक्तियों की उनकी अधिकारिता के अधीन आने वाली विभिन्न वार्ड़ सभा द्वारा चिन्हित व्यक्तियों में से प्राथमिकता क्रम का चयन,

(4) सम्बन्धित वार्ड सभा से यह प्रमाण–पत्र प्राप्त करना कि पंचायत ने उन योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों का सही ढ़ंग से उपयोग कर लिया है जिनका उस वार्ड–सभा के क्षेत्र में व्यय किया गया है।

(5) पंचायत क्षेत्र से सम्बन्धित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता करना

(6) कमजोर वर्गों को आवंटित भू–खण्ड़ों के सम्बन्ध में सामाजिक संपरीक्षा करना

(7) आबादी भूमि के लिए विकास की योजना बनाना और अनुमोदित करना

(8) सामुदायिक कल्याण–कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और वस्तु रूप में या नकद अथवा दोनों ही प्रकार के अभिदाय जुटाना

(9) साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को प्रोत्साहित करना

(10) ऐसे क्षेत्रों के अन्दर प्रौढ़–शिक्षा और परिवार–कल्याण को प्रोत्साहित करना

(11) साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को प्रोत्साहित करना

(12) ऐसे क्षेत्रों में समाज के सभी समुदायों के बीच सौहार्द्र बढ़ाना

(13) किसी भी विशिष्ट क्रियाकलाप, योजना, आय और व्यय के विषय में पंचायत के सदस्यों और सरपंच से स्पष्टीकरण माँगना वार्ड़–सभा द्वारा अभिशंसित कार्यो में प्राथमिकता क्रम में विकास कार्यो की पहचान और अनुमोदन

(14) लघु जल–निकायों की योजना और प्रबन्ध

(15) गौण वन उपजों का प्रबन्ध

(16) सभी सामाजिक क्षेत्रों की संस्थाओं और उनके कृत्यों पर नियन्त्रण

(17) जनजाति उप–योजनाओं को सम्मिलित करते हुए स्थानीय योजनाओं और ऐसी योजनाओं के स्त्रोतों पर नियन्त्रण

(18) ऐसे पंचायत सर्किल के क्षेत्र की प्रत्येक वार्ड़–सभा द्वारा की गई अभिशंसा के विषय में विचार और अनुमोदन, तथा

(19) ऐसे अन्य कृत्य जो विहित **(Prescribed)** किये गये।

विभिन्न पंचायतीराज विधानों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि कुछ राज्य ग्राम–सभा की भूमिका को सहभागिता प्रक्रिया सक्रिय करने और विकास योजना तैयार करने के लिए विचार–विमर्श के रूप में देखते है जबकि अन्य राज्य ग्राम–सभा को और अधिक विशेष उत्तरदायित्व सौंपते हैं।

7. अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम–सभाओं का सशक्तिकरण

भारत की संसद ने देश के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों एवम् ग्राम–सभाओं को सशक्त बनाने के लिए "अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996" पारित किया था उसके उद्देश्यों की क्रियान्वति हेतु राजस्थान सरकार ने भी जून 1999 में एक अध्यादेश जारी किया जिसके माध्यम से राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति क्षेत्रों में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी बनाये गये हैं। इसके अनुसार इन क्षेत्रों की ग्राम–सभाओं को व्यापक अधिकार दिये गये हैं। ये ग्राम–सभाएँ अपनी रीति–रिवाजों, सांस्कृतिक पहचान व सामुदायिक संसाधनों को सुरक्षित रखने, गाँवों के विकास हेतु योजनाओं को अनुमोदित करने, गरीबी–उन्मूलन कार्यक्रम हेतु लाभार्थियों की पहचान करने, क्रियान्वयन की जा रही योजनाओं की आवंटित राशि की उपयोगिता का

प्रमाण–पत्र देने, क्षेत्र के खनन हेतु लीज देने और भूमि कटाव रोकने और ग्रामीण बाजारों का प्रबन्ध करन्, लघु वन उपजों का प्रबन्ध करने और ऋण आदि देने के लिए अधिकृत की गई है। इस प्रकार सामान्य क्षेत्रों में ग्र्रम–सभाओं की तुलना में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम–सभाओं को व्यापक अधिकार व शक्तियाँ देकर अतिरिक्त रूप से सशक्त बनाने का प्रयत्न किया गया है।

पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 के नवम् (ग) के प्रावधानों को अनुसूचित जाति एवम् जनजाति क्षेत्रों में संशोधित कर विस्तार करने की निम्न व्यवस्था की गई है –

(1) अनुसूचित क्षेत्रों के प्रत्येक गाँव में ग्राम–सभा होगी। यह संविधान के मुख्य प्रावधानों से भिन्न होगी क्योंकि उन प्रावधानों में अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा ग्राम–सभा में कुछ गाँवों का समूह भी शामिल हो सकता है।

(2) प्रत्येक ग्राम–सभा जनसामान्य के रीति–रिवाजों उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक संसाधनों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने तथा विवादित मामलों को परम्परागत तरीके से निपटारे में समर्थ होगी।

(3) उन सब योजनाओं कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए ग्राम–सभा का अनुमोदन आवश्यक होगा जो गाँव के सामाजिक एवम् आर्थिक विकास के लिए बनाई जाएँगी।

(4) गरीबी हटाने के लिए चलाये जा रहे तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए लाभान्वित होने वाले लोगों की पहचान और उनका चयन ग्राम–सभा ही करेगी।

(5) पंचायतों की ओर से क्रियान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों में आवंटित राशि की उपयोगिता का प्रमाण–पत्र अब पंचायतों को ग्राम–सभाओं से लेना होगा।

(6) ग्राम–सभा अथवा समुचित स्तर के पंचायतराज संस्थान की प्राथमिक अनुशंसा के बिना अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिज पदार्थों के खनन की लीज नहीं दी जायेगी।

(7) ग्राम–सभा अथवा समुचित स्तर की पंचायत राज संस्थाओं को भूमि कटाव रोकने, ग्रामीण बाजारों का प्रबन्ध करने, लघु वन उपज का प्रबन्ध करने और ऋण आदि देने सम्बन्धी अधिकार भी होंगे।

कम्प्यूटराइजेशन से आई राजस्थान में क्रांति
कृषक–भूमिधारक वर्ग को मिली ऐतिहासिक सौगातें

पवन शर्मा (PRO)
राजस्व मण्डल, अजमेर

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के कुशल नेतृत्व में सर्वकल्याणकारी सोच को मूर्त रूप प्रदान करने की दिशा में किये गये त्वरित प्रयासों से राजस्थान नित नये आयाम स्थापित कर रहा है। सरकार की विविध कल्याणकारी योजनाओं का पूरा–पूरा व सीधा लाभ आम जनता को मिल सके एवं सभी विभागों से जनता का सीधा जुड़ाव स्थापित करने के लिये देश को कम्प्यूटर क्षेत्र में अग्रणी बनाकर सरकार की कार्यप्रणाली को पूर्ण पारदर्शिता के साथ लोक हित में लागू करने का पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी का सपना मुख्यमंत्री श्री गहलोत के कार्यकाल में लोक कल्याणकारी एवं नीतिगत निर्णयों की सफल क्रियान्विति से राजस्थान में अब साकार हो उठा है।

किसी भी राज्य के विकास की कल्पना वहां के कृषि विकास के बिना अधूरी है। कृषि प्रधान राज्य राजस्थान में कृषक एवं भूमिधारक वर्ग को विकास की मुख्य धारा में लाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने को लेकर सरकार ने कई लोक–कल्याणकारी निर्णय लेकर कृषक वर्ग के प्रति संवेदनशील सोच का परिचय दिया है।

राज्य में संचालित विविध कृषक कल्याण योजनाओं के माध्यम से जहां किसानों के सशक्तीकरण की राह आसान बनाई गई है, वहीं मंडियों में उपज का सही मूल्य दिलाने, रियायती विद्युत दर एवं सरलतम ऋण–अनुदान व बीमा योजनाओं की सरकार की उदार नीति ने कृषक वर्ग में गहरा विश्वास कायम किया है।

राज्य में कृषक एवं भूमिधारक वर्ग को उनके दैनंदिन कार्यों में आने वाली समस्याओं के त्वरित एवं पारदर्शितापूर्वक निस्तारण करने को लेकर ऑनलाइन सेवाओं को व्यावहारिक तौर पर सरलीकृत एवं विस्तारित किया गया है। इससे जहां किसानों की दौड़–भाग कम होगी वहीं बिना समय गंवाए उन्हें घर बैठे योजनाओं की समग्र जानकारी हासिल होने के साथ उनका त्वरित लाभ भी मिलना शुरू हो जायेगा।

कृषि ऋण आवेदनों का निस्तारण ऑनलाइन

राज्य में काश्तकार वर्ग को कृषि ऋण सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए ''कृषि ऋण रहन पोर्टल'' की सौगात माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य में पहली बार आयोजित ''राजस्व दिवस'' के अवसर पर दी है। ऋण रहन पोर्टल के जरिये काश्तकार ने कृषि ऋण आवेदन को बैंक द्वारा फॉरवर्ड करने के साथ ही म्यूटेशन से लेकर ऋण उपलब्ध कराने जैसी समस्त प्रक्रियाएं ऑनलाइन ही सम्पादित हो जायेगी। इस पोर्टल के जरिये कृषि ऋण रहन से संबंधित आवेदनों का निस्तारण पटवारी, गिरदावर एवं तहसीलदार के स्तर पर ऑनलाइन ही किया जाना संभव हो सकेगा। यही नहीं आवेदन की प्रगति की जानकारी भी आवेदक को मोबाइल एप के जरिये घर बैठे हासिल हो जायेगी।

काश्तकार को मिलेगी गिरदावरी की ई-हस्ताक्षरित नकल

माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के हाथों 19 अगस्त को राजस्व अधिकारी मोबाइल एप का लोकार्पण किया गया है। जिसके अन्तर्गत ऑनलाइन गिरदावरी की शुरूआत समूचे राजस्थान राज्य में हो गयी है। गिरदावरी के संबंधित सभी इन्द्राज पटवारी के स्तर पर हो जाने के पश्चात गिरदावर, तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी के स्तर पर स्वीकृत मापदण्डानुसार गिरदावरी की जांच मोबाइल एप से ऑनलाईन

ही किया जाना संभव हो गया है।

अब तक किसानों को गिरदावरी की नकल के लिए पटवारी के पास जाकर प्रमाणित प्रति लेनी होती थी, लेकिन गिरदावरी की ई–हस्ताक्षरित नकल की सुविधा मिल जाने से काश्तकारों को उपज का बेचान, मुआवजा, कृषि ऋण न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित कृषक कल्याणार्थ चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। गिरदावरी के ई–हस्ताक्षरित नकल की सुविधा की सौगात राजस्व दिवस के अवसर पर 15 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों ई–लोकार्पण कर प्रदान की गई।

अब स्वतः होंगे नामान्तरकरण

वर्तमान सरकार ने उप पंजीयक कार्यालयों में दस्तावेज पंजीयन उपरान्त राजस्व जमाबन्दी में नामान्तरकरण की प्रक्रिया को स्वचालित करने की व्यवस्था शुरू की है। इस महत्वपूर्ण कदम से आमजन को अपने दस्तावेजों की रजिस्ट्री के पश्चात नामान्तरकरण के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। दस्तावेज के पंजीकरण के पश्चात स्वतः ही नामान्तरकरण की प्रक्रिया आरम्भ हो जायेगी और जमाबन्दी में नामान्तरकरण आदिनांक हो जायेगा। इस प्रक्रिया की सौगात भी राजस्व दिवस के मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता को दी है।

राजस्व रिकॉर्ड नकल व नक्शे भी ऑनलाइन

किसान एवं भूमिधारक वर्ग को कई बार अपनी जमीन के नक्शे के लिये दौड़–भाग करनी होती थी। उनकी राह आसान करते हुए राजस्थान सरकार की ओर से आमजन को राजस्व रिकॉर्ड की नकल एवं जमीनों के नक्शे ऑनलाइन उपलब्ध कराने का कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। इसके लिये राज्य के समस्त राजस्व एवं भू–अभिलेख व नक्शों के कम्प्यूटराइजेशन का कार्य अंतिम चरण में है। अब तक राज्य की 339 तहसीलों में से 278 तहसीलों को ऑनलाइन किया जा चुका है। इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड के बेहतरीन संधारण को लेकर तहसील स्तर पर मॉडर्न रिकॉर्ड रूम की स्थापना का कार्य भी प्रगति पर है। अब तक 218 तहसीलों में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम स्थापना का कार्य पूरा कराया जा चुका है।

राजस्थान के 529 उप पंजीयक कार्यालयों का कम्प्यूटराइजेशन कराया जा रहा है। जिसमें विगत वर्षों के पंजीकृत हो चुके दस्तावेजों को स्केन करवाया जा रहा है। इसमें आमजन को सहज रूप से उन दस्तावेजों की प्रतिलिपियां उपलब्ध कराई जा सकेगी। इसी क्रम में सभी राजस्व कार्यालयों एवं उप पंजीयक कार्यालयों को जोड़ा जा रहा है।

केस प्रबंधन प्रणाली से पक्षकारों की राह हुई आसान

राजस्थान के कृषक एवं भूमिधारक वर्ग को बेहतर कानूनी मंच के रूप में ''राजस्व मंडल'' की सेवाओं को अधिक पारदर्शी एवं सहज रूप से उपलब्ध कराने को लेकर ऑनलाइन सेवाओं का सुदृढ़ीकरण ऐतिहासिक कदम साबित हुआ है।

इस आधुनिकीकृत व्यवस्था से पक्षकारगण को राजस्व अदालतों से संबंधित सभी जानकारियां घर

बैठे मोबाइल अथवा कम्प्यूटर पर ही हासिल होने लगी है। Generalized Court Management System(GCMS) के जरिये राजस्व न्यायालयों की गतिविधियों की जानकारी देश–दुनिया में कहीं भी ऑनलाइन हासिल की जा सकती है।

राजस्थान में इन भगीरथी प्रयासों के सफल क्रियान्विति से कम्प्यूटरीकरण के रूप में क्रांतिकारी पहल का आगाज हुआ है। निश्चय ही इन दूरदर्शी एवं सर्वकल्याणकारी सोच के साथ रखी गई राजस्थान के विकास के सपनों की सफलता की मजबूत बुनियाद समूचे देश में नये कीर्तिमान स्थापित करेगी।

राजस्थान में राजस्व मण्डल से लेकर उपखण्ड न्यायालयों के समस्त वादों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक मंच पर लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। इस पर सभी राजस्व न्यायालयों की दैनिक कॉज लिस्ट, केस की वर्तमान स्थिति, निर्णय की प्रति उपलब्ध करायी जा रही है। कोर्ट कार्यों में पारदर्शिता के तहत राजस्व मण्डल द्वारा बैंच अलॉटमेंट मॉड्यूल लॉच किया गया है जिसमें मंडल अध्यक्ष सभी सदस्यों के लिये बैंच का आवंटन करते हैं, जिसकी जानकारी सार्वजनिक डोमेन पर प्रदर्शित की जाती है। जीसीएमएस कार्यप्रणाली पक्षकार, अभिभाषक एवं सरकारी तंत्र के लिए बहुउपयोगी कदम सिद्ध हो रही है, जिससे जहां आमजन को त्वरित लाभ मिलने लगा है वहीं प्रकरणों की प्रगति के संबंध में पलक झपकते ही जानकारी पारदर्शी रूप से उपलब्ध हो जाती है।

राजस्व न्यायालयों में ऑनलाइन केस रजिस्ट्रेशन की सुविधा

राज्य के राजस्व न्यायालयों में वाद दायर करने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। राज्य के सभी राजस्व न्यायालय जीसीएमएस (जनरलाइज्ड कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम) से जुड़े हुए हैं। जीसीएमएस के जरिये केस रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है। ऑनलाइन केस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अधिवक्ताओं के माध्यम से उनकी एसएसओ आईडी लॉगइन कर करायी जाती है। इससे जहां समय एवं श्रम की बचत होगी वहीं कोर्ट कार्यों में और अधिक पारदर्शिता आयेगी।

सम्मन भी ऑनलाइन भिजवाए जाएंगे

राजस्व मंडल की ओर से प्रतिदिन भेजे जाने वाले नोटिस(सम्मन) जो तहसीलदार के स्तर पर तामील कराए जाते हैं, उन्हें ई–साइन कर ऑनलाइन भिजवाने की कार्रवाई भी प्रक्रियाधीन है। यह नोटिस अब सीधे संबंधित तहसीलदार के कंप्यूटर पर ऑनलाइन भेजे जायेंगे। जिसकी हार्ड कॉपी संबंधित को तामील हो जाने के पश्चात पुनः स्कैन कर तहसीलदारों के मार्फत राजस्व मंडल को भिजवाया जा सकेगा।

''चारागाह अतिक्रमण मुक्त ग्राम'' अभियान बना वरदान

हरिओमसिंह गुर्जर
उप निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, कोटा

कोटा जिले के उपखण्ड कनवास मे स्थानीय प्रशासन द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्री राजेश डागा के नेतृत्व में चलाये गये ''चारागाह अतिक्रमण मुक्त ग्राम'' अभियान गांवों के लिए वरदान साबित हो रहा है। प्रशासन की पहल पर अब ग्रामवासी स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए आगे आ रहे हैं। अतिक्रमी भी चारागाह भूमि को छोड़कर गांवों के सामूहिक हित में स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने लगे है। उपखण्ड में 18 ग्राम पंचायतों के अधीन 95 ही ग्राम है जिनमें चारागाह अतिक्रमण मुक्त ग्राम अभियान चलाया गया। अब तक 17 ग्रामों में 1860 बीघा चारागाह भूमि अतिक्रमण से मुक्त करवाई जा चुकी है।

उपखण्ड प्रशासन द्वारा कोरोना काल में कार्य का अधिक दबाव नहीं होने पर समय का सदुपयोग करते हुए तहसीलदार के माध्यम से सभी पटवारियों से चारागाह भूमि का सीमांकन करवाने की कार्यवाही की गई। उसके बाद प्रभावशील अतिक्रमियों के नाम मय मोबाइल नम्बर प्राप्त कर सर्वप्रथम अतिक्रमण स्वेच्छा से हटाने की समझाइश की गई। सम्बन्धित ग्राम पंचायत से समन्वय स्थापित कर अतिक्रमण हटाने के साधन उपलब्ध करवाए गये। इसके बाद भी व्यक्ति अतिक्रमण करता है तो 91 के तहत मामला दर्ज कर तहसीलदार न्यायालय द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

अतिक्रमण हटाने के बाद चारागाह भूमि को ग्राम पंचायत को समर्पित करने के साथ ग्राम पंचायत के माध्यम से सुधारात्मक कार्य हाथ में लिए गये जिनमें फलदार एवं छायादार पेड़ पौधे लगाना, चारदीवारी करवाना आदि कार्य करवाये गए ताकि नरेगा के अन्तर्गत व्यक्तियों को रोजगार भी उपलब्ध हो सके। उपखण्ड प्रशासन की यह पहल अब सभी ग्राम पंचायतों के लिए प्रेरणादायी बन गई है। ग्रामीण अब स्वेच्छा से चारागाह भूमि के अतिक्रमण हटाकर विकास कार्यों के लिए आगे आ रहे हैं। वर्तमान में सावनभादों, हरिपुरामांझी व गूजरिया हेड़ी में चारागाह भूमि पर पौधारोपण का कार्य बढ़ी तेजी से चल रहा है।

दस विद्यालयों की भूमि से हटा अतिक्रमण–

उपखण्ड में विद्यालयों के खेल मैदान की भूमि में हो रहे अतिक्रमणों को हटाकर सम्बन्धित संस्था अथवा सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि आरक्षित करने का कार्य भी किया जा रहा है। स्कूल खेल मैदान अतिक्रमण मुक्त अभियान में 10 स्कूल खेल मैदानों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है।

उपखण्ड अधिकारी श्री राजेश डागा द्वारा विद्यालयों के संस्था प्रधानों को उनकी भूमि पर कब्जा करने वालों के नाम, मोबाइल नंबर सहित रिपोर्ट मांगी गई। अतिक्रमियों को फोन पर स्वयं अतिक्रमण हटाने की समझाइश कर अतिक्रमण नहीं हटाने पर पुलिस कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। इससे विभिन्न

स्कूलों के खेल मैदान जो वर्षों से अतिक्रमित थे, अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अभियान में अब तक 10 विद्यालयों के खेल मैदान अतिक्रमण मुक्त कराये गये साथ ही कुछ स्थानों पर अतिक्रमियों से ही स्कूल के विकास के लिए राशि दान भी करवाई गई।

विवादित रास्तों का हुआ निस्तारण–

कनवास उपखंड में कुल 32 व्यक्तियों को आपसी समझाइश कर सभी को स्वेच्छा से रास्ता दिलवाया गया। जिससे किसानों को उसके खेतों तक फसल बोने एवं फसल की देखरेख करने में परेशानी नही रही। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कदीमी रास्तों के संबंध में 251 के तहत 45 दिवस तक ग्राम पंचायत को निस्तारण का अधिकार होने और पंचायत को कानूनी प्रक्रिया की जानकारी के अभाव में पारित निर्णय रिमांड होने से काश्तकारो को इस प्रावधान का लाभ नहीं मिल पा रहा था। उपखण्ड प्रशासन ने ऐसे जरूरतमंद किसानों से आवेदन लेकर दोनों पक्षों से काउन्सलिंग कर 32 किसानों को रास्ता उपलब्ध कराने का कार्य किया गया।

कोरोना काल में कनवास उपखण्ड में बना अनूठा ''अन्नबैंक''

प्रदेश में कोरोना लॉक–डाउन के दौरान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंशा कि ''राज्य में कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति भूखा नहीं सोये'' को कोटा जिले के उपखण्ड कनवास में साकार करते हुए कोरोना लॉक–डाउन के दौरान उपखण्डाधिकारी श्री राजेश डागा की अनूठी पहल पर क्षेत्र के प्रत्येक गांव में अन्न बैंक बनाया गया जिसमें स्थानीय कृषकों ने स्वप्रेरणा से गेहूं एकत्रित किये। प्रत्येक गांव में इन गेहूं का भंडारण गांव के मौजीज लोगों की उपस्थिति में करवा कर जरूरतमंद परिवारों को निशुल्क वितरण भी किया गया।

राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री डागा की अन्न बैंक की पहल लॉक–डाउन के समय बाहर से आने वाले प्रवासी श्रमिकों एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित हुई। उपखण्ड अधिकारी द्वारा स्थानीय किसानों को रबी फसल की जिंस निकासी के समय आह्वान किया कि लॉक–डाउन के दौरान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अपील कि ''राज्य में कोई भूखा नहीं सोये'' को साकार करने के लिए अपनी स्वेच्छा से गांव में अन्न बैक की स्थापना कर जरूरतमंदों को वितरित करें।

प्रदेश में अपनी तरह की अनूठी इस पहल का असर हुआ कि गांव–गांव में अन्नबैंक स्थापना की होड़ हो गई। आम किसानों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों का जुड़ाव इस कार्य में निरन्तर बढता गया। गांवों से बाहर कमाने के लिए गये श्रमिकों की वापसी के समय यह अन्नबैंक अपनों के लिए अपनों के द्वारा दिया गया अमूल्य तोहफा साबित हुआ। श्रमिकों को आपदा की घड़ी में हर गांव में स्थानीय किसानों द्वारा तैयार अन्नबैंक से निशुल्क गेहूँ उपलब्ध हो गया जिससे उनके आपदा के जख्म कम हो गये। कनवास उपखण्ड में 15 ग्राम पंचायतों में खुले अन्न बैंक में 724 क्विटल गेहूँ का भंडारण किया गया। अन्नबैंक की स्थापना की पहल प्रदेश में सर्वप्रथम कनवास में ही की गई। इससे जरूरतमंद परिवारों को स्थानीय नागरिकों की समिति द्वारा प्रति परिवार गेहूँ निशुल्क प्रदान किया गया।

जागीर एक्ट– जागीर उन्मूलन एवं भूमि सुधार

घनश्याम सिंह देवल
भू–अभिलेख निरीक्षक,
कलेक्ट्रेट, जयपुर

मुस्लिम आक्रान्ताओं द्वारा अपने भारत में आगमन के समय से स्थापित होने के दौरान पश्चिम में अरावली पहाड़ी से घिरे इस रेगिस्तानी प्रदेश राजपुताना में कई स्वाधीन राजपूत राजाओं का राज था। मुस्लिम आक्रातांओं को सबसे अधिक विरोध इन राजाओं का झेलना पडा। मुस्लिम साम्राज्य के बाद अंग्रेजों के काल में ब्रिटिश शासनकारों द्वारा इन राजपूतों राज्यों को मान्यता दी गई तथा इनसे कई सन्धिया की गई तथा इस प्रकार भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में अंग्रेजी अधीनस्थ संघ व्यवस्था को जन्म दिया।

15 अगस्त 1947 को देश के आजाद होने पर इन स्थानीय राजाओं ने देश के वृहत हित में अपने हितों को भारत संघ के लिए समर्पित कर दिया। राजपुताना में तत्कालीन समय पर 18 स्वाधीन राज्य थे। इन सब के साथ कॉवनेन्ट समझौता के तहत सामयिक विलय के बाद 15.05.1949 को राजस्थान राज्य का उदय हुआ।

आजादी के समय देश स्थानीय राजाओं एवं स्थानीय जागीर व्यवस्था के तहत बंटा हुआ था। किसान को भूमि पर सीधा अधिकार नहीं था। भूमि स्थानीय जागीरदारों के माध्यम से किसानों तक दी हुई थी। राज्य एवं किसानों के मध्य इन बिचोलियों का अत्यधिक प्रभाव था।

दिनांक 20.08.1949 को भारत सरकार द्वारा श्री सी.एस. वैंकटाचारी की अध्यक्षता में मध्य भारत एवं राजपुताना में जागीरदारी प्रथा एवं भूमि पर किसानी अधिकारों के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी का उद्देश्य राज्य एवं भूमि पर उपज करने वालों काश्तकारों के मध्य सीधे सम्बन्ध स्थापित करने एवं जागीरदारी प्रथा के तहत प्रचलित प्रक्रिया के बिचोलियों का उन्मूलन करना था। दिनांक 18.12.1949 को कमेटी द्वारा जागीर पुनर्ग्रहण करने, एवं इनके लिए कतिपय चिन्हित प्रकरणों में पुनर्वास के लिए अनुदान भुगतान करने की अनुशंषा की गई।

राजस्थान में भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम बिल को राजस्थान सरकार के मन्त्रालय विभाग द्वारा 1951 में तैयार किया गया। इसे तत्कालीन राजप्रमुख द्वारा दिनांक 08.02.1952 द्वारा अनुमोदित किया गया तथा राष्ट्रपति महोदय के विचारार्थ सुरक्षित कर दिया गया। राष्ट्रपति महोदय द्वारा इस बिल पर दिनांक 13.02.1952 को मंजूरी दी गई। दिनांक 16.02.1952 की अधिसूचना जारी की गई तथा दिनांक 18.02.1952 से यह राज्य में प्रभावी हुआ।

यह अधिनियम जागीर पुनर्ग्रहण का विशेष भूमि अधिग्रहण अधिनियम है। इस अधिनियम के लिए धारा 3 के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि केन्द्रीय विधानमण्डल के साधारण खण्ड अधिनियम 1897 के अनुसार इस अधिनियम के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार यह संसद के किसी अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

इस अधिनियम की धारा 21(1) के तहत जागीर अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जाती है। इस अधिनियम के तहत की जाने वाली अधिग्रहण कार्यवाही से पूर्व इस अधिनियम की मूल मंशा के अनुरूप कार्यवाही किये जाने के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ में धारा 2 के अन्तर्गत कतिपय परिभाषाओं

को दिया गया है जो सन्दर्भ के लिए यहां पुनः प्रस्तुत है –

(क) ''कृषि वर्ष'' से जुलाई के प्रथम दिन को प्रारम्भ होकर आगामी 30 जून को समाप्त होने वाला वर्ष अभिप्रेत है।

(ख) ''कृषि'' के अन्तर्गत उद्यान कृषि भी आती है।

(ग) ''बोर्ड'' से राजस्थान राजस्व बोर्ड अध्यादेश 1949 के अधीन स्थापित राजस्थान राज्य का राजस्व बोर्ड अभिप्रेत है।

(गग) ''खुदकाश्त भूमियों के आयुक्त'' से इस अधिनियम के अधीन खुदकाश्त भूमियों के लिए आयुक्त के कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है

(घ)''विद्यमान जागीर विधि'' से इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय सम्पूर्ण राज्य अथवा उसके किसी भाग में जागीरों अथवा जागीरदारों के सम्बन्ध में प्रवृत्त कोई भी अधिनियम, अध्यादेश, विनियम, नियम, आदेश, संकल्प, अधिसूचना या उपविधि अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत –

(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय सम्पूर्ण राज्य अथवा उसके किसी भी भाग में ऐसी जागीरों अथवा जागीरदारों के सम्बन्ध में प्रचलित विधि का बल रखने वाली कोई रूढि अथवा प्रथा और

(2) जागीर अनुदत्त करने या उसके अनुदान को मान्यता देने वाले किसी आदेश या लिखित में अन्तर्विष्ट कोई निबन्धन तथा शर्तें,

आती हैं।

(ड) ''सरकार'' से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है।

(च) ''जागीर आयुक्त'' से इस अधिनियम के अधीन जागीर आयुक्त के कृत्यों का पालन करने के लिए सरकारों द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।

(छ) ''जागीरदार'' से किसी भी विद्यमान जागीर विधि के अधीन जागीरदार के रूप में मान्य कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत किसी जागीरदार से जागीर भूमि का अनुदानग्रहीता भी आता है।

(ज) ''जागीर भूमि'' से ऐसी कोई भी भूमि अभिप्रेत है जिसमें या जिसके सम्बन्ध में कोई जागीरदार भू राजस्व या किसी अन्य प्रकार की आमदनी सम्बन्धी अधिकार रखता है और इसके अन्तर्गत प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट भौमिक अधिकारों में से किसी पर भी धारित कोई भी भूमि आती है।

(झ) ''खुदकाश्त'' से किसी जागीरदार द्वारा वैयक्तिक रूप से जोती गई भूमि अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत –

(1) खुदकाश्त, सीर, हवाला के रूप में बन्दोबस्त अभिलेखों में अभिलिखित भूमि तथा,

(2) अध्याय 4 के अधीन किसी जागीरदार को खुदकाश्त के रूप में आंवटित कोई भूमि,

आती है।

(ञ) ''भूमि'' से भूमि तथा भूबद्ध चीजों से या भूबद्ध किसी भी चीज से स्थायी रूप से आबद्ध चीजों से होने वाले लाभ आते हैं और इसमें गांवों या नगरों के स्थलों के, या राज्य क्षेत्र के अन्य परिनिश्चित भागों के राजस्व या लगान में अंश या उन पर भार भी आते हैं।

(ट) ''वैयक्तिक रूप से जोती गई भूमि'' से इसके व्याकरणिक रूप भेदों तथा सजातीय अभिव्यक्तियों सहित वह भूमि अभिप्रेत है, जो अपने निमित्त–

(1) स्वयं के श्रम द्वारा या

(2) अपने परिवार के किसी सदस्य के श्रम द्वारा, या

(3) वस्तु अथवा नकद में संदेय मजदूरी पर (किन्तु फसलों में अंश के रूप में नहीं) सेवकों द्वारा या किसी के अपने पर्यवेक्षण में या अपने परिवार के किसी सदस्य के वैयक्तिक पर्यवेक्षण में किराये के श्रमिकों द्वारा,

जोती गई हो,

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति जो विधवा है या अवयस्क है या किसी शारीरिक या मानसिक निर्योग अध्यधीन है अथवा संघ की सशस्त्र सेनाओं का सदस्य है या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था का छात्र है और 25 वर्ष के कम आयु का है, के मामले में ऐसे वैयक्तिक पर्यवेक्षण में भी भूमि वैयक्तिक रूप से जोती हुई समझी जायेगी।

(टट) ''दखल की हुई भूमि'' से वह भूमि अभिप्रेत है जो किसी काश्तकार को कुछ समय के लिए पट्टे पर दे दी गई है और उसके अधिभोग में है, और इसके अन्तर्गत खुदकाश्त भी सम्मिलित है, और बेदखल भूमि से वह भूमि अभिप्रेत है जो दखल में नहीं है।

(ठ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

(ड) ''लगान'' से ऐसी कोई भी वस्तु अभिप्रेत है जो भूमि के उपयोग अथवा अधिभोग के लिए या भूमि में किसी अधिकार के लिए नकद या वस्तु में अथवा अंशतः नकद और अंशतः वस्तु में संदेय है और इसके अन्तर्गत भूमि की प्राकृतिक उपज से कोई भी आय आती है।

(ढ) ''बन्दोबस्तशुदा'' जब किसी गांव या किसी अन्य क्षेत्र के सम्बन्ध में उपयोग किया जाय, तो उससे वह गांव या अन्य क्षेत्र अभिप्रेत है जिस पर बन्दोबस्त संक्रियाओं के दौरान अवधारित लगान की दरें भविष्यलक्षी अथवा भूतलक्षी प्रभाव से लागू की गई है और यदि ऐसी दरें, ऐसे गांव या अन्य क्षेत्र के तीन चौथाई हिस्से से अन्यून पर इस प्रकार लागू की गई हैं तो, ऐसा सम्पूर्ण गांव या अन्य क्षेत्र, इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों और आदेशों के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार बन्दोबस्तशुदा समझा जायेगा।

(ण) ''राज्य'' से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है।

(त) ''शिकमी काश्तकार'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी काश्तकार से भूमि धारण करता है,

(थ) ''काश्तकार'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके द्वारा किसी जागीर भूमि के सम्बन्ध में अभिव्यक्त

अथवा विवक्षित किसी संविदा के अभाव में, लगान संदेय है या होगा और अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित के सिवाय, शिकमी काश्तकार भी इसके अन्तर्गत आता है किन्तु नियत वर्षों की अवधि के लिए कोई पट्टेदार इसमें सम्मिलित नहीं है।

(द) जागीर के सम्बन्ध में ''शुल्क'' के अन्तर्गत लेख, रकम, चतुण्ड, चाकरी या इसी प्रकार के अन्य प्रभार आते हैं।

उपरोक्त परिभाषा से भूमि के क्लिष्ट विषय को समझने एवं उनके विधिक अर्थों के लिए सुगम बनाया तथा विवाद के विषयों की स्पष्ट व्याख्या की गई। इससे राजस्व विवादों में अत्यधिक कमी आई।

इस अधिनिमय की धारा 2(ज) के तहत प्रथम अनुसूची में कुल 45 वर्ग (जागीर, सांसन, इस्तमरार, मुतसदी, चोकौती, खवास पासवान, तनखा, रिसाला, मूदा, मर्जीदान, मामला, पट्टा, इनाम, गुजारा, लालजी, उदक, खानगी, जूना जागीर, अलूफा, भोमीचारा, धोलपुर राज्य के ठिकाने, पसायता, खानपान, बाद, खिदमत, धूवा, जायदाद सींगा, ढोली, मुआफी, मिलक, टांकेदार, पुन्यार्थ, भोम, धर्मादा, सलामी, इजारा इस्तमरार, चाकना, बापौती, पेटरोटी, बख्शीश, राजवी, ताजीमी, भोगता, हजूरी, भूमि के राज्य अनुदान का कोई भी अन्य वर्ग अथवा भौमिक अधिकार) को जागीर भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है।

इस अधिनियम के तहत जागीर भूमियों पर भू राजस्व का निर्धारण किया गया। धारा 4 के अनुसार समस्त भूमियां भू राजस्व के संदाय के दायित्वाधीन की गई। इस व्यवस्था के साथ ही यह भी विधिक व्यवस्था भी की गई कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद जागीरदारों को राज्य सरकार को कोई शुल्क नहीं देना होगा साथ ही जागीर भूमि का कोई अनुदानग्रहिता को अनुदान के लिए जागीरदार को भी कोई राशि देय नहीं होगी। भू राजस्व देयता की इस व्यवस्था से मूलरूप से अनुदत्त ऐसी भूमियां जो किसी शिक्षण संस्था, धर्मार्थ संस्था या किसी धार्मिक पूजा के स्थान के लिए या धार्मिक सेवा सम्पादन के लिए उपयोग में लाई जाती है। जागीर भूमियों पर लगने वाले भू राजस्व निर्धारण का अधिकार सम्बन्धित कलक्टर में निहित किया गया।

जागीर भूमियों के लगान से होने वाली आय का अवधारण में सर्वप्रथम जिला कलक्टर द्वारा लगान आय का निर्धारण किया जायेगा। प्रत्येक जागीर आय के लिए उस जागीर के प्रत्येक गांव को पृथक पृथक सम्मिलित किया गया। जिन गांवों का बन्दोबस्त किया जा चुका था उन गांवों से राजस्व लगान की आय का निर्धारण बन्दोबस्त द्वारा तय किये गये अनुसार निर्धारित किया गया। जिन गांवों में बन्दोबस्त नहीं हुआ था उन गांवों के लिए लगान का निर्धारण इस अधिनियम के प्रारम्भ के तीन वर्षों के दौरान प्राप्त लगान राशि इसका आधार रहा। जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान लगान का अवधारण नहीं किया गया अथवा बन्दोबस्त नहीं हुआ था उन गांवों में उसी समान प्रवर्ग किस्म तथा उपयोग के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया गया।

इस राजस्व व्यवस्था से सबसे बडा फायदा तो यह हुआ कि राज्य सरकार और काश्तकार के मध्य सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया तथा समस्त प्रकार के बिचोलियों से मुक्ति मिल गई। साथ ही किसानों को बिचोलियों के प्रभाव में आकर कई प्रकार की व्यक्तिगत सेवाएं एवं कर, लाग–बाग आदि चुकाने पडते

थे, वह सब समाप्त हो गया। अब किसानों को राज्य सरकार को पूर्व गुणित के आधार पर एक निश्चित लगान राशि समय पर राज्य सरकार को देय है। इसके अतिरिक्त लोक कल्याणकारी सरकार द्वारा यदि किसी वर्ष में अकाल या बाढ या अन्य प्राकृतिक विपदा के कारण फसल उत्पादन पर कोई विपरीत असर होता है तो राज्य सरकार द्वारा समुचित विचार किया जाकर इस भू राजस्व को माफ भी कर दिया जाता है। अब तो राज्य सरकार द्वारा इस भू राजस्व को पूर्णतः माफ ही कर दिया गया है।

इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद इस अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप जागीर का उन्मूलन तो था ही, उसके साथ यह भी निर्धारित किया जाना था कि जागीर भूमि अधिग्रहण भूमि उन काश्तकारों में पुनः वितरित कर उन्हें खातेदारी अधिकार दिये जावें जो उस भूमि पर वास्तविक काश्त करते रहे थे। इस अधिनियम के अध्याय 3 में जागीर भूमियों में काश्तकारों के खातेदारी अधिकार दिये जाने के लिये नियम 9 व 10 में व्यवथा दी गई है –

धारा 9 – जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार :– जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में, जिसमें यह अन्तर्हित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त हैं, दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा।

धारा 10 – खुदकाश्त भूमि में खातेदारी अधिकार :– किसी जागीर भूमि के पुनर्ग्रहण की तारीख किसी जागीरदार की कोई भी खुदकाश्त भूमि जागीरदार द्वारा एक खातेदार काश्तकार के रूप में धारित की गई समझी जायेगी, और उस गांव की दर पर उसके सम्बन्ध में निर्धारण किया जायगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा में, अभिव्यक्ति ''गांव की दर'' से वर्तमान बन्दोबस्त में मृदा के किसी विशिष्ट वर्ग के लिए नियत की गई दर अभिप्रेत है तथा किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें बन्दोबस्त नहीं किया गया है, कलक्टर द्वारा समीपवर्ती गांव या गांवों में उसी प्रकार के मृदा के लिए प्रचलित दरों को ध्यान में रखते हुए नियत की गई दर अभिप्रेत है।

धारा 9 के अभिप्राय के लिए यह अतिआवश्यक है कि जागीर अधिनियम 1952 के प्रारम्भ के समय काश्तकार राजस्व अभिलेखों में खातेदार, पट्टेदार या खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में दर्ज रहा हो तथा ऐसे काश्तकार को काश्तकारी आनुवांशिक और पूर्ण हस्तातंरण के अधिकार प्राप्त रहे हों।

जयपुर स्टेट के समय पर उनके तात्कालिक विधियों में ''द जयपुर टीनेन्सी एक्ट–1945'' के अनुसार काश्तकार की परिभाषा निम्न प्रकार से दी गई है –

(14) 'Tenant' means the person by whom rent is, or but for a, contract, express or implied, would be payable, and, except when the contrary intention appears, includes a subtenant, but, except as otherwise expressly provided by this Act, does not include an ijaredar.

इसी जयपुर स्टेट अधिनियम के अनुसार खातेदारों को परिभाषित किया गया तथा स्टेट समय में पट्टेदार

काश्तकार, खातेदार काश्तकार एवं गैर खातेदार काश्तकार तीन प्रकार की खातेदारियां होना वर्णित है। पट्टेदार खातेदारों के अधिकारों के अवतरण एवं अन्तरण के लिए निम्न व्यवस्था दी गई थी –

Section -11 Interest of pattedar tenants –

(1) The interest of a pattedar tenant shall, on his, death pass by inheritance in accordance with his personal law;

Provided that the widow, if any, of the last male holder shall enjoy a life interest if the deceased tenant has left "no male lineal descendant in the male line of descent.

(2) The interest of a pattedar tenant is transferable ;

Provided that—

(a) in the case of a permanent transfer by voluntary sale made by a pattedar tenant being an agriculturist;

(i) such transfer shall not be made in favour of a non-agriculturist ; and

(ii) if it is made in favour of a person other than a co-sharer or a sub-tenant of the holding transferred or a person who cultivates land and resides in the village, such co-sharer, sub-tenant or person shall have a right of pre-emption in respect of the foresaid sale in the order in which they have been mentioned. A suit to enforce such right may be brought before the nazim within whose jurisdiction the holding transferred is situate within 90 days of the date on which the transfer was effected or possession acquired thereunder, whichever may fall later; and where two or more persons sue, pre-emption shall be decreed in favour of the person who cultivates the smallest area or pays the lowest rent ; and

(b) In the case of a temporary transfer made by a pattedar tenant, being an agriculturist, in favour of a non-agriculturist, the transfer shall be in one of the following forms, namely:

(i) in the form of a usufructuary mortgage by which the mortgagor delivers possession of the holding to the mortgagee and authorizes him to retain such possession and to pay the rent and appropriate the profits of the land In lieu of interest and towards payment of the principal on condition that after the expiry of the term agreed upon or if no term is agreed upon after

the expiry of 20 years, the land shall be redelivered to the mortgagor free of incumbrance ;

(ii) in the form of a mortgage without possession, subject to the condition that if the mortgagor fails to pay the rent of the holding and the principal and interest according to the contract, the mortgagee may apply to the nazim to olace him in possession for such term not exceeding twenty years as the nazim may consider equitable, the mortgage to be treated as a usufructuary mortgage for the term of the mortgagee's possession and for such sum as may be due to the mortgagee on account of the balance of principal and interest due, not exceeding the amount claimable as simple interest at such rate and for such period as the nazim considers reasonable ;

(iii) in the form of a mortgage without possession by which the mortgagor himself remains in cultivating occupancy of the land as tenant and agrees to pay the mortgagee such sum as may be agreed upon subject to the condition that if the mortgagor is ejected or surrenders or abandons cultivating occupancy of the land, the mortgage shall take effect as an usufructuary mortgage in form (i) for such term not exceeding twenty years from the date of the ejectment, surrender or abandonment and for such sura as the nazim considers reasonable.

स्वतन्त्रता से पूर्व तत्कालीन जयपुर स्टेट के द्वारा उनके नियम ''द जयपुर मातमी रूल्स 1945'' द्वारा ग्रान्ट पर भूमि दी जाती थी। इन नियमों के अनुसार स्टेट ग्रान्ट का आशय था –

"State grant" means a grant of an interest in land made or recognised by the Ruler of the Jaipur State and includes a jagir, muamla, suba, istimrar, chakoti, badh, bhom, inam, tankha, udak, milak, aloofa, khangi, bhog or other charitable or religious grant, a site granted free of premium for a residence or a garden, or other grant of a similar nature.

1. A person holding a State grant is a "State grantee."

2. "Matmi" means mutation of the name of the successor to a State grant on the death of the last holder. The person in whose name matmi is sanctioned is called the "matmidar" and the sum payable by him on his recognition as such by the State is called " matalba matmi."

3. "Nazrana" is the sum payable, in addition to matalba matmi, by an adopted

son or by a successor other than a direct male lineal descendant of the last holder."

क्र.सं	अधिनियमित का नाम	निरसन की सीमा
1.	दी बूंदी स्टेट टेनेन्सी एक्ट	सम्पूर्ण
2.	दी बीकानेर टीनेन्सी एक्ट, 1945	सम्पूर्ण
3.	दी मारवाड टीनेन्सी एक्ट, 1949	सम्पूर्ण
4.	दी जयपुर टीनेन्सी एक्ट 1945	सम्पूर्ण
5.	दी जयपुर स्टेट ग्राण्ट्स लैण्ड टेन्योर्स एक्ट 1947	सर्वेक्षण, अभिलेख और बन्दोबस्त संक्रियाओं से सम्बन्धित उपबन्धों के सिवाय सम्पूर्ण
6.	दी राजस्थान रिमुवल ऑफ ट्रीज (रेगुलेशन) आर्डिनेन्स 1949	सम्पूर्ण
7.	दी राजस्थान प्रोटेक्शन आफ टीनेन्ट्स आर्डिनेन्स 1949	सम्पूर्ण
8.	दी राजस्थान प्रोटे क्शन आफ टीनेन्ट्स आर्डिनेन्स (अमेण्डमेन्ट) 1952	सम्पूर्ण
9.	दी राजस्थान (प्रोटेक्शन ऑफ टीनेन्ट्स) अमेण्डमेन्ट एक्ट 1954	सम्पूर्ण
10.	दी राजस्थान रेवेन्यु कोर्ट्स (प्रोसीजर एण्ड ज्युरिस्डिक्शन) एक्ट 1951	सर्वेक्षण अभिलेख और बन्दोबस्त संक्रियाओं से सम्बन्धित उपबन्धों के सिवाय सम्पूर्ण
11.	दी राजस्थान प्रोड्यूस रेन्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1951	सम्पूर्ण
12.	दी राजस्थान एग्रीकल्चरल रेन्ट्स कन्ट्रोल एक्ट 1954	सम्पूर्ण

उपर्युक्त दी गई व्यवस्थाओं के अनुरूप धारा 9 के अन्तर्गत विहित ''खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में (स्टेट ग्रान्टी इत्यादि), जिसमें यह अन्तर्हित हो'' को खातेदारी अधिकार तभी प्राप्त हो सकते थे जबकि ऐसे व्यक्तियों को रिकार्ड में खातेदार पट्टेदार, खादिमदार या अन्य रूप में खातेदारी अधिकार दिये गये हों तथा ऐसी खातेदारियां आनुवांशिक हक एवं अन्तरणीय हों। अतः तत्कालीन समय पर जिन लोगों के नाम खेवट (खतौनी) में दर्ज रहे थे उन लोगों को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकते थे। गैर खातेदार आसामियों को आनुवांशिक अधिकार तो दिये गये थे लेकिन उनके अधिकार अन्तरणीय नहीं होने के कारण आज तक भी स्टेट समय के गैर खातेदारी प्रकरणों में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो पाये हैं।

यह भी उल्लेखनीय होगा कि धारा 9 में यह स्पष्ट है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय के राजस्व अभिलेखों में जिन आसामियों को उपरोक्त प्रकार से मान्यता दी गई है, उन आसामियों को ही खातेदारी

अधिकार प्रदान किये जायेंगे। इस सन्दर्भ में तत्कालीन राजस्व अभिलेखों की स्थिति की चर्चा की जाये तो यहां उल्लेखनीय होगा कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 263 के तहत द्वितीय अनुसूची में निरस्त अधिनियमितियों की सूची दी गई है जिसके अनुसार निम्न अधिनियमों को निरस्त किया गया है जो स्टेट के समय में प्रचलित नियम थे–

1. दी राजस्थान टेरिटोरियल डिविजन्स आर्डिनेन्स 1949
2. दी राजस्थान बोर्ड आफ रेवेन्यु आर्डिनेन्स 1949
3. दी राजस्थान रेवेन्यु कोर्ट्स (डेलिग्नेशन) आर्डिनेन्स 1949
4. दी राजस्थान रेवेन्यु कोर्ट्स (प्रोसीजर एण्ड ज्युरिशडिक्शन) एक्ट 1951
5. दी अलवर स्टेट लैण्ड रेवेन्यु कोड
6. दी भरतपुर लैण्ड रेवेन्यु कोड
7. दी भरतपुर लैण्ड रेवेन्यु मेन्युअल
8. दी बीकानेर लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1945
9. दी बूंदी स्टेट लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1942
10. दी बांसवाडा कवायद माल
11. दी डूंगरपुर रेवेन्यु रूल्स
12. दी जयपुर स्टेट ग्रान्ट्स लैण्ड टेन्योर एक्ट 1947
13. दी जयपुर लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1947
14. दी जयपुर विलेज सर्विसेज एक्ट 1948
15. दी करौली स्टेट लैण्ड रेवेन्यु कोड
16. दी कोटा रेवेन्यु सरकुलर्स
17. दी मारवाड लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1949
18. दी मारवाड जागीर सेटलमेन्ट रेगुलेशन 1949
19. दी कानून माल मेवाड रेवेन्यु कोर्ट्स एक्ट 1949
20. दी मेवाड रेवेन्यु कोड एक्ट 1947
21. दी शाहपुरा क्वायद दाखिल खारिज 1923
22. दी सिरोही लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1947

इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 3(1) के तहत प्रथम अनुसूची में निरसित

अधिनियमों की सूची दी गई है जो निम्न प्रकार है–

उक्त निरसित किये गये नियमों/अधिनियमों की सूची के नियम आज बाजार में उपलब्ध नहीं हैं। इन सभी नियमों में रिकार्ड आफ राइट की व्यवस्था दी गई थी। इन सभी तत्कालीन स्टेट में उक्त विधियों के अन्तर्गत नियमित अन्तराल से सर्वे एवं रिकार्ड लेखन की कार्यवाही की जाती रही है। जयपुर स्टेट के नियमों की प्रति देखने को मिली तो उसमें तत्कालीन रिकार्ड आफ राइट को उसके नियम 52 से 59 में परिभाषित किया गया है। इन नियमों के अनुसार इसमें रिकार्ड आफ राइट में कहीं भी खसरा गिरदावरी या खसरा चतुर्वर्षीय का उल्लेख नहीं है। इन नियमों के अनुसार सर्वे या रिकार्ड ऑपरेशन के द्वारा तैयार किया गया रिकार्ड ही रिकार्ड ऑफ राइट है। अतः जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रारम्भ हुआ तो जिन कातश्कारों के नाम तत्कालीन समय पर प्रभावी रिकार्ड ऑफ राइट में दर्ज थे उन काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिया जाना विधिसम्मत था। अन्यथा कतिपय प्रसंग में जहां जहां खसरा गिरदावरी में दर्ज काश्तकार के नाम पर खातेदारी अधिकार दिये गये हैं वह विधि के अनुकूल नहीं जान पड़ता है तथा जहां जहां पर खसरा गिरदावरी में दर्ज काश्तकार नाम के आधार पर खातेदारियाँ दी गई वहां राज्य के भूमि कोष को भारी हानि पहुचाई गई है।

यद्यपि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रावधान किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज लाखों किसानों को विधि के प्रारम्भ पर विधि अनुकूल व्यवस्था को अपनाते हुए खातेदारियां देकर भूमि सुधार का श्री गणेश किया गया तथा आज राजस्थान में किसान अपनी खातेदारी के अन्तरणीय एवं आनुवांशिक अन्तरणीयता (Transferable and Heritable) के विधिक अधिकारों का उपयोग करते हुए स्वाभिमान के साथ जीवन यापन कर रहे हैं।

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि. / टीए / 9526 / 2008 / चित्तौड़गढ़

1. किशनलाल
2. प्रकाश चन्द पुत्रगण मोतीलाल
   समस्त जाति ब्राहमण निवासी कोटुन्दा तहसील बेगू जिला
   चित्तौड़गढ़

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़
2. तहसीलदार, बेंगू

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ

श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

श्री महेन्द्र कुमार पारख, सदस्य

उपस्थित

श्री जी.एस. लखावत, अधिवक्ता अपीलार्थीगण

श्रीमती पूनम माथुर, अति. राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

दिनांक 15.10.2020

निर्णय

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16–06–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध ग्राम काटून्दा स्थित विवादित आराजी खसरा नम्बर 612/2 रकबा 10बिस्वा नवीन खसरा नम्बर 472 रकबा 13बिस्वा बाबत् प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा मूल वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद को खारिज किये जाने की प्रार्थना की। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तीन विवाद्यक विरचित कर उभयपक्ष पक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध की। तत्पश्चात् उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 13–11–2006 से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादीगण अपीलार्थीगण की ओर से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16–06–2008 से खारिज कर दिया। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील द्वितीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह पूर्णतयाः साबित है कि अपीलार्थीगण के पिता को किये गये नियमन के अनुसरण में अभिलेख में इन्द्राज राजस्व कर्मचारियों को करना तथा उनके द्वारा की गयी त्रुटि तथा भू–प्रबन्ध कर्मचारियों द्वारा की गयी त्रुटि का दोषी अपीलार्थीगण को नहीं माना जा सकता जबकि अपीलार्थीगण विवादित आराजी पर भौतिक रूप से काबिज है तथा उनके द्वारा कोई विधि विरूद्ध कार्य नहीं किया एवं मूल आदेश जो नियमन बाबत् है वह किसी सक्षम अधिकारी द्वारा कभी भी निरस्त नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में इस अभिलेख में समुचित अंकित करने बाबत् अन्तिम उपचार इन्द्राज दुरूस्ती बाबत् वाद अपीलार्थीगण को प्राप्त था तथा विचारण न्यायालय द्वारा अप्रासंगिक बिन्दुओं पर जाकर अवैध निर्णय पारित किया तथा अपीलीय न्यायालय ने भी बिना कोई विधि पूर्ण विवेचना किये विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को सही मानकर अपील निरस्त किया, वह द्वितीय अपील के माध्यम से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने भूमि के बाडे बाबत् नियमन व नियमन के उपरान्त अभिलेख में खातेदारी बाबत् अंकन को अपने निर्णयों का आधार बनाया जबकि नियमन के उपरान्त जो भी इन्द्राज अभिलेख में वास्तव में किया जाना चाहिए उसके बाबत् विचार कर अपीलार्थीगण को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा ऐसा नहीं कर तकनीकी अडचनों तथा जटिल बिन्दुओं को निर्णय का आधार बनाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित

की गयी है, जो तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों को निरस्त किया जाकर वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जावे।

5. इसके विपरीत योग्य अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी की किस्म बाड़ा है, जिस पर वादीगण अपीलार्थीगण को प्रावधित प्रावधानों के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायेाचित नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णय व डिक्री तथा विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम काटून्दा स्थित आराजी खसरा नम्बर 612/2 रकबा 11बिस्वा, नवीन खसरा नम्बर 472 रकबा 11बिस्वा भूमि अपीलार्थीगण के पिता मोतीलाल पुत्र नाथूलाल को दिनांक 13–10–1968 को आवंटित/नियमन की गयी। आवंटन उपरान्त आवंटित भूमि का नामान्तरकण संख्या 261 दिनांक 31–05–1971 को आवंटी के पक्ष में स्वीकृत हुआ किन्तु वरवक्त आवंटन भू–प्रबन्ध का कार्य चलने से उक्त आवंटन एवं स्वीकृत नामान्तरकरण का इन्द्राज राजस्व अभिलेख में नहीं हुआ तथा भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त संदर्भित भूमि का अंकन राजकीय भूमि (बाड़ा) 13बिस्वा किया गया। फलस्वरूप वादीगण अपीलार्थीगण की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष संदर्भित आराजी की खातेदारी घोषित करने हेतु वाद प्रस्तुत किया। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित आराजी वादीगण अपीलार्थीगण के पिता मोतीलाल को आवंटन/नियमन की गयी थी। विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 612/2 से बने हाल खसरा नम्बर 472 की किस्म राजकीय भूमि बाड़ा राजस्व अभिलेख में दर्ज होने से दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं अपील को खारिज किया गया है। विचारण न्यायालय के द्वारा तनकी संख्या 1 का निर्णय तर्कसंगत नहीं किया गया है तथा यह कथन विधिक नहीं है ''13–10–1968 के नियमन का नामान्तरकरण 31–5–1971 तीन वर्ष बाद खोले लाने से संशय की स्थिति बनती है।'' जबकि प्रकरण में आवंटी के पक्ष में दिनांक 13–10–1968 को किये गये नियमन तथा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 261 दिनांक 31–05–1971 को अमान्य किये जाने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई विवेचना एवं विश्लेषण नहीं किया गया। ना ही यह अभिनिर्धारित किया गया कि हाल खसरा नम्बर 472 राजस्व अभिलेख में बाड़े के रूप में सिवायचक दर्ज होने से एवं इसके साबिक खसरा नम्बर 612/2 वादीगण के पिता को आवंटन उपरान्त जरिये नामान्तरकरण संख्या 261 से खातेदारी प्राप्त करने के उपरान्त हाल खसरा नम्बर 472 पर वादीगण अपीलार्थीगण का हक व अधिकार निहित है अथवा नहीं? इसके साथ ही इस बिन्दू पर भी विचार किया जाना आवश्यक है कि यदि साबिक खसरा नम्बर 612/2 अपीलार्थीगण के पिता को बाड़े के रूप में नियमन हुआ हो तो इसकी प्रविष्टि जमाबन्दी में बाड़े के रूप में होनी

चाहिए थी, जिसे भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सिवाय चक बाड़ा के रूप में की गयी प्रविष्टि के सम्बन्ध में भू–प्रबन्ध संक्रियाओं के उपरान्त उन प्रविष्टियों के सम्बन्ध में विवादों का निस्तारण जिला कलक्टर के क्षेत्राधिकार में है। प्रकरण में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 3–7–1971 का उद्दरण दिया गया, जिसमें 31–12–1970 से पूर्व तक के मकान/बाड़ों के नियमन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश हैं, जो इस प्रकार है–

सरकारी भूमियों पर अनाधिकृत रूप से 31-12-1970 से पूर्व तक के बनाये गये मकान व बाड़ों का नियमन-

1. ऐसे सभी व्यक्तियों जिन्होंने राजकीय सिवायचक भूमि पर चारागाह (गोचर) या वन भूमि एवं गैर भूमि या आबादी भूमि पर 18फरवरी, 1955 तक रहने का मकान या बाड़ा बना लिया है ऐसे मामले निःशुल्क नियमन किये जाकर उनको मालिकाना हक दे दिया जाये बशर्ते कि सरकार अनाधिकृत कृषि भूमि, गोचर भूमि, गैर मुमकिन भूमि, चरागाह एवं वन भूमि जिसका स्वयं के उपयोग के लिए हरने हेतु मकान निर्माण द्वारा बाड़ा बनाकर अवैध रूप से रूपान्तरण या अतिक्रमण किया गया हो।

2. ऊपर वर्णित पैरा–1 के अतिरिक्त व्यक्तियों के मामले भी यदि उन्होंने भी इसी प्रकार अनाधिकृत कृषि भूमि, गोचर भूमि, गैर मुमकिन भूमियां, वन भूमि पर 18फरवरी, 1955 के उपरान्त परन्तु 31–12–1970 से पूर्व मकान या बाड़ा बनाकर रूपान्तरण या अतिक्रमण कर लिया हो तो उनसे भी 25 पैसे प्रति वर्ग गज प्रीमियम लिया जाकर मालिकाना हक दे दिया जाये बशर्ते कि भूमि पैरा 1 में वर्णित सीमाओं के अन्दर स्थित न हो।

3. उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण उक्त बिन्दुओं पर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

4. परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–6–2008 एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–11–2006 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण निर्णय के पैरा संख्या–7 में किये गये विवेचन अनुसार सम्यक परीक्षण उपरान्त निर्णय पारित करने हेतु विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेंगू को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र कुमार पारख)
सदस्य

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य

W.R.

BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER

Revision/TA/2016/7263/Alwar

Ramswaroop S/o Gyarsya By Caste Gujjar R/o Village Bhendiwas Tehsil Bansur District Alwar - Petitioner

VERSUS

Puran Son of Kanhiram By Caste Chamar Resident of Mirzapur Tehsil Mundawar District Alwar -Non Petitioner

*****

S.B

Shri Ravi Dangi,Member

Present:

1.Shri Rohit Soni, Counsel for Petitioner

2. Shri Ghanshyam Charan, Counsel for Non-Petitioner

ORDER

Dated:23-10-2020

This revision under Section 230 read with 221 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 has been filed by the petitioner aggrieved by the order dated 13.10.2016 passed by the learned Assistant Collector, Bansur, Alwar in case No.101/2014, whereby the petitioner's application under Order 26 Rule 9 of CPC has been rejected.

2. The learned counsel for the revisionist/petitioner, has raised following contentions before this Court: Firstly, the application filed by the petitioner has been dismissed without even looking into the averments mentioned in the application and arguments urged by the Counsel for the petitioner as well as per the scope of order 39 rule 7 CPC & order 26 rule 9 CPC and thus, the impugned order deserve to be quashed and set aside. Also the learned lower Court has

failed to understand the provision of order 39 Rule 7 CPC which say that whenever there is necessity for elucidating any matter in dispute the court must either itself or by the way of appointing Commissioner order for inspection of subject matter of the case in order to reach a definite conclusions. Refusal of such request to appoint local commissioner for local investigation amounts to failure of exercise of jurisdiction vested in the courts. Where local inspection is requisite under Order 39 Rule 7 CPC for elucidating in matter in dispute the prayer for appointment of commissioner cannot be refused. Secondly,that the learned Lower court did not even bother to go through the facts mentioned in the application filed by the petitioner that both the parties are giving different statement about position of the land in question so the status of land may be called for proper adjudication as well as the arguments urged before learned Lower court that non petitioner is bent upon changing the agriculture nature of the dispute Land by destroying the water courses and boundary of fields despite stay order of learned Lower court and he also threatened the petitioner to cut the green tree standing over the disputed land and to construct some pucca construction with clearly shows the intentions of the non-petitioner to flout the temporary injunction granted by the trial court.Thirdly,the site Inspection Report of disputed land is necessary and must to be called in order to assess any disobedience if committed by the non petitioner in future and the site InspectionReport is also necessary to be called in order to know the physical possession of the land that whether the whole land is cultivating with Doll or not ,well and house is constructed or not and crops are standing or not so that the actual position of land may be in the eye sight of the learned court while deciding the case.Fourthly, the suit land must be preserved during the pendency of the suit as per the intent of section 212 of the Rajasthan Tenancy Act 1955 but as far as the impugned order is concerned learned lower court has not mentioned even a single word about the above-mentioned factual position as well as the need and requirement of the site Inspection Report required by the facts and circumstances of the matter. The application filed by the petitioner has been dismissed merely and a very casual and arbitrary order has been passed which cannot be allowed to stand on record and the order passed by the learned lower court is non speaking, non reasoned & a vague order & such an order is no order in the eyes of law. For a proper order or judgment learned Court is required to state brief and concise facts of the case,

points for determination, decision thereon and reason thereof. All the above mentioned ingredients for a valid order are absent so far as the impugned order is concerned. Fifthly, the Learned lower court has erred to have rejected the application for appointment of Commissioner filed by the petitioner on the ground that the revenue record and the evidence are sufficient for justice while from all the evidence the actual position of land can't be put up before the learned lower court whenever the actual justice take place its role . Thus, the revision may be pleased to be allowed.

3. The learned counsel for the non-petitioner opposed the above submission and argued that the impugned order is just and proper and as per the law.

4. Heard the learned counsels and perused the impugned order and the record.

5.Firstly, on behalf of the petitioner an application under Order 26 rule 9 of CPC was filed on 5.10.2016 in which the main prayer was as follows :

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजीज व्यक्ति से मौका रिपोर्ट मय नक्शा बिंदुवार मंगवाया जाने के आदेश फरमाए जावे खर्चा कमिश्नर प्रार्थी आज करने को तैयार है

There is clear distinction between the two provisions of Law .Order 26 of the Code of Civil Procedure deals with Commissions. While Rules 1 to 8 deal with appointment of Commission for examination of a witness, Rule 9 deals with Commissions to make local investigations.

Order 26 Rule 9 is as under:-

“Commissions to make local investigations.-- In any suit in which the Court deems a local investigation to be requisite or proper for the purpose of elucidating any matter in dispute, or of ascertaining the market-value of any property, or the amount of any mesne profits or damages or annual net profits, the Court may issue a commission to such person as it thinks fit directing him to make such investigation and to report there on to the Court:

Provided that, where the State Government has made rules as to the persons to whom such commission shall be issued, the Court shall be bound by such rules.”

On the other hand, Order 39 deals with temporary injunctions and interlocutory orders. Order 39 is divided into two parts: the first part deals with temporary injunctions which include Rules 1 to 5, and the second part deals with interlocutory orders which deals with Rules 6 to 10.

Order 39 Rule7 is as under:-

“Detention, preservation, inspection, etc., of subject-matter of suit.- (1) The

WR

Revision-TA-4383-2020JALORE
SANWARLARAM VS JAIRUPARAM

S.B.

Shri Ravi Dangi, Member

Present:-

Shri Mukesh Jain, Counsel for the petitioner.

Shri Hardutt Saharan, Counsel for the non-petitioners.

*****

ORDER

This revision has been filed under Section 230 read with 221 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 against the order of the Revenue Appellate Authority, Pali dated 4.11.2020 in appeal No.51/2020.

Briefly the factual matrix is as follows: that the petitioner is the owner of ¾th part of araji khasra no.1202 admeasuring 9.55 hectares. At the same time the non-petitioner no.1 was the owner of ¼th of the land in question. It is alleged that the petitioner vide an agreement dated 1.10.2010 had purchased the land from the non-petitioner and paid consideration of Rs.6.25 lacs. However, thereafter cross F.I.Rs were filed in July-2020 bearing no.80/2020 and 93/2020. On this an Istgasa was filed by S.H.O. Police station Bagoda District Jalore on 5.8.2020 before the learned S.D.M. Bagoda under Section 145 Cr.P.C. On this the learned S.D.M. in case No.2/2020 under Section 145 Cr. P.C. passed an order dated 2.11.2020 saying that Istgasa may be registered and notices be issued to both the parties and the next date of hearing was given as 17.11.2020. However, the non-petitioner filed an appeal against the said order before the learned Revenue Appellate Authority, Pali under Section 225 of the Rajasthan

Tenancy Act, 1955, who vide his order dated 4.11.2020 in appeal no.51/2020 passed an exparte order of attaching the land and appointing a receiver. Against the order, this revision has been filed.

Heard both the learned counsels.

The learned counsel for the petitioner vehemently argued that the learned Revenue appellate Authority, Pali had no jurisdiction to intermeddle into the order of S.D.M., Bagoda. He argued that the learned lower court has passed an order under Section 145 Cr.P.C. and however, against which, the non-petitioner could have filed revision before the Sessions Court, Pali. However, learned Revenue Appellate Authority, Pali has transgressed his jurisdiction. He had no authority to pass such an order dated 4.11.2020 vide which the ex-parte order of attachment and appointment of receiver was made.

The learned counsel for the non-petitioner filed two applications saying that the order dated 4.11.2020 of the learned Revenue Appellate Authority, Pali has been executed and thus this revision has become infructuous. Apart from this he has also said that the order dated 4.11.2020 passed by the learned Revenue Appellate Authority Pali was an interim order against which the revision is not maintainable.

Heard the arguments advanced by both the learned counsels and carefully perused the record.

On 2-11-2020 the learned S.D.M. Bagoda registered the complaint under Section 145 Cr.P.C. and issued notices to both the parties and gave the next date of hearing as 17.11.2020. Against this, on 4.11.2020 an appeal under Section 225 of Rajasthan Tenancy Act, 1955 was filed before the learned Revenue appellate Authority, Pali, who passed the impugned ex-parte order dated 4.11.2020 attaching the disputed land and appointed the receiver.

The mute question to be decided is whether the Revenue Appellate

Authority has jurisdiction to hear an appeal under Section 225 of the Rajasthan Tenancy Act, against an order under Section 145 Cr.P.C. or not.

To begin with, in such cases, the Revenue Appellate Authority sans jurisdiction. An appeal under Section 225 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 was not maintainable against the order of the S.D.M. Bagoda under Section 145 Cr.P.C. In passing such an order the Revenue Appellate Authority, Pali transgressed his jurisdictional domain and thus, the order dated 4.11.2020 was ***ab initio void***. An order without jurisdiction is a nullity. From the observations made above the impugned order can be safely be said to suffer from the vice of ***coram non judice***.

Due to the aforesaid reasons, the revision of the petitioner deserves to be allowed and the two applications of the non-petitioners are rejected.

In nutshell, as per Section 221 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 and in the interest of justice the revision is accepted at the admission stage and the order of the learned Revenue appellate Authority, Pali dated 4.11.2020 is set aside with all consequential effects.

Pronounced in open court.

(Ravi Dangi)

Member

WR

अपील/एलआर/1487/2013/जैसलमेर
कलवंत सिंह बनाम सेवकसिंह

<u>एकल पीठ</u>

श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

<u>उपस्थित–</u>

श्री एस.एन.बेनिवाल, अभिभाषक अपीलांट

श्री मृणाल शर्मा, अभिभाषक रेस्पो0

दिनांक : 09.12.2020

निर्णय

यह द्वितीय अपील अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी जैसलमेर द्वारा प्रकरण सं. 762/2012 में पारित निर्णय दिनांक 26–2–2013 के विरूद्ध धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट सं.1 को नहरी क्षेत्र में कृषि भूमि के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पर चक नं. 24 पी.डी. के मुरब्बा नंबर 141/35 में भूमि का आवंटन किया गया। बाद आवंटन रेस्पोडेन्ट उक्त आराजी पर काबिज हो गया। दिनांक 10–12–2012 को रेस्पोडेन्ट द्वारा एक इकरारनामा अपीलांट के हक में तहरीर किया गया, जिसमें चक 24 पी.डी. तहसील मोहनगढ़ जिला जैसलमेर के मुरब्बा नंबर 141/35 रकबा 25 बीघा आवंटित कमाण्ड कृषि भूमि के बाबत तहरीर करते हुए उक्त आराजी का बेचान अपीलांट के हक में बिलमुक्ता 11लाख रूपए में करना तय किया, जिसकी ऐवज में रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त इकरारनामे के प्रथम पृष्ठ की पुश्त पर बतौर पेशगी 10लाख रूपए दिनांक 19–6–2012 को प्राप्त करना अंकित किया। इसी के साथ एक मुख्तयार आम रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट के हक में दिनांक 10–2–2012 को तहरीर करवा दिया। इसके पश्चात अपीलांट द्वारा उक्त आराजी का विक्रय पत्र दिनांक 22–6–2012 को अपने हक में तहरीर करवाते हुए भूमि का सम्पूर्ण प्रतिफल रेस्पोडेन्ट को अदा कर दिया जिसके पश्चात् उक्त आराजी का नामान्तरकरण अपीलांट के हक में दिनांक 29–6–2012 को तस्दीक कर दिया गया। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा एक अपील अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील

प्राधिकारी जैसलमेर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 26–2–2013 द्वारा स्वीकार करते हुए उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कर दिया। उनका कथन है कि वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर खरीद की गई है जिसे अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट को भूमि का प्रतिफल अदा करने के पश्चात क्रय की है एवं उसी के आधार पर अपीलांट के हक में तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण दिनांक 29–6–2012 को तस्दीक किया गया जिसे बिना किसी कारण के अधीनस्थ न्यायालय ने गलत तथ्यों के आधार पर खारिज किया है। उक्त नामान्तरकरण को खारिज करने हेतु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने जो तथ्य लिये हैं कि वर्तमान अपीलांट के हक में जो मुख्त्यारआम तहरीर किया गया था वह अपंजीकृत है एवं ना ही नोटेरी से तस्दीक है, इस कारण उसके आधार पर किया गया कोई भी हस्तान्तरण अवैध है, वह कतई निराधार है। कानून का सर्वमान्य सिद्धांत है कि जहां किसी आराजी का हस्तान्तरण पंजीकृत दस्तावेज द्वारा किया गया है तो उसके आधार पर क्रेता के हक में नामान्तरकरण दर्ज किया जाना कानूनी तौर पर जरूरी है एवं उक्त पंजीकृत दस्तावेज सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं हो जाता तब तक उक्त नामान्तरकरण को निरस्त नहीं किया जा सकता। उक्त कानूनी तथ्य को नजरअंदाज करते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, वह निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आक्षेपित निर्णय दिनांक 26–2–2013 निरस्त किया जावे तथा अपीलांट के हक में तस्दीक नामान्तरकरण दिनाक 29–6–2012 को बहाल रखे जाने के आदेश प्रदान किये जावें। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने 2004 आरबीजे 514, 2006 आरबीजे 136, 2011 आरबीजे 88 के न्यायिक दृष्टांत उद्‌धृत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर आवंटन अधिकारी द्वारा चक 24 पी.डी. के मु0नं0 141/35 रकबा 24 बीघा 5 बिस्वा कमाण्ड भूमि का विशेष आवंटन किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट के फर्जी हस्ताक्षर करवाकर उसके आधार पर फर्जी मुख्त्यारआम बना लिया जो फर्जी मुख्त्यारआम न तो नोटेरी से प्रमाणित है और ना ही रजिस्टर्ड है तथा इसी फर्जी मुख्त्यारआम के आधार पर दिनांक 22–6–2012 को वादग्रस्त भूमि की रजिस्ट्री अपीलांट ने अपने नाम करवा ली जिसके संबंध में रेस्पोडेन्ट द्वारा संबंधित पुलिस थाना में दिनांक 13–9–2012 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिसमें अपीलांट को आरोपी बनाया गया है। FSL रिपोर्ट में भी सेवक सिंह के साइन को फर्जी बताया। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त फर्जी रजिस्ट्री के विरूद्ध जिला न्यायालय जैसलमेर में घोषणात्मक वाद एवं दावा अन्तर्गत धारा 31 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 निरस्तीकरण बेचाननामा, मुख्त्यारनामा तथा रजिस्ट्री निरस्तीकरण का पेश किया हुआ है। अपीलांट द्वारा उक्त मुरब्बा की रजिस्ट्री करवाने के बाद उक्त भूमि पर भू–माफिया से मिलकर कब्जा करने तथा भूमि किसी अन्य को विक्रय करने की फिराक में है। जहां विवाद है वहां कब्जे की बात गौण है। बिना विधिक कब्जे के नामान्तरण नहीं खोला जा सकता। इसलिए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने 2015(1)

आरआरटी 39, एआईआर 1986 पंजाब 214 के न्यायिक दृष्टांत उद्धृत किये।

बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उद्धृत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मुख्तयारआम की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त मुख्त्यारआम ना तो नोटेरी से प्रमाणित है और ना ही उक्त दस्तावेज का सब रजिस्ट्रार से पंजीयन करवाया गया है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त दस्तावेज अप्रमाणित व अपंजीकृत होने के कारण ग्राह्य दस्तावेज नहीं है और अपीलांट द्वारा इसी दस्तावेज के आधार पर दिनांक 22–6–2012 को स्वयं के नाम वादग्रस्त भूमि की बेचान की रजिस्ट्री करवाई गई है। अपीलांट द्वारा इकरारनामा अलग करवाया गया और उसके बाद मुख्त्यारआम अलग से करवाया गया, जो न तो किसी नोटेरी या सब रजिस्ट्रार के द्वारा प्रमाणित/पंजीकृत है। चूंकि जब मुख्त्यारनामा ही प्रथमदृष्ट्या गलत है और उसके आधार पर जो रजिस्ट्री करवायी गई है, वह संदेहास्पद एवं शून्य है तथा जिसके आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है वह भी गलत व शून्य होने के कारण अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है जो उचित प्रतीत होता है। जो दस्तावेज देखने मात्र से ही प्रभावहीन एवं शून्य प्रतीत होता है ऐसे में राजस्व न्यायालय उसके आधार पर निर्णय पारित कर सकता है। जो दस्तावेज वोइडेबल है तो उसे सक्षम न्यायालय से वोइड घोषित कराया जा सकता है लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली पर मौजूद दस्तावेज से यह प्रमाणित है कि अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट के साथ छल एवं कपट द्वारा रजिस्ट्री करायी गई थी और उसके आधार पर नामान्तरकरण खोला गया था वह गैर कानूनी एवं शून्य था, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने सही रूप से खारिज किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत न्यायिक दृष्टान्त तथ्यों की भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी जैसलमेर का निर्णय दिनांक 26–2–2013 बहाल रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)

सदस्य

WR

(1) निगरानी/टीए/2074/2018/बूंदी केसरीलाल बनाम लक्ष्मीनारायण
(2) निगरानी/टीए.//3482/2005/बूंदी मूर्ति रघुनाथजी बनाम लक्ष्मीनारायण

एकल पीठ
सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–

श्री जी.एस.लखावत, अभिभाषक प्रार्थी

श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, अभि0 अप्रार्थी

दिनांक : 16.10.2020

निर्णय

उपरोक्त दोनों निगरानियां राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 247/03 एवं 248/03 में पारित निर्णय दिनांक 2–4–2005 के विरूद्ध धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की गई है। निगरानी के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है।

उक्त दोनों निगरानियों की विषय–वस्तु एवं निर्णायक बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों मे संलग्न की जावे।

सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा उक्त दोनों प्रकरणों में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते तर्क फरमाने नाम, दोनों पक्षों की सहमति से स्वीकार किये जाकर अप्रार्थी संख्या 4 प्रभु बाई पत्नी कन्हैयालाल का नाम तर्क किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का बहस में कथन है कि अप्रार्थी ने एक दावा सहायक कलक्टर, के0पाटन के न्यायालय में प्रार्थी के विरूद्ध धारा 88, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि खसरा नंबर 412 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा, 101 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 487 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा, 283 रकबा 16 बीघा 3 बिस्वा, 182 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 52 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील के0पाटन में स्थित है जो उन्हें कन्हैयालाल पुत्र रामरतन की मृत्यु पश्चात उनके वारिसान को प्राप्त हुई है तथा खसरा नंबर 283 की 16 बीघा 3 बिस्वा पर प्रार्थी ने जबरन कब्जा कर लिया है अतः प्रार्थी को उक्त भूमि से बागुजाश्त करा कर उन्हें कब्जा दिलाया जावे तथा प्रार्थी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। उक्त अप्रार्थीगण का वाद परीक्षण न्यायालय ने 110/92 पर दर्ज किया। उक्त वाद का प्रार्थी ने प्रतिवाद पेश किया तथा निवेदन किया कि सेटलमेन्ट से पूर्व

उक्त विवादित भूमि मंदिर रघुनाथ जी की थी। अप्रार्थी/वादी ने सेटलमेंट के दौरान उक्त भूमि पर अपना नाम अंकित करा लिया जो गलत है। इसलिए वादीगण मंदिर की भूमि पर खातेदारी अधिकार एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। यह अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद दिनांक 20–5–2000 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 11–6–2002 को वाद को नंबर पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो दिनांक 5–11–2003 को खारिज कर दिया गया। साथ ही प्रार्थी मूर्ति मंदिर द्वारा भी परीक्षण न्यायालय में एक वाद अधिकार घोषणा एवं बेदखली का खसरा नंबर 101 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 487 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा, 583 रकबा 16 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 35 बीघा 1 बिस्वा बाबत अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया गया था जो मूर्ति मंदिर रघुनाथ जी बनाम लक्ष्मीनारायण के नाम से दर्ज हुआ तथा परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 18–9–98 को दोनों दावों को कंसोलिडेट करने के आदेश प्रदान कर दोनों दावों की सुनवाई एक साथ किए जाने की आज्ञा पारित कर दी। इस कारण दोनों दावों का परीक्षण एक साथ चल रहा था। यह कि अप्रार्थी ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र (संख्या 86/02) प्रस्तुत कर वाद को नम्बर पर लिए जाने व प्रार्थी मूर्ति मंदिर के वाद में आर्डर 9 रूल 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र (संख्या 80/02) प्रस्तुत किया, जो दोनों प्रार्थना पत्र दिनांक 5–11–2003 को खारिज कर दिये गये। परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र 86/02 एवं 80/02 में पारित आदेश दिनांक 5–11–2003 के विरूद्ध अप्रार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष अपील क्रमशः संख्या 247/03 एवं 248/03 पेश की, जिन्हें अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 2–4–2005 द्वारा आंशिक स्वीकार करते हुए अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दावे में पेश धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत नियुक्त किए गए रिसीवर आदेश को रेस्टोर कर विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त कर दिया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील संख्या 247/03 में पारित निर्णय दिनांक 2–4–2005 के विरूद्ध प्रार्थी केसरीलाल ने निगरानी संख्या 2074/2018 तथा अपील संख्या 248/03 में पारित निर्णय दिनांक 2–4–2005 के विरूद्ध प्रार्थी मूर्ति रघुनाथ जी ने निगरानी संख्या 3482/05 पेश की है। प्रार्थी के अधिवक्ता कथन है कि अप्रार्थी का दावा दिनांक 20–5–2001 को खारिज हो गया तथा प्रार्थी का दावा डिक्री कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा दावे को पुनः नंबर पर लिए जाने का प्रार्थना पत्र भी दिनांक 5–11–2003 को खारिज हो गया। इस प्रकार धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत आदेश की भी कोई विधिक मान्यता नहीं रही तथा केवल दावे को ही नम्बर लिये जाने हेतु कार्यवाही की गई, जो खारिज हो गई परन्तु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण को वापिस नम्बर पर लिए जाने बाबत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित आदेश को एकतरफा कार्यवाही को निरस्त कराने के प्रार्थना पत्र के निस्तारण में समाहित करते हुए विवादित भूमि पर दिनांक 18–9–98 को नियुक्त रिसीवर के आदेश को बहाल करते हुए भूमि पर रिसीवर नियुक्ति के आदेश देकर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील में केवल यही देखना था कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत एकतरफा कार्यवाही निरस्त कराने का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है

अथवा नहीं परन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अप्रार्थी द्वारा दावे में प्रस्तुत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र में दिए गए आदेश को रेस्टोर करते हुए विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त करने में भारी भूल की है। अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय न्यायालय द्वारा उक्त दोनों प्रकरणों में पारित निर्णय दिनांक 2—4—2005 पूर्णतया अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अंत में उन्होंने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के मद्धेनजर निगरानी पेश करने में हुई सद्भाविक देरी को क्षमा करते हुए निगरानी को अन्दर मियाद शुमार किये जाने एवं निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित निर्णय दिनांक 2—4—2005 को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया।

विद्वान अधिवक्ता ने अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं केवलमात्र दिनांक 20—5—2000 को अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए मूर्ति मंदिर का दावा दिनांक 26—4—2001 को डिक्री कर दिया और अप्रार्थी का दावा खारिज कर दिया गया तथा आदेश दिनांक 5—11—2003 द्वारा अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिए। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 2—4—2005 द्वारा अप्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 5—11—2003 को अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। उन्होंने उक्त दोनों प्रकरणों में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 2—4—2005 को विधि सम्मत बताते हुए निगरानियां सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने आरबीजे (8) 2001 पेज 45 का न्यायिक दृष्टांत उद्धृत किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी पक्ष द्वारा उक्त दोनों प्रकरणों में प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर उक्त दोनों निगरानियों को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 86/02 एवं 80/02 में पारित आदेश दिनांक 5—11—2003 के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील क्रमशः संख्या 247/03 एवं 248/03 प्रस्तुत की गई, जो आक्षेपित निर्णय दिनांक 2—4—2005 आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 5—11—03 को अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये हैं। साथ ही विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाकर ताफैसला दावा रिसीवर को कब्जा काश्त बनाये रखने का आदेश दिया है। प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील में केवल यही देखना था कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत एकतरफा कार्यवाही निरस्त कराने का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है अथवा नहीं, परन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अप्रार्थी द्वारा दावे में प्रस्तुत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र में दिए गए आदेश को रेस्टोर करते हुए विवादित भूमि

पर रिसीवर नियुक्त करने का आदेश पारित कर दिया। इस संबंध में पत्रावली एवं आक्षेपित निर्णय दिनांक 2–4–2005 के अवलोकन से यह मुख्य रूप से यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि अप्रार्थीगण द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष वाद संख्या 110/92 को रेस्टोर करने हेतु प्रार्थना पत्र संख्या 86/02 एवं वाद संख्या 44/97 में पारित एकतरफा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–4–2001 को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र संख्या 80/02 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13सीपीसी प्रस्तुत किये थे जिन्हें परीक्षण न्यायालय ने आदेश दिनांक5–11–2003 द्वारा खारिज कर दिये, तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को परीक्षण न्यायालय द्वारा उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों पर पारित आदेशों की औचित्यता बाबत ही निर्णय पारित करना था कि परीक्षण न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किये गये हैं, वे उचित हैं अथवा नहीं?किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में परीक्षण न्यायालय द्वारा रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र एवं आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर पारित आदेशों की औचित्यता बाबत कोई विवेचन ही नहीं किया अपितु अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर विवादित भूमि पर तहसीलदार इन्द्रगढ को ताफैसला दावा रिसीवर नियुक्त किये जाने का आदेश पारित कर दिया, जो पूर्णतया अविधिक, मनमाना एवं क्षेत्राधिकारविहीन होने से किसी भी प्रकार से समर्थन योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में आक्षेपित निर्णय दिनांक 2–4–2005 को निरस्त कर सारगर्भित एवं पूर्ण विवेचनयुक्त निर्णय पारित करने हेतु उक्त दोनों प्रकरणों को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना हम न्यायोचित समझते हैं। हमने अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया। हमारे विनम्र मत में उक्त उद्धृत न्यायिक दृष्टांत तथ्यों की भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त दोनों निगरानियां स्वीकार की जाती हैं तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 247/2003 एवं अपील संख्या 248/2003 में पारित निर्णय दिनांक 2–4–2005 निरस्त किया जाता है तथा उक्त दोनों प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा को प्रतिप्रेषित किये जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त व्डेमतअंजपवद को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारान को सुनकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)

सदस्य

WR

निगरानी/टीए./2232/2019/अलवर
ग्यारसाराम बनाम लक्ष्मी देवी व अन्य

एकलपीठ
श्री सतीश चन्द्र गोदारा, सदस्य

उपस्थित–

श्रीमती पूनम माथुर अभिभाषक प्रार्थी

श्री ईश्वर देवडा अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक : 04.12.2020

निर्णय

यह निगरानी राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 8–2–2018 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 सपठित धारा 221 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थिया संख्या 1 लक्ष्मीदेवी ने प्रार्थी के विरूद्ध एक नियमित वाद उपखण्ड अधिकारी अलवर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। दौराने वाद प्रार्थी प्रतिवादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 340 जाब्ता फौजदारी प्रस्तुत कर वादी व अन्य के विरूद्ध न्यायालय के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाकर दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 30–3–2017 से खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 8–2–2018 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी धारा 340 दण्ड प्रक्रिया संहिता के आवेदन पर पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जबकि उक्त आदेश मूलतः एक प्रशासनिक आदेश की श्रेणी में आता है जिसके विरूद्ध कोई अपील या निगरानी समायत योग्य नहीं है एवं न ही धारा 221 के तहत ऐसे आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी मण्डल के समक्ष पोषनीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।अपने कथन के समर्थन में 2010(1) आर आर टी पेज 122 मगन लाल बनाम शान्ति लाल की नजीर पेश की।

जबाब में प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में चाही गई प्रार्थना को दावे की आदेशिका में

लिखा गया है। जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा की पत्रावली में आज तक कोई स्थगन नहीं दिया गया। किन्तु वादी ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर वाद में स्थगन का नोट लगवा दिया जबकि वाद में कोई स्थगन आदेश पारित नहीं होता है बल्कि वाद के साथ संलग्न अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में स्थगन होता है। जबकि प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के पक्ष में कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की थी किन्तु वादी ने फर्जकारी कर वाद की आदेशिका में स्थगन का नोट लगवा दिया। इस कारण वादीगण एवं इसमें लिप्त राजस्व कर्मचारियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किया जाना न्यायोचित था। प्रार्थी के नाम विवादित आराजी का दिनांक 23–5–90 को नामान्तरकरण संख्या 1170 स्वीकृत किया गया जिसके 18 साल बाद अप्रार्थी ने अतिरिक्त कलेक्टर अलवर के न्यायालय में अपील पेश की जिसे उन्होंने खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर के न्यायालय में अपील पेश की जो स्वीकार की गई जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी पेश की गई जो स्वीकार की जाकर अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त का आदेश निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध अप्रार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की जो भी निरस्त कर दी गई। इस प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तक नामान्तरकरण के प्रकरण में प्रार्थी के पक्ष में निर्णय पारित किया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर आक्षेपित निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित आदेश निरस्त कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 340 जाब्ता फौजदारी को स्वीकार किया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

जहां तक मण्डल के समक्ष निगरानी संधारण योग्य है अथवा नहीं, इस प्रकरण में प्रार्थी द्वारा धारा 340 जाब्ता फौजदारी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय की आदेशिका में वादी व तहसीलदार तथा अन्य कर्मचारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है। प्रार्थी ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो खारिज की जो आक्षेपित आदेश के द्वारा खारिज की जा चुकी है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा341(2) यह उपबन्धित करती है कि '' इस धारा के अधीन आदेश और ऐसे आदेश के अधीन रहते हुये धारा 340 के अधीन आदेश अन्तिम होगा और उसका पुनरीक्षण नहीं किया जा सकेगा।'' इस सम्बन्ध में 2010(1) आर आर टी पेज 122 मगन लाल बनाम शान्ति लाल में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 340 सपठित 195 दण्ड प्रक्रियका संहिता के अन्तर्गत आवेदन पर पारित आदेश धारा 221 के अन्तर्गत हस्तक्षेप करना आकर्षित नहीं करता–अपील अथवा निगरानी का प्रावधान नहीं– धारा 221 के अन्तर्गत आवेदन पोषनीय नहीं है। हस्तगत प्रकरण में भी आदेशिका विविध पत्रावली के स्थान पर मात्र मूल पत्रावली में लिख देने से धारा 221के प्रावधानों के तहत कार्यवाही किये जाने के कोई विशिष्ट आधार नहीं होने से इन प्रावधानों का उपयोग किया जाना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्रावधानों एवं उक्त नजीर के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी पोषनीय नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी पोषनीय नहीं होने से ग्राहयता के स्तर पर ही खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)

सदस्य

WR

निगरानी/टीए./4289/2020/उदयपुर
श्रीमती केशी बाई व अन्य बनाम श्री वेणीराम व अन्य

एकलपीठ
श्री सतीश चन्द्र गोदारा, सदस्य

उपस्थित–

श्री अशोक नाथ योगी अभिभाषक प्रार्थी

श्री प्रदीप विश्नोई अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक : 04.12.2020

निर्णय

यह निगरानी भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर के आदेश दिनांक 1–7–2020 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 सपठित धारा 221 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

आक्षेपित आदेश के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनकर उपखण्ड अधिकारी बडगांव के आदेश दिनांक 16–3–2012 की पालना को आगामी तारीख पेशी तक स्थगित रखने विपक्षीगण को नोटिस जारी करने एवं विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब करने के आदेश पारित किये हैं।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति पर सुनी गई।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त निगरानी भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर के आदेश दिनांक 1–7–2020 के विरूद्ध पेश की गई है जिसके द्वारा उन्होंने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनकर उपखण्ड अधिकारी बडगांव के आदेश दिनांक 16–3–2012 की पालना को आगामी तारीख पेशी तक स्थगित रखने विपक्षीगण को नोटिस जारी करने एवं विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब करने के आदेश पारित किये हैं। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश पूर्ण रूप से एक अन्तरिम आदेश है जिसकी निगरानी मण्डल के समक्ष संधारण योग्य नहीं है। इस कारण उक्त आदेश के विरूद्ध धारा 230 के प्रावधानों के तहत निगरानी संधारण योग्य नहीं होने से खारिज योग्य है। अपने कथन के समर्थन में 2014(2) आर आर टी पेज 1072, 2014 आर बी जे पेज 532, 2014 आर आर टी(1) पेज 409 की नजीरें पेश की।

जबाब में प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को

दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 8साल 8महीने मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई थी। एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित करते समय इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि अप्रार्थीगण की प्रथम अपील उनके समक्ष अत्यधिक मियाद बाहर धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई थी। विधि द्वारा सुस्थापित है कि परिसीमा अवधि से बाहर अपील में स्थगन तब तक प्रदत्त नहीं किया जा सकता है जब तक परिसीमा को कन्डोन नहीं किया जाता है। जाब्ता दीवानी के आदेश 41 नियम 3(ए) के प्रावधानों के अनुसार अगर अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई हो तो सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु को निर्णित किया जाना चाहिये। तत्पश्चात प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जानी चाहिये। किन्तु प्रश्नगत प्रकरण में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मियाद के बिन्दु का निर्धारण किये बिना एवं प्रथम अपील को ताउज्र मियाद दर्ज किये वगैर ही अप्रार्थीगण के पक्ष में स्थगन आदेश प्रदान कर दिया है जो कि विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। मण्डल की वृहद पीठ ने अपने न्यायिक दृष्टान्त 2014(1) आर आर टी पेज 409 बउनवानी जगदीश प्रसाद बनाम भोपालराम व अन्य में अपीलीय न्यायालयों के लिये दिशा निर्देश प्रदत्त किये हैं जिसके अनुसार अपीलीय न्यायालय अवधि बाहर प्रस्तुत अपील में विपक्षी पक्षकारान को सुने वगैर स्थगन प्रदत्त करने हेतु सक्षम नहीं है। किन्तु इस प्रकरण में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वृहद पीठ के उक्त न्यायिक दृष्टान्त एवं जाब्ता दीवानी के आज्ञापक प्रावधान आदेश 41 नियम 3 ए को अनदेखा करते हुये स्थगन आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलीय न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को भी नजर अन्दाज कर दिया कि उनके समक्ष अपील प्रस्तुत करने वाले अपीलार्थीगण परीक्षण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे। ऐसी स्थिति में वाद के पक्षकारान के अलावा किसी तीसरे पक्ष को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। फिर भी अगर वह अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम न्यायालय को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित करना चाहिये था। परन्तु अपीलीय न्यायालय ने न तो अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित किया और न ही धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय पारित किया। इसलिये अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अपने कथन के समर्थन में आर आर डी 1994 पेज 168,616, आर बी जे 2001 पेज 277, आर बी जे 2006पेज 78, डी एन जे 2009पेज 141, आर बी जे 2010 पेज 52, आर आर डी 2014 पेज 417, आर बी जे 2015पेज 310, आर आर डी 2016पेज 642,780, आर आर डी 1993 पेज 598, आर बी जे 2008 पेज 110, आर आर टी 2009 पेज 291, आर आर टी 2008(2) पेज 1330, आर आर टी 2009(2) पेज 1053, आर आर टी 2010पेज 14, आर आर डी 2014 पेज 807, आर आर डी 2016 पेज 580, आर आर डी 2017 पेज 454, आर बी जे 2016पेज 207, आर आर डी 2016पेज 92 की नजीरें पेश की।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

निगरानी के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका विपक्षी की ओर खण्डन नहीं किया गया है। इसलिये धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये निगरानी को अन्दर मियाद माना जाता है और हम निगरानी को गुणावगुण पर निर्णित करना उचित समझते हैं।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2014 आर आर टी(2)1072एवं आर बी जे 2014 पेज 532 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अन्तरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी मण्डल के समक्ष पोषनीय नहीं है। आर आर टी 2014(1) पेज 409 में मण्डल की बृहद पीठ ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि एक पक्षीय अथवा अन्तरिम एकपक्षीय आदेश के विरूद्ध निगरानी पोषनीय नहीं है, शक्ति का उपयोग किया जा सकता है अगर निचले न्यायालयों ने अधिकारिता की त्रुटि अथवा तात्विक अनियमितता कारित की हो।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर आर डी 1994 पेज168,616 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि मूल अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण के अप्रार्थीगण को अपील में पक्षकार नहीं बनाया। इसलिये आवश्यक पक्षकारों के अभाव में अपील पोषनीय नहीं थी। आर बी जे 2001 पेज 277 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जो मूल वाद में पक्षकार नहीं, उसे धारा 212 से सम्बन्धित प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है न ही उसे अपील पेश करने की अनुमति दी जा सकती है। आर बी जे 2015(22) पेज 310 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जहां अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई हो वहां मियाद के बिन्दु को तय किये बिना और विपक्षी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना स्थगन आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। आर आर डी 2016 पेज 642 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा आदेश 41 नियम 3क जाब्ता दीवानी के प्रावधानों की पालना नहीं की जो कि आज्ञापक प्रावधान है, प्रकरण निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। यही सिद्धान्त अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अन्य न्यायिक दृष्टान्तों में भी पारित किया गया है। आर आर डी 2009 पेज 291 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अन्तवर्ती आदेश के विरूद्ध धारा 230 के अन्तर्गत निगरानी ग्रहण योग्य नहीं है लेकिन धारा 221 के अन्तर्गत सभी राजस्व न्यायालयों पर राजस्व मण्डल को सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण प्राप्त है। याचिका धारा 230 व 221 के अन्तर्गत पेश की। निर्णित किया कि बोर्ड ने आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। 2008(2) आर आर टी पेज1330 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 230 व 221 के अन्तर्गत निगरानी को ग्रहण करने की बोर्ड को शक्तियां प्राप्त हैं यदि निचले न्यायालयों ने अधिकारिता के बाहर अथवा विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के प्रतिकूल आदेश पारित किया हो। यही सिद्धान्त 2010(1) आर आर टी पेज14 में पारित किया गया है। आर बी जे 2006(13)पेज78 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने पहले मियाद के बिन्दु को तय करना आवश्यक माना है और प्रकरण राजस्व मण्डल को प्रेषित करते हुये यह अपेक्षा की है कि पहले मियाद के बिन्दु को तय करें और यदि प्रकरण को अन्दर मियाद माना जाता है तब अपील को गुणावगुण पर निर्णित करें। यही सिद्धान्त माननीय सर्वोच्च

न्यायालय की खण्ड पीठ ने 2009डी एन जे एससी पेज 141 में पारित किया है। आर आर डी 2014पेज 417 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय एड अन्तरिम आदेश पर स्थगन जारी किया, परिणामस्वरूप विवादग्रस्त भूमि का विक्रय हो गया। मण्डल ने पुनरीक्षण याचिका में अपने विशिष्ट अधिकार अन्तर्गत धारा 221 का प्रयोग कर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया। आर आर डी 2016पेज 580में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि स्थगन पक्षकारों को निष्पक्ष एवं उचित राहत देता है। धारा212 के तहत स्थगन जारी करना न्यायालय का विवेकाधिकार है। निगरानी के माध्यम से वस्तुस्थिति या तथ्यात्मक मामले में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। मुख्यतः वादग्रस्त आराजी को वाद के निस्तारण तक सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। प्रकरण में सम्बन्धित पक्षकारों को यथास्थिति बनाये रखने तथा हस्तान्तरण न करने के लिये पाबन्द किया गया। आर आर डी 1993 पेज 598 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 221 के अन्तर्गत सभी राजस्व न्यायालयों पर राजस्व मण्डल को सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण प्राप्त है। याचिका धारा 230 व 221 के अन्तर्गत पेश की। निर्णित किया कि बोर्ड ने आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। इसके अतिरिक्त 2016 आर बी जे पेज 654 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जहां किसी आदेश से पक्षकार के अधिकार प्रभावित होते हों वहां निगरानी संधारण योग्य है।

उक्त न्यायिक दृष्टान्तों का बारीकी से परिशीलन करने के बाद यह स्थिति स्पष्ट होती है कि अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों में अन्तरित आदेश के विरूद्ध निगरानी को पोषनीय नहीं माना है और उक्त न्यायिक दृष्टान्तों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अन्तरिम आदेश के विरूद्ध धारा 230 के प्रावधानों के तहत निगरानी पोषनीय नहीं है। हम विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों से सहमत हैं कि अन्तरिम आदेश के विरूद्ध मण्डल के समक्ष निगरानी पोषनीय नहीं है। लेकिन वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा बहस सुनकर आगामी तारीख पेशी तक स्थगन आदेश पारित किया है। मुख्य निर्णायक बिन्दु यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लगभग लगभग 8 वर्ष मियाद बाहर अपील पेश की गई है तो क्या मियाद के बिन्दु को निर्णित किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा में स्थगन आदेश पारित किया जा सकता है?अपीलीय न्यायालय ने एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित करते समय इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि अप्रार्थीगण की प्रथम अपील उनके समक्ष अत्यधिक मियाद बाहर धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई थी। विधि द्वारा सुस्थापित है कि परिसीमा अवधि से बाहर अपील में स्थगन तब तक प्रदत्त नहीं किया जा सकता है जब तक परिसीमा को कन्डोन नहीं किया जाता है। जाब्ता दीवानी के आदेश 41 नियम 3(ए) के प्रावधानों के अनुसार अगर अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई हो तो सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु को निर्णित किया जाना चाहिये। तत्पश्चात प्रकरण में अग्रिम

कार्यवाही की जानी चाहिये। किन्तु प्रश्नगत प्रकरण में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मियाद के बिन्दु का निर्धारण किये बिना एवं प्रथम अपील को ताउज्र मियाद दर्ज किये वगैर ही अप्रार्थीगण के पक्ष में स्थगन आदेश प्रदान कर दिया है जो कि विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अपीलीय न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को भी नजर अन्दाज कर दिया कि उनके समक्ष अपील प्रस्तुत करने वाले अपीलार्थीगण परीक्षण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे। ऐसी स्थिति में वाद के पक्षकारान के अलावा किसी तीसरे पक्ष को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। फिर भी अगर वह अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम न्यायालय को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित करना चाहिये था। परन्तु अपीलीय न्यायालय ने न तो अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित किया और न ही धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय पारित किया। इसलिये अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि विरूद्ध है। यहां यह उल्लेखनीय है कि जहां किसी आदेश से पक्षकार के अधिकार प्रभावित होते हों वहां निगरानी संधारण योग्य है। जैसा कि 2016 आर बी जे पेज 654 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अध्ययन करने के बाद अन्ततोगत्वा हम इस निष्कर्ष पर पहुचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु व अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्रार्थना पत्र को निर्णित करना चाहिये था उसके बाद ही प्रकरण में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिये थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों में यह अभिमत व्यक्त किया है कि धारा 230 व 221 के अन्तर्गत निगरानी को ग्रहण करने की बोर्ड को शक्तियां प्राप्त हैं यदि निचले न्यायालयों ने अधिकारिता के बाहर अथवा विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के प्रतिकूल आदेश पारित किया हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मियाद के बिन्दु को निर्णित किये व अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निर्णित किये बिना आक्षेपित आदेश पारित किया है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। मण्डल की वृहद पीठ ने 2014(1) आर आर टी पेज 409 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

61. After going through various pronouncements by the Hon'ble High Court, the Hon'ble Supreme Court and the Board itself, as discussed hereinabove, we with an unanimous considered opinion, hold that:-

(1) The powers of superintendence and control over subordinante revenue courts given to the Board, under Section 221 of the Act are availabe both in administrative as well as judicial matters.

(2) The powers of the Board, under section 221 of the Act can be used in judicial matters, if a subordinate court has committed gross illegality in disregard to

specific and madatory provisions of law or in disobedience of a superior court.

(3) The powers of the Board under Section 221 of the Act, being powers of superintendence and control over subordinate Revenue courts, are the subject matter between the Board and the subordinate courts, and as such these provisions are not available to the parties in routine. The Board can use these powers either suo motu or on application filed by any party to the proceedings pending in or decided by the subordinate court. But, role of such party is limited to the extent of informing the Board regarding any illegality committed by such subordinate court, but interference by the Board cannot be claimed as a matter of right by a party.

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर आर टी 2014(1) पेज 409 के पैरा 61 में भी यह स्पष्ट प्रावधित है कि यदि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को नजर अन्दाज करके कोई आदेश पारित किया है तो राजस्व मण्डल को धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में शक्तियां प्राप्त हैं कि मण्डल उक्त आदेश को निरस्त कर सकता है। यही मत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी आर आर डी 1993पेज 598 में व्यक्त किया है कि धारा 221 के तहत सभी राजस्व न्यायालयों पर राजस्व मण्डल को सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण प्राप्त है।

परिणामस्वरूप प्रस्तुत निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही स्वीकार की जाकर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 1–7–2020 निरस्त किया जाता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय को को आदेशित किया जाता है कि वह सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु व धारा 96 जाब्ता दीवानी के प्रार्थनापत्र का उभय पक्ष को सुनकर विधिनुसार निस्तारण करें। उसके बाद ही प्रकरण में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जावे। पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्यता नहीं बढे, इस दृष्टि से तब तक उभय पक्षकारान को वादग्रस्त आराजी के मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति कायम रखने के लिये पाबन्द किया जाता है। अपीलीय न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण का दो माह के अन्दर विधि अनुसार निस्तारण करें। उभय पक्षकारान को प्रथम अपीलीय न्यायालय में दिनांक 23.12.2020 को उपस्थित रहने के लिये पाबन्द किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)

सदस्य

WR

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / एल.आर. / 2020 / 3464 / उदयपुर

मेसर्स ग्रेस कॉलोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड–26 न्यायमार्ग, उदयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री शान्तिलाल मेहता पिता कन्हैयालाल मेहता, निवासी–98 एल रोड भोपालपुरा, उदयपुर।

......अपीलान्ट

बनाम

1– श्री जोधा उर्फ जोधराज मीणा, पिता माणाजी मीणा, जाति मीणा उम्र वयस्क, निवासी हिरणमगरी सेक्टर नम्बर–3, उदयपुर।

2– तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर।

......रेस्पोडेन्टस

एकल–पीठ

श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थितः

श्री सम्पतलाल बोहरा) अभिभाषक अपीलान्ट

श्री विकास पाराशर)

श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या–1

दिनांक : 25–11–2020

निर्णय

1. यह अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के निर्णय दिनांक 14–9–2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा नलाफला पटवार क्षेत्र देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर में आराजी नम्बर–210, 211, 212, 229, 46, 47, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 722/160, 723/177, 208, 209 के साथ अन्य भूमि का विक्रय अनुबन्ध कथित भूमि को आबादी में परिवर्तित कराकर अपने नाम पट्टे जारी करने का विक्रय इकरार कुल 93,00,000/– तिरानवे लाख रूपयों में विक्रय कर तय कर कुलिया राशि नकद व जरिये चेक प्राप्त कर ली तथा उक्त जमींन का कब्जा द्वितीय पक्ष को सुपुर्द किया गया, जैसा कि विक्रय इकरार के पैरा नम्बर–2 में लिखा हुआ है, उसके अनुसार बकाया राशि भी अपीलान्ट विक्रेता शंकरलाल को अदा कर दी तथा उस विक्रय इकरार के पेज नम्बर 3 में स्पष्ट कहा कि प्रथम पक्ष इस भूमि में बनने वाली योजना का नियमन अपने स्तर पर स्थनीय निकाय में अपने नाम पर करवायेगा एवं अपने नाम पर जारी होने वाली लीज डीड का पंजीयन अपने नाम पर करवाकर द्वितीय पक्ष या उसके द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति के नाम पर इस भूमि के विक्रय पत्रों का निष्पादन एवं पंजीयन अपने नाम पर करवा देगा। नियमन की कार्यवाही के अन्तर्गत लगने वाला समस्त व्यय प्रथम पक्ष द्वारा वहन किया जावेगा। कथित विक्रय इकरार के संबंध में विक्रेता द्वारा पालना नहीं करने से अपीलान्ट ने अनुबन्ध की विनिर्दिष्ट पालना का वाद न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, उदयपुर के यहां पेश किया तथा वह वाद पेण्डिंग है तथा उस वाद में स्थगन आदेश भी जारी किया गया व स्थगन आदेश कभी भी किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। यह विक्रय पत्र दिनांक 29–9–2015 को करवाया गया तथा इसी जमींन का विक्रय पत्र लोगर गमेती पिता कालू गमेती के हक में उसी दिन दिनांक 29–9–2015 को भी कर दिया गया। उक्त जमींन का वाद अनुबन्ध की विनिर्दिष्ट पालना का वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश साहब के यहां चल रहा है तथा जब वाद पेन्डिंग है तथा उसमें स्थगन आदेश भी जारीशुदा है तो इस मामले में म्यूटेशन की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी परन्तु तहसीलदार गिर्वा ने उक्त जमींन के संबंध में म्यूटेशन की कार्यवाही करने के लिये कहा जिस पर अपीलान्ट ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय तहसीलदार गिर्वा के प्रकरण संख्या 4/2017 में निर्णय दिनांक 27–7–2018 के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज कर पेश है। जोधा ने कथित आदेश के विरूद्ध अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के यहां की तथा उसमें जानबूझकर अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि तहसीलदार के समक्ष शिकायतकर्ता अपीलान्ट ही था। अपीलान्ट को जानबूझकर संभागीय आयुक्त के यहां पक्षकार नहीं बनाया, यहां तक कि लोगर को भी पक्षकार नहीं बनाया तथा मिलीभगत से कथित अपील दिनांक 19–6–2020 को पेश की तथा उसका निर्णय दिनांक 14–9–2020 को कर दिया गया तथा निर्णय में कहा गया कि नामान्तरकरण अस्वीकृत करने का आदेश दिनांक 15–2–2020 पारित किया अपास्त किया जाता है। ऐसी स्थिति में इस मामले में तहसीलदार ने नामान्तरकरण निरस्त करने का आदेश दिया वह बिल्कुल उचित है तथा उसमें हस्तक्षेप करने की कहीं आवश्यकता नहीं थी फिर भी संभागीय आयुक्त ने अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना व उसे सुने बिना एवं विवादग्रस्त जमींन के संबंध में मामला सक्षम न्यायालय में पेण्डिंग होते हुये भी व मौके पर कब्जा अपीलान्ट का होते हुये भी एवं लोगर के हक में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भी इस जमींन का पहले का होते हुये भी

जोधा के नाम पर जो म्यूटेशन निरस्त करने का तहसीलदार का आदेश बिल्कुल नियमानुसार होते हुये भी संभागीय आयुक्त ने उसे निरस्त करते हुये जो रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के नाम का विवादित जमींन का म्यूटेशन करने का आदेश दिया जो बिल्कुल गलत होकर बिना अधिकार के था क्योंकि कथित म्यूटेशन की अपील भी सीधी संभागीय आयुक्त के यहां लायी नहीं होकर केवल जिला कलेक्टर के यहां पर ही लायी होती थी क्योंकि तहसीलदार के समक्ष यह मैटर कनटेस्टेड नहीं था फिर भी रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 ने कथित आदेश के विरूद्ध अपील संभागीय आयुक्त के यहां की। उसे संभागीय आयुक्त ने स्वीकार करते हुये जो आदेश पारित किया। उससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने एक प्रार्थना पत्र अपील पोषणीय नहीं होने बाबत प्रस्तुत की जिसमें कथन किया गया है कि यह अपील धारा–96 सीपीसी के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये बैगर एडमिट कर ली गई है और इसमें एकतरफा स्थगन भी पारित कर दिया गया है। इसलिये पहले उक्त प्रार्थना पत्र पर निर्णय किया जाये उसके बाद ही अपील में आगे की कार्यवाही की जाये।

4. अपीलार्थी ने उक्त बिन्दु पर लिखित जवाब पेश किया जिसमें कथन किया कि एडमिशन स्तर पर धारा–96 सीपीसी के बिन्दु पर सुना गया। यह भी कथन किया गया कि धारा–96 सीपीसी के प्रावधान इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये। अपीलार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–41 नियम–27 सीपीसी कुछ दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जिसकी प्रति अप्रार्थी को दी गई। चूंकि इस प्रार्थना पत्र पर अभी बहस नहीं सुनी गई है इसलिये इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को अभी पढ़ा नहीं जा सकता है।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने बहस में कथन किया कि अपील के साथ धारा–96 सीपीसी का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था उस कोई भी विचार नहीं किया गया। वस्तुतः अपीलार्थी का उक्त प्रकरण से कोई संबंध नहीं है। निचली अदालत में अपीलार्थी पक्षकार नहीं थे और अब चूंकि वे अपील लेकर उपस्थित हुये हैं इसलिये पहले उन्हें यह बताना होगा कि उनका इस प्रकरण में क्या Locus Standie है? पहले इस पर निर्णय किया जाना चाहिये था लेकिन राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 25–9–2020 में इस संबंध में कुछ अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–96 सीपीसी का निस्तारण किये बिना उक्त अपील को एडमिट कर लिया गया और एकतरफा स्थगन आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण है। जब उक्त अपील एडमिट किये जाने योग्य ही नहीं थी तो यह अपील एकतरफा बहस सुनकर एडमिट क्यों कर ली गई? अपीलार्थी के पास न कोई पंजीकृत विक्रय पत्र है और न कोई खातेदारी अधिकार फिर भी उक्त अपील त्रुटिवश सुनवाई हेतु स्वीकार कर ली गई जबकि अपीलार्थी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। अप्रार्थी का कथन है कि अपीलार्थी ने विवादित भूमि क्रय नहीं की बल्कि क्रय करने का इकरार किया है और इकरारनामा के आधार पर कोई भी प्रकरण राजस्व न्यायालयों में पोषणीय नहीं है। इकरारनामा के आधार पर कोई भी प्रकरण केवल सिविल न्यायालयों में ही पोषणीय है अतः इस आधार पर भी यह अपील निरस्तनीय है। इसके आगे उन्होंने यह भी कथन किया कि विवादित भूमि ''मीणा'' जाति जो अनुसूचित जन जाति की श्रेणी में आती है, को गैर ''अनुसूचित जन जाति'' को बेचान नहीं की जा सकती है। जो तथाकथित इकरारनामा है

वह विधि के प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि इससे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–42(बी) का उल्लंघन होता है। इस कारण भी यह अपील चलने योग्य नहीं है। अपने तर्को के समर्थन में उन्होंने निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :–

1– आरआरटी–2012 पेज–2 एवं 1279

2– आरआरटी–2012 पेज–1 एवं 460

3– आरबीजे–2012 पेज–69

4– आरआरडी–1992 पेज–414

5– आरबीजे–2008 पेज–639

6– आरआरटी–2007 पेज–1 व 18

7– आरबीजे–2016(23) पेज–319

8– आरबीजे– 2007 पेज–7

7. बहस का जवाब देते हुये अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि राजस्व मण्डल में दिनांक 25–9–2020 को जो आदेश पारित किया गया है वह सीपीसी की धारा–96 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को ध्यान में रखकर ही आदेश पारित किया गया है। एक बार जब यह अपील सुनवाई हेतु विचारार्थ स्वीकार कर ली गई है तो उस पर अब किसी प्रार्थना पत्र के आधार पर पोषणीय होने या नहीं होने बाबत विचार नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः यह प्रकरण एक नामान्तरकरण के खोलने या नहीं खोलने के संबंध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–135(1) के संबंध में था जिसके विरूद्ध अपील जिला कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत की जानी चाहिये थी, लेकिन रेस्पोडेन्ट ने यह अपील जिला कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर संभागीय आयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत की थी जो कि क्षेत्राधिकार से परे थी। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर का होने के कारण यह द्वितीय अपील प्रस्तुत करनी पड़ी है जो कि पोषणीय है। अपीलार्थी ने उक्त भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या–1 से क्रय करने का इकरार किया है। अपीलार्थी ने जो भूमि क्रय की है वह जोधा के क्रय करने से पूर्व का क्रय है और रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के पक्ष में किया गया विक्रय बाद का है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जो भी विक्रय पहले किया गया होगा वही मान्य होगा, बाद वाले विक्रय का कोई विधिक अस्तित्व नहीं है। अतः इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। उन्होंने आगे कथन किया कि अपीलार्थी एक कम्पनी है जो कि की "Jurisdic Person" की श्रेणी में आती है ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–42(बी) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अतः जो इकरारनामा अपीलार्थी के पक्ष में किया गया है वह एक वैध दस्तावेज है और इस आधार पर यह अपील पोषणीय है। मुख्य बात यह है कि विवादित भूमि पर विवाद नामान्तरकरण खोले जाने या नहीं खोले जाने के संबंध में है जो कि राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। अतः उक्त प्रकरण राजस्व न्यायालय में ही प्रस्तुत किया है। यद्यपि एक प्रकरण सिविल न्यायालय में भी विचाराधीन है। आगे बहस में कथन किया कि चूंकि प्रकरण राजस्थान भू

राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसके अपने नियम बने हुये है अतः इस पर सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। चूंकि अपीलार्थी एक प्रभावित पक्षकार है इसलिये यह द्वितीय अपील पोषणीय है। उन्होंने आगे कथन किया कि "Lis pendis" के दौरान अगर कोई भूमि विक्रय की है तो वह विक्रय वैध नहीं है। उन्होंने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :–

(1) आदेश–41 नियम–27

1– Civil Times 2003(1) (s.c.) Page-120

(2) यह मामला राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का है इस पर सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते है जैसा कि :–

1– आरआरटी–2009(1) पेज–632

2– आरआरडी–1991 पेज–392

(3) अपीलान्ट एग्रीव्ड पार्टी है इस कारण अपील करने का अधिकार है जैसा कि

1– आरआरडी–1995 पेज–179

2– आरबीजे–2001 पेज–313

3– आरबीजे–1997 पेज–466

(4) निम्न प्रकरणों में एग्रीव्ड व्यक्ति माना है :–

1– आरआरडी–1983 पेज–328

2– एआईआर–1989ऑल पेज–133

3– आरआरडी–1982 पेज–711

4– आरआरडी–1983 पेज–821

5– एआईआर–1975 पेज–2092

6– एआईआर–1983 पेज–75

7– डीएलजे–2004 (एससी) पेज–265

8– डीएनजे–1999 (एससी) पेज–242

9– आरआरटी–2006–07 (Supp.) पेज–50

इस अधीनस्थ न्यायालय को अपील सुनने का अधिकार नहीं था ओब्जेक्शन नहीं किया व स्वीकृति दे दी तो क्षेत्राधिकार नहीं हो जाता है जैसा कि निम्न निम्न न्यायिक दृष्टान्त में कहा गया है :–

आरआरडी–1986 पेज– 738 (c)

लिस पेन्डेन्सी के दौरान जोधा को शंकरलाल ने विक्रय किया

वह विक्रय वोईड है जैसा कि :–

एआईआर–2007(राज.) पेज–73

इस मामले में शंकरलाल ने पहला विक्रय लोगर को किया व दूसरा विक्रय जोधा को किया इस कारण दूसरा विक्रय वोइड है व इसके आधार पर म्युटेशन नहीं हो सकता है जैसा कि :–

1– आरआरटी–2017(1) पेज–740

2– आरआरडी–2006 पेज–127

3– आरआरटी–2011–12 (Supp.) पेज–498

4– आरआरटी–2009–10 (Supp.) पेज–411

5– आरआरडी–1989 पेज–340

धारा–75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 जिसमें तय किया कि तहसीलदार ने जो आदेश पारित किया उस आदेश के विरूद्ध अपील कलेक्टर साहब के यहां लाई होती है जैसा कि :–

(1) आरबीजे–2018 पेज–247

धारा–96 पर निम्न केस लॉ पेश है :–

(1) आरबीजे–2013 पेज–253

(2) आरबीजे–2016 पेज–547

(3) आरबीजे–2012 पेज–55

(4) आरबीजे–2013 पेज–491

केस लॉ उक्त मामले में अपीलान्ट की ओर से निम्न केस लॉ पेश है :–

(1) इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट धारा–47

(2) एआईआर–2007 (राज.) पेज–73

(3) आरआरटी–2017(1) पेज–740

(4) आरआरटी–2011–12 (Supp.) पेज–498

अतः उक्त न्यायिक दृष्टान्तों की रोशनी में आपत्ति

बाबत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

8. रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के रिबटल में कथन किया कि प्रकरण विवादित नामान्तरकरण का था जो कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–135(2) के अन्तर्गत आता है जिसकी अपील संभागीय आयुक्त न्यायालय में ही की जा सकती है और यह अपील उसी न्यायालय में ही प्रस्तुत की थी। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत एक विधिसम्मत व न्यायसंगत निर्णय है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कथन किया कि यद्यपि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में प्रक्रिया के संबंध में स्वयं के नियम बने हैं लेकिन जहां पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं हैं उनके संबंध में सीपीसी के प्रावधान लागू होंगे। इस संबंध में राजस्व मण्डल की वृहदपीठ और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी निर्णय प्रदान किया है। अतः धारा–96 सीपीसी के प्रावधान राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 पर भी लागू होते हैं। उन्होंने बहस में यह भी कथन किया कि नामान्तरकरण एक फौरी (Fiscal) कार्यवाही है जो कभी भी न्यायालय के आदेश पर निरस्त की जा सकती है। अतः नामान्तरकरण को इकरारनामा के आधार पर रोका नहीं जाना चाहिये। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त अपील निरस्त की जाये।

9. हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया व प्रस्तुत नजीरों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

10. पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि राजस्व मण्डल की एकलपीठ ने अपने आदेश दिनांक 25–9–2020 में आदेश पारित किया है :–

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट श्री विकास पाराशर उपस्थित हैं। वकील अपीलान्ट को अपील के एडमिशन तथा स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में सारभूत कानूनी बिन्दु निहित होने से विचारार्थ ग्रहण की जाती है। वकील अपीलान्ट रेस्पोन्डेन्ट के रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस पेश करें जो पेश होने पर बाद जांच जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब हो। साधारण

नोटिस भी जारी हो।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर आदेश दिये जाते हैं कि उभयपक्ष विवादग्रस्त भूमि की आज दिनांक की राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति मण्डल की आगामी पेश तक बनाये रखें। इस अमर का अहकाम पालनार्थ अधीनस्थ न्यायालय को दस्ती पर जारी हो। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 16–12–2020 को पेश हो।

11. इस प्रकार उक्त आदेश का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उक्त आदेश पारित करने से पूर्व सीपीसी की धारा–96 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया गया है और विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पहले सीपीसी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना चाहिये था। बिना उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये दिनांक 25–9–2020 का आदेश सही नहीं माना जा सकता है। आरबीजे–2016(23) पेज–319 में राजस्व मण्डल की खण्डपीठ ने निम्न अभिमत प्रकट किया है :–

Code of civil procedure, 1908 - Section 96 - Permission for filing an appeal cannot be given to a person, who is not aggrieved by the decree and judgment in the case. In the instant case, appellant submitted an application under Section 96 of the C.P.C. for granting permission for filing an appeal against the decree and judgment in which he was not a party. The contention of the appellant was that he has purchased the land from Shri Dana Ram father of the respondents. The judgment and decree in the case is dated 26.12. 2005 whereas the purchase of land by the appellant is dated 19-4-2007. As the purchase of land is after passing of decree and judgment, therefore, he is not a aggreived party against the decree and judgment in the case. Therefore, permission for filing an appeal has been rightly rejected. Appeal dismissed.

12. इस प्रकार यही मत आरआरटी–2017(1) पेज–18 में भी व्यक्त किया गया :–

Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules] 1970 - Rule 14(4) RAA - cancelled the allotment - Secong appeal - Respondent "BL" not obtained permission u/Sec. 96 for filing appeal which is mandaserves to be allowed on this ground.

13. जहां राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में प्रक्रियात्मक प्रावधान वर्णित नहीं हैं वहां पर धारा–96 सीपीसी के प्रावधान लागू होंगे। राजस्व मण्डल की पूर्ण पीठ ने आरबीजे–2008(15) पेज–639 में यह मत प्रकट किया है :–

The provision of the CPC with its amendments would be applicable to the appeals, revisions, references, reviews and proceedings under the Rajasthan Land Revenue Act, and Rules made thereunder in regard to such matters where there is no special enactment in the Rajasthan Land Revenue

Act, 1956

14. यहां यह उल्लेखनीय है कि हमें यह ध्यान रखना होगा कि क्या अपीलार्थी एक प्रभावित पक्षकार है?क्या इकरारनामा के आधार पर कोई भी प्रकरण राजस्व मण्डल में चल सकता है?इस संबंध में विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि इकरारनामा के आधार पर कोई भी विक्रय को अमलीजामा पहनाने के लिये सक्षम ''सिविल न्यायालय'' में ही प्रकरण पोषणीय है। इस संबंध में किसी भी राजस्व न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। आरआरडी–1992 पेज–414 में इस मत की पुष्टि होती है।

अभिभाषक अपीलान्ट का यह तर्क सही है कि राजस्व न्यायालय बेचान के इकरारनामा, जो अपंजीकृत होता है, उसके आधार पर दावा सुनवाई नहीं कर सकता। यह क्षेत्राधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय का है। परीक्षण न्यायालय ने इस बिन्दु पर वादी का वाद खारिज किया है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी ने भी इस बिन्दु पर वादी के विरूद्ध ही निर्णय पारित किया है, जिससे हम सहमत हैं कि वादी बेचान के इकरारनामा दिनांक 2–7–1964 के आधार पर विवादग्रस्त आराजीयात का खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है।

15. आरबीजे–2010(19) पेज–69 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न अभिभमत प्रकट किया है :–

Any contract of sale (agreement to sell) which is not a registered deed of conveyance (deed of sale) would fall short of the requirements of Section 54 and 55 of TP Act and will not confer any title nor transfer any interest in an immovable property (except to the limited right granted under Section 53A of TP Act.) According to TP Act, an agreement of sale, whether with possession or without possession, is not a conveyance. Section 54 of TP Act enacts that sale of immovable property can be made only by a registered instrument and an agreement of sale does not create any interest or charge on its subject matter.

उक्त न्यायिक दृष्टान्त के आधार पर यह अपील राजस्व न्यायालय में पोषणीय नहीं है।

16. विवादित भूमि 'मीणा' जाति की थी। मीणा जाति अनुसूचित जन जाति श्रेणी में आती है और जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–42(बी) के प्रावधान लागू होते हैं। अपीलार्थी का यह कथन कि कंपनी एक ''न्यायिक व्यक्ति'' है इसलिये यह विक्रय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–42(बी) के अनुसार वैध बेचान है। लेकिन अप्रार्थी संख्या–1 के अधिवक्ता की बहस थी कि धारा–42(बी) के प्रावधान के लिये ''न्यायिक व्यक्ति'' (Jurisdic Person) को नहीं वरन वास्तविक व्यक्ति को किया गया बेचान ही वैध है। आरआरटी–2012(12) पेज–1279 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न अभिमत प्रकट किया गया है।

14. The expressions 'Scheduled Castes' and "Scheduled Tribes', we find in Section 42(b) of the Act have to be read along with the constitutional

provisions and, if so read, the expression 'who is not a member of the Scheduled Caste or Scheduled Tribe' would mean a person other than those who has been included in the public notification as per Articles 341 and 342 of the Constitution. The expression 'person' used in Section 42(b) of the Act therefore **can only be a natural person and not a juristic person,** otherwise, the entire purpose of that section will be defeated. If the contention of the company is accepted, it can purchase land from Scheduled Caste / Scheduled Tribe and then sell it to a non-Scheduled Caste and Schedule Tribe, a situation the legislature wanted to avoid. A thing which cannot be done directly can be not done indirectly over-reaching the statutory restriction.

15. We are, therefore, of the view that the reasoning of the High Court that the respondent being a juristic person, the sale effected by a member of Scheduled Caste to a juristic person, which does not have a caste, is not hit by Section 42 of the Act, is untenable and gives a wrong interpretation to the above mentioned provision.

16. We are also of the view that the Revenue Authorities rightly refused the mutation as per circular dated 9.11.2005. Condition No. 7(2) of the circular was rightly invoked by the Revenue Authorities in denying mutation, which condition is extracted below for easy reference:

"7(2). If the khatedar of Scheduled Caste / Scheduled Tribe executes sale to such a person of Scheduled Caste / Scheduled Tribe who is office-bearer of any firm/society/company/legal institution, then the mutation on the basis of registration shall be made only in the name of that particular person/vendee who is a member of Scheduled Caste/Scheduled Tribe and not in the name of that firm/society/company/legal institution wherein he is office-bearer or member."

17. The above mentioned condition makes it amply clear that the mutation on the basis of registration shall be made only in the name of that particular person/vendee who is a member of Scheduled Caste/Scheduled Tribe and not in the name of any firm/society/company/legal institution wherein a person is office-bearer or member. When we apply the above principles to the transfer of land in question, we have no hesitation to hold that the sale deed effected on 26.9.2005 was void and therefore rightly denied

mutation in Revenue records. Property, therefore purchased by the respondent from the members of Scheduled Caste vide sale deed dated 26.9.2005 and other sale deeds, therefore are void since hit by Section 42(b) of the Act and it is so declared. The State can, therefore, re- possess the lands and return the lands to the original owners who are members of Scheduled Caste.

17. इस प्रकार उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन करने व विधि के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी एक इकरारनामा के आधार पर अपील लेकर आया है जो राजस्व न्यायालय में पोषणीय नहीं है। उनका यह कथन कि नामान्तरकरण नहीं खोला जाना चाहिये जब तक सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। लेकिन इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल व उच्च न्यायालय का भी निर्णय है कि नामान्तरकरण एक फौरी (Fiscal) कार्यवाही है जिसका कोई विशेष महत्व नहीं है और नामान्तरकरण पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी एक कंपनी है जो कि अनुसूचित जन जाति श्रेणी में नहीं आती है। इस प्रकार उक्त इकरार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–42(बी) के प्रावधानों के विपरीत होने से मान्य नहीं है। इसके अतिरिक्त सीपीसी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–96 पर भी निर्णय नहीं किया गया था।

18. अतः उक्त विवेचन के अनुसार हस्तगत अपील इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि शंकर गोयल)

सदस्य

जिला कलक्टर्स न्यायालयों द्वारा अवधि 01.07.2020 से 30.09.2020 में निस्तारित किये गये राजस्व–प्रकरणों पर मण्डल की त्रैमासिक समीक्षा।

जिला कलेक्टर्स न्यायालय द्वारा अवधि 01.07.2020 से 30.07.2020 में किये गये राजस्व–प्रकरणों के निस्तारण कार्य पर मण्डल की समीक्षा निम्नानुसार है। कोविड–19 के प्रबंधन (राहत एवं बचाव कार्य) में रहने के कारण त्रैमास अवधि में राजस्व वादो के निर्धारित मापदण्ड में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। मण्डल के परिपत्र क्रमांकः प. 12 (18) राम/निरी/78/975 दिनांक 03.04.2012 के परिपेक्ष्य में मूल्यांकन (Grading) किया गया हैं–

निर्धारित मापदण्डः–10 अपील/निगरानी एवं 20 विविध प्रकरण प्रतिमाह
त्रैमासिक 30 अपील/निगरानी एवं 60 विविध प्रकरण = 60 अपील/निगरानी

ग्रेडिंग का आधार:

1	मानदण्ड का 100 प्रतिशत निस्तारण या अधिक।	ए+
2	मानदण्ड का 90 प्रतिशत निस्तारण से 100 तक।	ए
3	मानदण्ड का 80 प्रतिशत से 90 निस्तारण तक।	बी+
4	मानदण्ड का 60 प्रतिशत निस्तारण से 80 तक।	बी
5	मानदण्ड का 60 प्रतिशत निस्तारण से कम होने पर।	सी

सम्भाग– अजमेर

क्र. सं.	जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	जिला कलेक्टर, अजमेर	A+
2	जिला कलेक्टर, भीलवाडा	A+
3	जिला कलेक्टर, नागौर	A+
4	जिला कलेक्टर, टोंक	B+

सम्भाग– भरतपुर

क्र. सं.	जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	जिला कलेक्टर, भरतपुर	A
2	जिला कलेक्टर, धौलपुर	C
3	जिला कलेक्टर, करौली	B
4	जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर	A+

सम्भाग– बीकानेर

क्र. सं.	जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	जिला कलेक्टर, बीकानेर	A+
2	जिला कलेक्टर, चुरू	C
3	जिला कलेक्टर, गंगानगर	B
4	जिला कलेक्टर, हनुमानगढ	B+

सम्भाग- जयपुर

क्र. सं.	जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	जिला कलेक्टर, अलवर	A+
2	जिला कलेक्टर, दौसा	A
3	जिला कलेक्टर, जयपुर	A+
4	जिला कलेक्टर, झुझुंनूं	A+
5	जिला कलेक्टर, सीकर	C

सम्भाग- जोधपुर

क्र. सं.	जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	जिला कलेक्टर, बाड़मेर	A+
2	जिला कलेक्टर, जैसलमेर	C
3	जिला कलेक्टर, जालौर	A+
4	जिला कलेक्टर, जोधपुर	A+
5	जिला कलेक्टर, पाली	A+
6	जिला कलेक्टर, सिरोही	A+

सम्भाग- कोटा

क्र. सं.	जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	जिला कलेक्टर, बारां	C
2	जिला कलेक्टर, बून्दी	A+
3	जिला कलेक्टर, झालावाड़	A+
4	जिला कलेक्टर, कोटा	C

सम्भाग- उदयपुर

क्र. सं.	जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा	C
2	जिला कलेक्टर, चितौडगढ़	A+
3	जिला कलेक्टर, डूंगरपुर	C
4	जिला कलेक्टर, प्रतापगढ़	B
5	जिला कलेक्टर, राजसमन्द	A+
6	जिला कलेक्टर, उदयपुर	A+

ग्रेड ''सी'' के अधिकारियों से अपेक्षा है कि राजस्व प्रकरणों के निस्तारण की ओर विशेष ध्यान दिया जाकर निस्तारण मापदण्ड के अनुरूप किया जावे।

(श्री हरिशंकर गोयल)
सदस्य
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर्स न्यायालयों द्वारा अवधि 01.07.2020 से 30.09.2020 में निस्तारित किये गये राजस्व–प्रकरणों पर मण्डल की त्रैमासिक समीक्षा।

अति0 जिला कलेक्टर्स न्यायालयों द्वारा अवधि 01.07.2020 से 30.09.2020 में किये गये राजस्व–प्रकरणों के निस्तारण कार्य पर म ण्डल की समीक्षा निम्नानुसार है। कोविड–19 के प्रबंधन (राहत एवं बचाव कार्य) में रहने के कारण त्रैमास अवधि में राजस्व वादो के निर्धारित मापदण्ड में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। मण्डल के परिपत्र कमांक : प.12(18)राम /निरी /78/975 दिनांक 03.04.2012 एवं मण्डल के पत्र कमांक 8260 दिनांक 18.12.2018 के संशोधन पश्चात परिपेक्ष्य में मूल्यांकन (Grading) किया गया है

निर्धारित मापदण्डः– प्रतिमाह 50 अपील/निगरानी/स्टाम्प/सीलिंग आदि
त्रैमासिक 240 अपील/निगरानी/स्टाम्प/सीलिंग आदि

ग्रेडिंग का आधार:

1	मापदण्ड का 100 प्रतिशत निस्तारण या अधिक।	ए+
2	मापदण्ड का 90 प्रतिशत निस्तारण से 100 तक।	ए
3	मापदण्ड का 80 प्रतिशत से 90 निस्तारण तक।	बी+
4	मापदण्ड का 60 प्रतिशत निस्तारण से 80 तक।	बी
5	मापदण्ड का 60 प्रतिशत निस्तारण से कम होने पर।	सी

सम्भाग– अजमेर

क्र. सं.	अति0 जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	अति0 जिला कलेक्टर, अजमेर	C
2	अति0 जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा	A+
3	अति0 जिला कलेक्टर, डीडवाना (नागौर)	C
4	अति0 जिला कलेक्टर, नागौर	C
5	अति0 जिला कलेक्टर, टोंक	C

सम्भाग– भरतपुर

क्र. सं.	अति0 जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	अति0 जिला कलेक्टर, भरतपुर	C
2	अति0 जिला कलेक्टर, डीग (भरतपुर)	C
3	अति0 जिला कलेक्टर, धौलपुर	C
4	अति0 जिला कलेक्टर, करौली	C
5	अति0 जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर	C
6	अति0 जिला कलेक्टर,(गंगापुरसिटी) स0माधोपुर	C

सम्भाग– बीकानेर

क्र. सं.	अति0 जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	अति0 जिला कलेक्टर, बीकानेर	A+
2	अति0 जिला कलेक्टर, चुरू	C
3	अति0 जिला कलेक्टर, गंगानगर (प्र0)	A
4	अति0 जिला कलेक्टर, गंगानगर (सतर्कता)	C
5	अति0 जिला कलेक्टर, सूरतगढ (गंगानगर)	C
6	अति0 जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़	C
7	अति0 जिला कलेक्टर, नोहर	C

सम्भाग– जयपुर

क्र. सं.	अति0 जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	अति0 जिला कलेक्टर, अलवर (प्रथम)	C
2	अति0 जिला कलेक्टर, अलवर (द्वितीय)	C
3	अति0 जिला कलेक्टर, दौसा	B
4	अति0 जिला कलेक्टर, जयपुर (प्रथम)	C
5	अति0 जिला कलेक्टर, जयपुर (द्वितीय)	C
6	अति0 जिला कलेक्टर, जयपुर (तृतीय)	C
7	अति0 जिला कलेक्टर, जयपुर (चतुर्थ)	C
8	अति0 जिला कलेक्टर, कोटपूतली	C
9	अति0 जिला कलेक्टर, झुझुंनूं	C
10	अति0 जिला कलेक्टर, सीकर	C

सम्भाग– जोधपुर

क्र. सं.	अति0 जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	अति0 जिला कलेक्टर, बाड़मेर	C
2	अति0 जिला कलेक्टर, जैसलमेर	C
3	अति0 जिला कलेक्टर, जालौर	B
4	अति0 जिला कलेक्टर, जोधपुर (प्रथम)	C
5	अति0 जिला कलेक्टर, जोधपुर (द्वितीय)	C
6	अति0 जिला कलेक्टर, जोधपुर (तृतीय)	C
7	अति0 जिला कलेक्टर, पाली	C
8	अति0 जिला कलेक्टर, सिरोही	C

सम्भाग– कोटा

क्र. सं.	अति0 जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	अति0 जिला कलेक्टर, बारां	A+
2	अति0 जिला कलेक्टर, शाहबाद (बारां)	C
3	अति0 जिला कलेक्टर, बून्दी	C
4	अति0 जिला कलेक्टर, झालावाड़	C
5	अति0 जिला कलेक्टर, कोटा	C

सम्भाग– उदयपुर

क्र. सं.	अति0 जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	अति0 जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा	A
2	अति0 जिला कलेक्टर, चितौडगढ	C
3	अति0 जिला कलेक्टर, डूंगरपुर	C
4	अति0 जिला कलेक्टर, प्रतापगढ़	C
5	अति0 जिला कलेक्टर, राजसमन्द	C
6	अति0 जिला कलेक्टर, उदयपुर	C

ग्रेड ''सी'' के अधिकारियों से अपेक्षा है कि राजस्व प्रकरणों के निस्तारण की ओर विशेष ध्यान दिया जाकर निस्तारण मापदण्ड के अनुरूप किया जावे।

(श्री हरिशंकर गोयल)
सदस्य
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

राज्य के उपखण्ड एवं सहायक कलक्टरों द्वारा त्रैमासिक अवधि 01.07.2020 से 30.09.2020 तक में निस्तारित किये गये राजस्व प्रकरणों पर मण्डल की समीक्षा।

त्रैमासिक अवधि 01.07.2020 से 30.09.2020 में राज्य के समस्त उपखण्ड एवं सहायक कलक्टरों समीक्षा की गई है।

निर्धारित मापदण्डः— 1— उपखण्ड अधिकारी — 30 वाद एवं 30 प्रार्थना पत्र प्रतिमाह

2— सहायक कलक्टर — 40 वाद एवं 60 प्रार्थना पत्र प्रतिमाह

(3 विविध प्रार्थना पत्रों को 1 बहुपक्षीय माना गया है।)

कोविड—19 के प्रबंधन (राहत एवं बचाव कार्य) में रहने के कारण त्रैमास अवधि में राजस्व वादों के निर्धारित मापदण्ड में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है।

(अ) मानदण्ड का 100 फीसदी से अधिक—"उत्कृष्ट—ए+"

1. उपखण्ड अधिकारी :— बायतू, गंगापुर, रायपुर, भदेसर, सूरतगढ़, सादुलशहर, पदमपुर, हनुमानगढ़, नोहर, रावतसर, पीलीबंगा, चाकसू, खानपुर, खेतड़ी, पीपाडशहर, जायल, रियावड़ी, प्रतापगढ़।

2. सहायक कलक्टर :— अजमेर, अलवर।

(ब) मानदण्ड का 90 फीसदी से 100 फीसदी तक—"बहुत अच्छा—ए"

1. उपखण्ड अधिकारी :— शून्य।
2. सहायक कलक्टर :— शून्य।

(स) मानदण्ड का 80 फीसदी से 90 फीसदी तक—"अच्छा—बी+"

1. उपखण्ड अधिकारी :— सांगोद, नीमकाथाना।
2. सहायक कलक्टर :—शून्य।

(द) मानदण्ड का 70 फीसदी से 80 फीसदी तक—"औसत—बी"

1. उपखण्ड अधिकारी :— मसूदा, पीसांगन, कुम्हेर, माण्डल, जहाजपुर, करेडा, बिदासर, सिकराय, भादरा, विराटनगर, चौमूं, नावां, खींवसर, देवली, मालपुरा।
2. सहायक कलक्टर :—फागी।

(ड) मानदण्ड का 70 फीसदी से नीचे—"औसत से नीचे—सी"

1. उपखण्ड अधिकारी :– अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, किशनगढ़, नसीराबाद, सरवाड़, भिनाय, पुष्कर, रूपनगढ़, टाटगढ़, अरांई, अलवर, रामगढ़, थानागाजी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, कठूमर, कि0बास, मुण्डावर, तिजारा, कोटकासिम, बहरोड, बानसूर, निमराणा, रेणी, मालाखेडा, बांसवाडा, घाटोल, कुशलगढ, बागीडोरा, गढी, छोटी सरवन, आनन्दपुरी, सज्जनगढ, बारां, छबड़ा, अटरू, किशनगंज, मांगरोल, शाहबाद, छीपाबडौद, अन्ता, बाडमेर, बालोतरा, गुढामालानी, शिव, चौहाटन, रामसर, सिवाना, सणधरी, सडवा, धुरीमन्ना, गडरारोड, भरतपुर, डीग, कांमा, बयाना, बैर, नदबई, रूपवास, नगर, पहाडी, भूसावर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, गुलाबपुरा, बनेड़ा, माण्डलगढ, बिजोलिया, कोटड़ी, आसींद, फूल्याकलां, हमीरगढ, बदनौर, बीकानेर, खाजूवाला, नोखा, श्रीडूंगरगढ, लूणकरणसर, कोलायत, पूंगल, छत्तरगढ, बज्जू, बून्दी, नैनवा, के0पाटन, हिण्डोली, लाखेरी, तालेड़ा, चित्तौडगढ, कपासन, निम्बाहेडा, बैगू, बडीसादडी, गंगरार, रावतभाटा, राशमी, डुंगला, भूपालसागर, चुरू, राजगढ, रतनगढ, सुजानगढ, सरदारशहर, तारानगर, दौसा, बांदीकुई, महुवा, लालसोट, नागलराजावतान, रामगढ़ पचवारा, धौलपुर, बाडी, बसेडी, सैंपऊ, राजाखेडा, सरमथुला, डूंगरपुर, सांगवाड़ा, सीमलवाडा, आसपुर, बिछीवाडा, सांवला, गलियाकोट, चिकली, गंगानगर, करनपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ, घडसाना, विजयनगर, संगरिया, टिब्बि, जयपुर, बस्सी, जयपुर (द्वितीय), आमेर, कोटपूतली, सांभर, ज0रामगढ, शाहपुरा, दूदू, फागी, जैसलमेर, पोकरण, फतेहगढ, भनियाणा, जालौर, आहोर, भीनमाल, रानीवाडा, साचौर, सायला, बागौडा, जसवन्तपुरा, चितलवाना, झालावाड, भवानीमण्डी, अकलेरा, पिडावा, मनोहरथाना, गंगधार, असनावर, झुझुंनू, चिडावा, उदयपुरवाटी, नवलगढ, बुहाना, मल्सीसर, सुरजगढ, जोधपुर, फलोदी, औसियां, शेरगढ, लूणी, भोपालगढ, बावड़ी, बाप, बलेसरा, बिलाडा, करौली, हिण्डौन, मण्डरायल, सपोटरा, टोडाभीम, नादौती, कोटा, रामगंजमण्डी, दीगोद, ईटावा, कनवास, नागौर, मेडता, डीडवाना, मकराना, लाडनूं, कुचामनसिटी, पाली, बाली, सोजत, जैतारण, देसूरी, सुमेरपुर, रोहट, मा0जक्शन, रायपुर, रानी, राजसमन्द, नाथद्वारा, भीम, कुम्भलगढ, रेलमगरा, आमेट, देवगढ, स0माधोपुर, गंगापुरसिटी, बोली, बामनवास, खण्डार, चौथ का बरवाडा, मलारनाडुंगर, वजीरपुर, सीकर, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ, दातारामगढ, श्रीमाधोपुर, द्योत, रामगढ शेखावटी, खंन्डेला, सिरोही, आबूपर्वत, रेवदर, पिण्डावा, शिवगंज, टोंक, निवाई, उनियारा, पीपलू, टोडारायसिंह, गिर्वा, वल्लभनगर, मावली, खैरवाडा, झाडोल, कोटडा, सलूम्बर, लसाडिया, सराडा, ऋषभदेव, गोगुन्दा, बडगांव, धरियावाद, अरनोद, छोटीसादडी, पीपलखुंट।

2. सहायक कलक्टर :—बहरोड़, बानसूर, बहरोड(फाट्रे.), बाड़मेर, चोहाटन, भरतपुर, नगर, कुम्हेर, नदबई, उच्चैन, भीलवाडा, जहाजपुर, माण्डल, बीकानेर (मु0), बीकानेर (फाट्रे0), चित्तौड़गढ, दौसा, लालसोट, बांदीकुई, धौलपुर, गंगानगर, भादरा, जयपुर, जयपुर (शहर), आमेर, आमेर(फाट्रे0), बस्सी, सांभर, चौमू, चौमू (फाट्रे0), कोटपूतली, शाहपुरा, दूदू, ज0रामगढ, सांचोर, झुन्झुनू, उदयपुरवाटी, चिडावा, नवलगढ, जोधपुर, फलौदी, कोटा, ईटावा, करौली, नागोर, जैतारण, स0माधोपुर, गंगापुरसिटी, सीकर, सीकर द्वितीय, दातारामगढ़, खण्डेला, लक्ष्मणगढ, नीमकाथाना, श्रीमाधोपुर, टोंक, निवाई, गिर्वा, वल्लभनगर, मावली।

उपखण्ड अधिकारी लोहावट का पद नवसृजित/पद रिक्त होने के कारण इनकी समीक्षा नहीं की गई है।

सहायक कलक्टर तिजारा, कठुमर, थानागाजी, मुण्डावर, कि0बास, रामगढ, लक्ष्मणगढ, कोटकासिम, राजगढ, डीग, बून्दी, हनुमानगढ, बिलाडा, प्रतापगढ़ का पद नवसृजित/पद रिक्त होने के कारण इनकी समीक्षा नहीं की गई है।

पुराने लम्बित वादों के निस्तारण हेतु समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया जाकर, वर्ष 2005 से पूर्व के लम्बित वादों को प्राथमिकता से निपटाने की कार्यवाही की जाए।

(हरिशंकर गोयल)

सदस्य

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

राजस्व मंडल द्वारा विगत तीन वर्षो के दौरान राजस्व प्रकरण निस्तारण का ब्यौरा

क्रमांक	माह	दर्ज प्रकरण	निस्तारित प्रकरण
1	जनवरी – 18	698	1083
2	फरवरी – 18	763	938
3	मार्च – 18	785	729
4	अप्रेल – 18	866	802
5	मई – 18	908	959
6	जून – 18	708	1004
7	जुलाई – 18	894	1047
8	अगस्त – 18	889	1089
9	सितम्बर – 18	478	695
10	अक्टूबर – 18	708	611
11	नवम्बर – 18	658	504
12	दिसम्बर – 18	328	296
13	जनवरी – 19	574	641
14	फरवरी – 19	409	606
15	मार्च – 19	386	596
16	अप्रेल – 19	532	593
17	मई – 19	616	593
18	जून – 19	541	540
19	जुलाई – 19	973	836
20	अगस्त – 19	850	812
21	सितम्बर – 19	885	933
22	अक्टूबर – 19	705	880
23	नवम्बर – 19	675	826
24	दिसम्बर – 19	774	772
25	जनवरी – 20	623	1124
26	फरवरी – 20	711	774
27	मार्च – 20	508	494
28	अप्रेल – 20	0	0
29	मई – 20	48	0
30	जून – 20	357	0
31	जुलाई – 20	430	332
32	अगस्त – 20	442	595
33	सितम्बर – 20	536	261
34	अक्टूबर – 20	502	535
35	नवम्बर – 20	330	554
36	दिसम्बर – 20	562	338
		21663	23392

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

पत्रांकः6(25) राज.–6 / 2014पार्ट / 96 जयपुर, दिनांकः 03.11.2020

अधिसूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम सं. 15 वर्ष 1956) की धारा 260 की उप धारा (1) खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान भू–राजस्व (स्कूल, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा लोकोपयोगी अन्य भवनों के निर्माण हेतु अनाधिवासित सरकारी कृषि भूमियों का आवंटन) नियम, 1963 के नियम 1 के संबंध में जारी इस विभाग के आदेश क्रमांक प.5(109) राजस्व–ब / 60 दिनांक 20.07.1963 के खण्ड 1 के द्वितीय परन्तुक में वर्णित किस्म की भूमियों (माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित भूमियों को छोड़कर) का आवंटन राजकीय विभागों को उक्त आदेश के खण्ड 4 में वर्णित आवंटन प्राधिकारी खण्ड 2 में निर्धारित आवंटित किये जा सकने वाले अधिकतम क्षेत्र तक उक्त आदेश व संबंधित नियमों के अध्यधीन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना दिनांक 31.03.2021 तक किया जा सकेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से
(कमलेश आबूसरिया)
षासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक:प.9(2) राज.–1 / 2020 जयपुर, दिनांक: 29.12.2020

अधिसूचना

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या 15, सन् 1956) की धारा 20 (घ) (1) एवं धारा 260 (1)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार सुजानगढ़–चुरू, दूदू–जयपुर, बालोतरा–बाड़मेर, भिवाड़ी–अलवर एवं कुचामन सिटी–नागौर में नवीन अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय का सृजन करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त नवीन अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार निर्धारित करती है :–

1. सुजानगढ़ – चूरू

क्र.सं.	जिला	उपखण्ड	तहसील	कुल पटवार मण्डल	कुल राजस्व ग्राम	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (है.में)
1.	चूरू	सुजानगढ़	सुजानगढ़	32	101	141889
2.		बीदासर	बीदासर	23	73	127553.58
3.		रतनगढ़	रतनगढ़	32	103	169976
योग				87	277	439418.58

2. दूदू–जयपुर

क्र.सं.	जिला	उपखण्ड	तहसील	कुल पटवार मण्डल	कुल रालस्व ग्राम	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (है में)
1.	जयपुर	दूदू	दूदू	28	67	69748.52
2.			मौजमाबाद	30	90	64061.09
3.		फागी	फागी	52	175	111434.00
4.		चाकसू	चाकसू	37	162	52030.00
5.			कोटखावदा	21	134	29147.00
6.		सांभरलेक	फुलेरा	39	145	97102.00
7.			कि.रेनवाल	32	106	58485.00
	योग			239	879	482007.61

3. बालोतरा–बाड़मेर

क्र.सं.	जिला	उपखण्ड	तहसील	कुल पटवार मण्डल	कुल राजस्व ग्राम	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (हे में)
1.	बाड़मेर	बालोतरा	पचपदरा	61	326	345827
2.		सिवाना	सिवाना	23	89	120828
3.			समदड़ी	22	62	83687
4.		बायतु	बायतु	22	217	140758
5.			गिड़ा	22	194	155036
6.		सिणधरी	सिणधरी	22	220	162984
		योग		172	1108	100120

4. भिवाड़ी अलवर

क्र.सं.	जिला	उपखण्ड	तहसील	कुल पटवार मण्डल	कुल रालस्व ग्राम	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (हे.में)
1.	अलवर	तिजारा	तिजारा	48	217	63555
2.		कोटकासिम	कोटकासिम	24	117	34302
3.		किशनगढ़–बास	किशनगढ़–बास	29	115	40477
4.		मुण्डावर	मुण्डावर	41	147	57405
5.		बहरोड	बहरोड	31	94	35058
6.		नीमराणा	नीमराणा	33	89	37926
7.		बानसूर	बानसूर	29	122	55756
	योग			235	901	324477

5. कुचामन सिटी-नागौर

क्र.सं.	जिला	उपखण्ड	तहसील	कुल पटवार मण्डल	कुल राजस्व ग्राम	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (है.में)
1.	नागौर	कुचामन सिटी	कुचामन सिटी	21	88	54562
2.		नावाँ	नावा	34	139	108637
3.		परबतसर	परबतसर	36	117	108713
4.		मकराना	मकराना	36	140	113710
	योग			127	484	385622

आज्ञा से,

(राकेश शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

पत्रिका विवरण

1.	**नाम**	-	**राविरा त्रैमासिक अंक - 122**
2.	**आकार**	-	**राविरा 6.2 X 9.2 इंच**
3.	**मुद्रित प्रतियाँ**	-	**7500**
4.	**प्रयुक्त कागज**	-	**(क) कवर कार्ड शीट्स 300 जी.एस. एम.** **(ख) रंगीन पृष्ठ 110 जी.एस. एम.** **(ग) साधारण कागज (मेपलिथो) 80 से 90 जी.एस. एम.**
5.	**प्रकाशक**	-	**राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर**
6.	**मुद्रक**	-	**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर**
7.	**कवर पेज**	-	**4 पृष्ठ**
8.	**रंगीन पृष्ठ**	-	**12 पृष्ठ**
9.	**साधारण पृष्ठ**	-	**88 पृष्ठ**

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) भाग

क्रमांकः प. 9(3) राज–1/2020 जयपुर, दिनांकः 12.10.2020

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या –15, सन् 1956) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा गठन/पुनर्गठन हेतु जारी पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में जिला अलवर तहसील राजगढ़ का पुनर्गठन करते हुये उप तहसील टहला जिला अलवर को तहसील में क्रमोन्नत करती है।

क्रमोन्नत तहसील टहला के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :–

क्र.स.	नाम भू–अभिलेख निरीक्षक वृत	भू–अभि. निरी. वृत का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	नाम पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	टहला	10542.11	टहला	2922.64
			राजोर	3487.26
			मल्लाना	2116.86
			तिलवाड़	2015.35
2	खोह	7366.41	खोह	2287.71
			टोडाजयसिंहपुरा	1584.12
			धीरोड़ा	1552.21
			बलदेवगढ़	1942.37
3	गोला का बास	5610.53	गोला का बास	1851.15
			बिरकडी	1219.67
			श्यालूता	1922.84
			दामोदर का बास	616.87
4	तालाब	8381.66	तालाब	1555.41
			लोसल	3028.92
			कुण्डला	2521.57
			श्रीचन्दपुरा	1275.76
योग		31900.71	16	31900.71

पुनर्गठित तहसील राजगढ़ के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत एवं पटवार मंडल सम्मिलित होंगेः–

क्र.स.	नाम भू–अभिलेख निरीक्षक वृत	भू–अभि. निरी. वृत का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	नाम पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	राजगढ़	3900.81	राजगढ़ ए	1533.04
			राजगढ़ बी	595.63
			कारोठ	386.87
			अलेई	1385.27
2	नीमला	4405.55	नीमला	1319.33
			सूरेर	1886.99
			मोतीवाड़ा	1199.23
3	राजपुर बड़ा	7687.71	राजपुर बड़ा	1909.41
			सकट	948.58
			नांथलवाडा	1895.69
			बीघोता	2934.03
4	थाना	4161.87	थाना	656.07
			धमरेड़	931.01
			दुब्बी	1332.72
			नयागावंबौलका	1242.07
5	ढिगावडा	3939.37	ढिगावडा	1024.84
			पलवा	1044.48
			फिरोजपुर जागीर	834.8
			भजेडा	1034.25
योग	**05**	**24095.31**	19	24095.31

GOVERNMNET OF RAJASTHAN

Revenue (Group-6) Department

No. F.4(Rev-6/2006 Part / 106 Jaipur, dated : 24/11/2020

NOTIFICATION

In exercise of the the powers confierred bye subsection of section 261 of of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), the state government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Land Revenue (Land Records) Rules 1957, namely:-

1. Short title and commencement:- (1) These rules may be called the Rajasthan Land Revenue (Land Records) (Amendment) Rules 2020.

(2) They shall come into force at once

2. Amendment of rule 9:- In clause (ib) of rule 9 of the Rajasthan Land Revenue (Land Records) rules 1957, the existing expression "on his own request", wherever occurring, shall be deleted.

By order of the Governor

(Kamlesh Abusariya)

Deputy Secretary to the Government

GOVERNMENT OF RAJASTHAN REVENUE (GROUP-6) DEPARTMENT

No. F.10(3)Rev-6/2001/95 Jaipur, Dated:- 03.11.2020

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 257 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Tenancy (Government) Rules, 1955 and orders with reference to the proviso to sub-section (1) of section 259 of the said Act that the previous publication of these amendment rules is dispensed with as the State Government considers it necessary that they should be brought into force at once, namely:-

1. **Short title and commencement-** (1) These rules may be called the Rajasthan Tenancy (Government) (Second Amendment) Rules, 2020.
(2) They shall come into force at once.

2. **Amendment of rule 7** - In sub-rule (1) of rule 7 of the Rajasthan Tenancy (Government) Rules, 1955, before the existing provisos, the following new proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that prior permission of the State Government is not required for change of classification of pasture land where such land is proposed to allot for the purpose of the Government Office or other Government Building if the area of such land does not exceed 2 hectares."

By order of the Governor,
(Kamlesh Abusaria)
Deputy Secretary to the Government

GOVERNMENT OF RAJASTHAN REVENUE (GROUP-6) DEPARTMENT

No. F.9(72)Rev-6/2019/53 Jaipur, Dated:- 13.08.2020

NOTIFICATION

The State Government hereby makes the following amendment in the Rajasthan Board of Revenue (Appointment and Conditions of Services of Law Officers) Rules, 1980 namely:-

1. Short title and commencement- (1) These rules may be called the Rajasthan Board of Revenue (Appointment and Conditions of Services of Law Officers) (Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force at once.

2. Substitution of rule 3 – The existing rule 3 of the Rajasthan Board Revenue (Appointment and Conditions of Services of Law Officers) Rules, 1980, shall be substituted by the following, namely:-

"3. Appointment of Law Officers :- The Law Officers shall be appointed by the State Government."

By order of the Governor,
(Kamlesh Abusaria)
Deputy Secretary to the Government

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-2) भाग

क्रमांकः प. 9(3) राज/2/2020 जयपुर, दिनांकः 12.10.2020

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर।

विषयः- नवीन निर्माण कार्यों हेतु जारी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत के संबंध में।

संदर्भः- राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के पत्र क्रमांक 3(ब)प्लान(28)रागले/20/129 दिनांक 25.11.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में इस विभाग द्वारा जारी आज्ञा दिनांक 09.10. 2020 में उल्लेखित स्वीकृत राशि का विस्तृत विवरण बजट मदवार एवं कार्य के नाम का विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र.स.	जिलों के नाम	क्र.स.	कार्य का नाम	कुल राशि (लाखों में)	B.E. 2020-21
बजट मदः- 4059-80-051-(01)-(01) वृहद निमार्ण कार्य					
1.	सवाई माधोपुर	1.	तहसील कार्यालय वजीपुर में मॉडर्न रिकार्ड रूम निर्माण हेतु अतिरिक्त स्वीकृति	26.17	7.00
		2.	तहसील कार्यालय भवन तलावडा में मॉडर्न रिकार्ड रूम एवं बाउण्ड्रीवॉल निर्माण हेतु अतिरिक्त स्वीकृति	75.77	19.00
2.	झालावाड़	3.	तहसील कार्यालय बकानी की कम्पाउण्ड वॉल निर्माण	49.71	13.00
		4.	तहसील रायपुर कार्यालय भवन निर्माण	240.92	61.00
3.	पाली	5.	तहसील बाली में माडर्न रिकार्ड रूम हेतु मूल स्वीकृत राशि 5.00 लाख के स्थान पर संशोधित स्वीकृति	20.74	6.00
4.	राजसमन्द	6.	उपखण्ड कार्यालय कुम्भलगढ़ रिकार्ड रूम	13.27	4.00
		7.	उपखण्ड कार्यालय कुम्भलगढ़ मिटिंग हॉल	29.34	8.00
		8.	उपखण्ड कार्यालय कुम्भलगढ़ बाउन्ड्री वॉल निर्माण	10.31	3.00
		9.	उपखण्ड कार्यालय देवगढ़ में शेष निर्माण कार्य (कार्यालय कक्ष तथा रिकार्ड रूम)	21.07	6.00

		10.	तहसील देवगढ़ में मिटिंग हॉल निर्माण	66.50	17.00
5.	जालोर	11.	तहसील कार्यालय सायला मॉडर्न रिकार्ड रूम	20.24	6.00
6.	जयपुर	12.	उपतहसील रामपुरा डाबडी की चार दिवारी निर्माण	11.69	3.00
7.	चित्तौड़गढ़	13.	उपतहसील कनेरा कार्यालय निर्माण	140.00	35.00
8.	जोधपुर	14.	तहसील कार्यालय सेखाला	206.90	52.00
			योग	932.63	240.00
			बजट मदः— 4059—80—789—(04)—(00)—27 SCSP वृहद निर्माण कार्य		
1.	भरतपुर	15.	जिला मुख्यालय भरतपुर पर भूअभिलेख रिकार्ड रूम का निर्माण कार्य	224.05	57.00
2.	दौसा	16.	तहसील कार्यालय उच्चैन	195.68	49.00
		17.	तहसील सह उपतहसील कार्यालय लवाण	253.00	64.00
			योग	672.73	170.00
			बजट मदः— 4059—80—796—(07)—(00)—17 TSP वृहद निर्माण कार्य		
3.	उदयपुर	18.	तहसील कार्यालय खेरवाडा भवन निर्माण	304.00	122.00
			योग	304.00	122.00

क्र.स.	जिलों के नाम	क्र.स.	कार्य का नाम	कुल राशि (लाखो में)	B.E. 2020-21
			बजट मदः— 4216—01—700—(03)—(90)—17 वृहद निर्माण कार्य		
1	बाड़मेर	19.	उपखण्ड अधिकारी आवास धौरीमन्ना	30.00	9.00
		20.	तहसीलदार आवास धौरीमन्ना	30.00	9.00
2	राजसमन्द	21.	तहसीलदार आवास कुंवारिया	64.82	20.00
		22.	तहसीलदार आवास कुम्भलगढ़	30.39	10.00
3	सवाई माधोपुर	23.	तहसीलदार आवास मलारना डुंगर	32.18	10.00
4	नागौर	24.	तहसीलदार व नायब तहसीलदार आवास मूण्डवा	67.25	21.00
5	चित्तौड़गढ़	25.	उपखण्ड अधिकारी आवास डूंगला	51.09	16.00
		26.	उपखण्ड अधिकारी आवास भूपालसागर	48.88	15.00
		27.	तहसीलदार आवास भूपालसागर	31.45	10.00
6	जोधपुर	28.	तहसीलदार आवास बिलाडा	30.51	10.00
		29.	नायब तहसीलदार बिलाडा	20.38	7.00
		30	उपखण्ड अधिकारी आवास बावडी	23.55	8.00
		31	तहसीलदार आवास बाप	30.11	10.00
		32	तहसीलदार आवास लोहावट	30.11	10.00
		33	तहसीलदार आवास बावडी	20.45	7.00
		34	तहसीलदार आवास तिंवरी	20.45	7.00
7	अजमेर	35	उपखण्ड अधिकारी आवास पुष्कर	26.92	9.00
			योग	**588.54**	188.00
			महायोग	**2497.90**	720.00

राजस्व समाचार

राज्य में प्रथम बार राजस्व दिवस समारोह

मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की सेवाओं का ई-लोकार्पण किया
'ग्रामीणों को राजस्व कार्यालयों में चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा'

जयपुर, 15 अक्टूबर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्व विभाग की आम लोगों के जीवन से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण एक क्रान्तिकारी पहल है। भू–नामान्तरण, गिरदावरी रिपोर्ट, पंजीयन जैसे कामों के ऑनलाइन हो जाने से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र

के लोगों को राजस्व विभाग के कार्यालयों में बार–बार चक्कर लगाने के परिश्रम से छुटकारा मिलेगा।

श्री गहलोत गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के पहले राजस्व दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने राजस्व विभाग की अपना खाता, ई–गिरदावरी, कृषि ऋण रहन पोर्टल, ई–पंजीयन आदि सेवाओं का ई–लोकार्पण किया। देश के प्रथम

प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की सोच को आगे बढ़ाते हुए 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू कर खेतीहर किसानों को भू–स्वामी घोषित करने के ऐतिहासिक दिन

को प्रथम राजस्व दिवस के रूप में मनाया गया।

मुख्यमंत्री ने समारोह में कहा कि आज से शुरू हो रहा राजस्व दिवस इस विभाग के कैलेण्डर में एक महत्वपूर्ण दिन होगा। अब हर वर्ष इस मौके पर राजस्व विभाग अपनी वर्षभर की उपलब्धियों और

चुनौतियों का आकलन करेगा तथा भविष्य की गतिविधियों की योजनाबद्ध रूपरेखा तैयार कर उस पर काम करेगा। उन्होंने कहा कि इंटरनेट और सूचना तकनीक के दौर में विभाग की सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण होने से पटवारी तथा गिरदावर स्तर के अधिकारियों के राजस्व और विशेषकर खेती से जुड़े छोटे–छोटे कार्य समय पर पूरे हो सकेंगे और इन अधिकारियों पर काम का बोझ भी घटेगा।

श्री गहलोत ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन सेवाओं का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कम्प्यूटरीकरण किया गया है, उनको जल्द से जल्द से पूरे प्रदेश के लिए ऑनलाइन किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग से जुड़े कई कानूनों को सरलीकरण करने का काम भी शुरू किया गया है। इससे किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के भू–मालिकों को अपनी जमीनों के अधिकार प्राप्त करने और उनके बंटवारे तथा प्रबंधन में आसानी होगी।

राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी ने कहा कि बीते डेढ़ साल में राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली और निर्णयों में बदलाव से आखिरी पंक्ति में खड़े आम आदमी के कल्याण के लिए बेहतर वातावरण बना है। राजस्व के कई तरह के रिकॉर्ड की कम्प्यूटर प्रति को ही सत्यप्रति मानने तथा ई–हस्ताक्षर को कानूनी वैधता मिलने से करोड़ों किसानों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग की सेवाओं के ऑनलाइन होने पर विभाग के अधिकारियों के काम में दक्षता और सटीकता आई है।

राजस्व राज्यमंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने प्रदेश में पहली बार राजस्व दिवस मनाने पर मुख्यमंत्री श्री गहलोत का आभार व्यक्त करते हुए विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों को इसके लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कुल 338 तहसीलों में से 244 तहसीलों का रिकॉर्ड ऑनलाइन हो गया है और 31 मार्च 2021 तक समस्त तहसीलों का रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध कराने का लक्ष्य

रखा गया है। इससे भू–राजस्व से जुड़े प्रकरणों के निस्तारण के काम में गति आएगी।

मुख्य सचिव श्री राजीव स्वरूप ने कहा कि भू–राजस्व का प्रबंधन जमीन से जुड़ी प्रदेश की 75 प्रतिशत जनसंख्या के जीवन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्य है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग भी राज्य प्रशासन का सबसे मजबूत अंग है और इसकी पहुंच प्रदेश के अंतिम छोर तक है। राजस्व से जुड़े कार्यों में दक्षता आने से करोड़ों लोगों का जीवन सहूलियत भरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि भूमि रिकॉर्ड तथा सेवाओं के कम्प्यूटरीकरण के बाद भी विभाग के अधिकारियों की चुनौतियां बनी रहेंगी। अब पटवारी से लेकर तहसीलदार तथा कलक्टर तक राजस्व अधिकारियों को प्रकरणों के निस्तारण में और अधिक तत्परता दिखानी होगी।

राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. आर. वेंकटेश्वरन ने कहा कि राजस्व विभाग की विभिन्न सेवाओं के ऑनलाइन होने के बाद उच्च अधिकारी से लेकर पंचायत स्तर के पटवारी तक सभी की जिम्मेदारी अधिक बढ़ गई है। कानूनों के सरलीकरण से राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट है कि प्रकरणों के निस्तारण में देरी न हो। उन्होंने कहा कि पटवारी स्तर तक विभाग के सभी अधिकारियों को ग्रामीण लोगों के प्रति अपनी भूमिका को अधिक प्रासंगिक और जवाबदेह बनाना होगा।

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने बाड़मेर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, उदयपुर, भरतपुर में संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, भू–अभिलेख निरीक्षक,पटवारी स्तर तक के अधिकारियों एवं कार्मिकों के साथ संवाद किया। उन्होंने इस अवसर पर राजस्थान राजस्व बोर्ड की पत्रिका 'रावि‍रा' का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में विभाग की सेवाओं के कम्प्यूटरीकरण और कार्यप्रणाली में आए बदलाव से जुड़ी लघु फिल्म दिखाई गई।

इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव राजस्व श्री आनन्द कुमार, भू–प्रबन्ध आयुक्त श्री रोहित गुप्ता, निबन्धक राजस्व मण्डल श्रीमती नम्रता वृष्णि, संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर, राजस्व विभाग के अधिकारी, तहसीलदार, गिरदावर एवं पटवारी स्तर तक के कार्मिकों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए।

राज्य की सभी तहसीलों के राजस्व रिकार्ड ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करें – मुख्य सचिव

जयपुर, 15 जनवरी। मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को राज्य की समस्त तहसीलों के राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने की प्रक्रिया अगस्त माह तक पूरी करने के निर्देश दिये।

मुख्य सचिव ने सचिवालय में आयोजित राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) के तहत राज्य की कुल 339 तहसीलों में से शेष बची 76 तहसीलों को भी ऑनलाइन करने के काम शीघ्र पूरा करें। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड का डिजीटाइजेशन इस तरह किया जाए कि व्यक्ति के नाम से ही उसकी राजस्व सम्पत्तियों का रिकॉर्ड सामने आ जाए। मुख्य सचिव ने तहसीलों में गिरदावरी की ऑनलाइन प्रक्रिया, स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन तथा पटवारी–गिरदावरों की ट्रेनिंग के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि तहसीलदारों के लिए ट्रेनिंग कोर्सेज का नियमित रूप से आयोजन किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने राजस्व मण्डल रजिस्ट्रार से कहा कि वे स्वयं जाकर समय समय पर पटवार प्रशिक्षण शालाओं का निरीक्षण करें।

श्री आर्य ने कहा कि मॉर्डन रिकॉर्ड रूम की स्थापना के लिए किये जा रहे सिविल वर्क, नॉन आईटी और आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क तथा लैण्ड रिकॉड्र्स की इंडेक्सिंग व स्कैनिंग के काम की प्रगति के बारे में जानकारी ली और इन कार्यों को चरणबद्ध रूप से शीघ्र पूरा करने के लिए कहा। उन्होंने बजट घोषणाओं तथा जनघोषणा पत्र की क्रियान्विति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को राजस्व वादों के निस्तारण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने और इसकी पर्याप्त मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री आनन्द कुमार ने बताया कि चौमू व दूदू तहसीलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्वचालित नामान्तरण का कार्य का प्रारम्भ किया गया था। अब जयपुर जिले की सभी तहसीलों में स्वतः नामान्तरकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 2 हजार 707 स्वतः नामान्तरण दर्ज किये गए हैं। उन्होंने बताया कि DILRMP के तहत राज्य की 263 तहसीलों को ऑनलाइन करने का कार्य पूरा किया जा चुका है।

इस अवसर पर राजस्व मण्डल के अध्यक्ष डॉ. आर वेंकटेश्वरन तथा राजस्व मण्डल की रजिस्ट्रार श्रीमती नम्रता वृष्णि तथा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

राजस्व मण्डल में राजस्व दिवस का आयोजन

अजमेर, 15 अक्टूबर।

राजस्थान में राजस्व दिवस के प्रथम बार आयोजन के अवसर पर राजस्व मण्डल में निबन्धक श्रीमती नम्रता वृष्णि की अध्यक्षता में समारोहपूर्वक आयोजित हुआ।

श्रीमती नम्रता वृष्णि ने कहा कि राजस्थान में आम जन को सहज व सुलभ न्याय के मद्देनजर राजस्व विभाग व राजस्व मण्डल गम्भीर हो कर प्रयास कर रहा है जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान के बेहतर विकास के लिए सभी समन्वय एवं समर्पित भाव से कार्य करें तो हम विकास की ऊंचाइयों को छू पाएंगे। उन्होंने सभी को राजस्व दिवस की शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर अपने उद्‌बोधन में राजस्व मण्डल सदस्य श्री महेन्द्र कुमार पारख ने कहा कि डिजीटाइजेशन के दौर में राजस्व विभाग में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। जिसका सीधा लाभ कृषक एवं भूमिधारक वर्ग को मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि श्रेष्ठ सेवाएं हमारा दायित्व है। कार्यव्यवहार में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए हमें सकारात्मक सेवा भाव अमल में लाना होगा।

समारोह के आरम्भ में राजस्व मण्डल के अति. निबन्धक श्री आशुतोष गुप्ता ने आयोजन की महत्ता एवं मण्डल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। अन्त में आभार राजस्व बार एसोशिएशन के अध्यक्ष सुरेन्द्र शर्मा ने ज्ञापित किया। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ सदस्य सुरेन्द्र कुमार पुरोहित एवं बी. एल. मेहरड़ा, अजमेर की राजस्व अपील अधिकारी श्रीमती मेघना चौधरी, मण्डल के वित्तीय सलाहकार नरेन्द्र माथुर, अति. निदेशक–आईटी आर. वरदराजन, उप निबन्धक श्रीमती प्रिया भार्गव व भावना गर्ग, उप वित्तीय सलाहकार सूरज प्रकाश मोंगा, लेखाधिकारी अमित शर्मा, सांख्यिकी संयुक्त निदेशक श्रीमती बीना वर्मा, राजस्व बार सचिव पवन सिंह, रविरा सम्पादक पवन शर्मा सहित मण्डल के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी तथा मण्डल के अभिभाषकगण उपस्थित रहे।

समारोह के दौरान राजस्व मण्डल की विभिन्न शाखाओं में श्रेष्ठ सेवायें देने वाले 20 अधिकारियों एवं कार्मिकों सर्वश्री श्री आनंद स्वरूप माथुर, मुकेश वर्मा, राकेश अग्रवाल, रतनलाल यादव, चन्द्रप्रकाश गेहानी, राजेश कुमार तिवाड़ी, राजकुमार बाघमार, संदीप के फौजदार, अंकित कुमार बालम, दिनेश वैष्णव, गजेन्द्र मिश्रा, भवानी सिंह, रितेश शर्मा, गोपाल सिंह, उमेन्द्र कुमार शर्मा, मोहन सिंह, अनिल कुमार, सोहन लाल, सुनीता देवी को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

रावि‍रा अब ऑनलाइन भी उपलब्ध

राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रकाशित महत्वपूर्ण पत्रिका 'रावि‍रा' अब ऑनलाइन भी देखी जा सकती है। राजस्व मण्डल की निबन्धक श्रीमती नम्रता वृष्णि ने बताया कि पाठक वर्ग तक सहज तौर पर सुलभ कराने के उद्देश्य से ''रावि‍रा'' का डिजिटलाइजेशन कर मण्डल की वेबसाइट https://landrevenue.rajasthan.gov.in/bor पर उपलब्ध करा दिया गया है।

राजस्थान के राजस्व न्यायालय अब पूर्ववत कार्य करेंगे

अजमेर। राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर एवं राज्य के विविध स्तरीय अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में अब पूर्ववत कार्य आरंभ हो जाएगा।

राजस्व मंडल निबंधक श्रीमती नम्रता वृष्णि ने बताया कि कोविड–19 के दृष्टिगत मंडल द्वारा पूर्व में जारी समस्त दिशानिर्देशों को प्रत्याहरित/अतिलंघित करते हुए दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि सरकार के पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना करते हुए अब पूर्व की भांति ही राजस्व मंडल में गठित समस्त बेंचों एवं राजस्थान राज्य में समस्त राजस्व न्यायालयों में पूर्व की भांति सभी प्रकार के प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। राजस्व मंडल सहित सभी अधिवक्ताओं से भी अपेक्षा की गई है कि वह प्रकरणों के निस्तारण एवं नियत तिथि पर अपेक्षित कार्रवाई संपादित करने में पूर्व की भांति अपना सहयोग प्रदान करेंगे। यह व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। कोर्ट्स के संचालन में सरकार के कोविड सुरक्षा संबंधी उपायों की पूर्ण पालना की जानी होगी। सभी कलक्टर्स को भी नवीन दिशा निर्दशानुसार राजस्व न्यायालयों का संचालन करने को कहा गया है।

पेपरलेस कामकाज की दिशा में राजस्व मंडल के अभिनव कदम
राजस्व न्यायालयों में अब आनलाइन केस रजिस्ट्रेशन की सुविधा

अजमेर। राज्य के राजस्व न्यायालयों में वाद दायर करने की प्रक्रिया ऑनलाइन करने की सौगात दी गई है। पेपरलेस कामकाज व ऑनलाइन सुविधा को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक अभिनव कदम है।

राजस्व मंडल की रजिस्ट्रार श्रीमती नम्रता वृष्णि ने बताया कि राजस्थान में पेपरलेस वर्क को बढ़ावा देने एवं डिजिटलाइजेशन को गति प्रदान करने के दृष्टिगत राज्य में विविध स्तरीय राजस्व न्यायालयों के राजस्व वादों के ऑनलाइन फाइल करने की सुविधा विकसित की गई है।

उन्होंने बताया कि राजस्थान के सभी राजस्व न्यायालय जीसीएमएस (जनरलाइज्ड कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम) से जुड़े हुए हैं। जीसीएमएस के जरिये केस रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है। इसके तहत अधिवक्ता अपनी एसएसओ आईडी लॉगइन कर वाद से संबंधित पूर्ण जानकारी का इंद्राज करेगा। इस प्रक्रिया के पश्चात एक एप्लीकेशन नंबर ऑनलाइन ही आवंटित हो जाएगा, इसी नंबर के आधार पर आवेदन करने पर राजस्व मंडल रजिस्ट्रार कोर्ट ऑनलाइन दर्ज की गई समस्त सूचनाओं के आधार पर केस रजिस्टर कर अभिभाषक को केस आईडी आवंटित कर देगा। इस प्रकार केस रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन सबमिशन की प्रक्रिया बिना समय गंवाए पूरी हो जाएगी। इससे जहां समय एवं श्रम की बचत होगी वहीं कोर्ट कार्यों में पारदर्शिता भी आयेगी।

नोटिस भी आनलाइन भिजवाए जाएंगे

राजस्व मंडल की ओर से प्रतिदिन भेजे जाने वाले नोटिस(सम्मन) जो तहसीलदार के स्तर पर तामील कराए जाते हैं, उन्हें भी ई–साइन कर ऑनलाइन भिजवाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। यह नोटिस अब सीधे संबंधित तहसीलदार के कंप्यूटर पर ऑनलाइन भेजे जाकर प्रिंट करते हुए संबंधित को तामील हो जाने के पश्चात पुनः स्कैन कर तहसीलदारों के मार्फत राजस्व मंडल को भिजवाया जा सकेगा।

यह सुविधाएं पहले से ही आनलाइन

जीसीएमएस पोर्टल के जरिए राजस्व मंडल सहित सभी अधीनस्थ न्यायालयों की कॉज लिस्ट पूर्व में ही ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही केस स्टेटस, सुनवाई की आगामी तिथि, संबंधित कोर्ट का विवरण, वाद का प्रकार सहित राजस्व न्यायालयों के निर्णयों को भी ऑनलाइन देखने की सुविधा जीसीएमएस पोर्टल पर उपलब्ध है। ये सुविधाएं पक्षकार अथवा अभिभाषकगण को यह अपने मोबाइल अथवा कम्प्यूटर के जरिये आसानी से सुलभ हो रही है।

राजस्व मंडल में सेवानिवृत्ति समारोह

राजस्व मंडल में सेवानिवृत्ति समारोह

रविरा

राजस्व प्रवृत्तियों एवं गतिविधियों की त्रैमासिकी

Contact Us:
Website: http//landrevenue.rajasthan.gov.in/bor
Email: bor-rj@nic.in